खण्ड-123, अंक-4
गुरूवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1875
(2 अप्रैल, 1953 ई0)

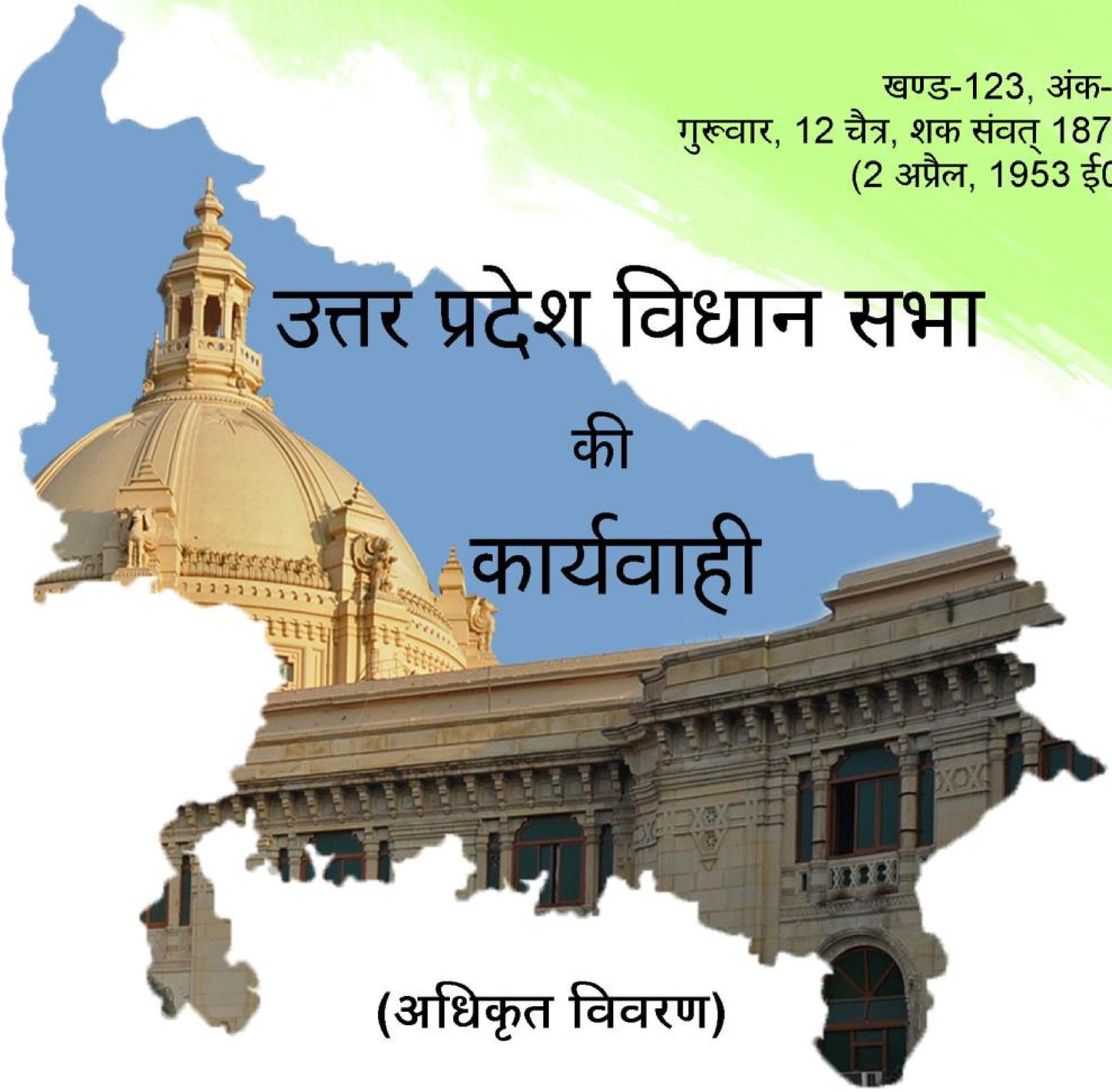

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 123 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, २ अप्रैल, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर प्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करमसिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशवपाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गजूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुलतार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलज़ार, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम श्री जाटव,
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रपाल बाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल मगन, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री

बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री

मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंज़ूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना प्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेशवर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लतीफ़ हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मक़बूल शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री

सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महतोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—[१० अप्रैल, १९५३ ई० के लिये संख्या ४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

किछा चीनी मिल, जिला नैनीताल का गन्ना नं० ३३१ लेने से इन्कार

*२—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को मालूम है कि किछा (गोकुलनगर पन्नी शुगर मिल्स) चीनी मिल, जिला नैनीताल ने अगले वर्ष १९५३-५४ के सीजन के लिए नं० ३३१ गन्ना लेने से इन्कार किया है? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—१९५३-५४ के सीजन में प्रदेश की कोई भी चीनी मिल नं० ३३१ गन्ना लेने को बाध्य नहीं होगी क्योंकि उक्त किस्म का गन्ना चीनी मिलों में पेराई के लिये अनुपयुक्त पाया गया है। सरकार ने एक विज्ञप्ति द्वारा इसकी सप्लाई वर्जित कर दी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि यह नं० ३३१ गन्ना काश्तकारों ने सरकार की विज्ञप्ति निकलने के पहले ही लगा दिया था और अब वह उस विज्ञप्ति के अनुसार कार्यवाही नहीं कर सकते हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—विज्ञप्ति ७ फरवरी को निकली है। तो उससे पहले तो गन्ने की काश्त होती नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जिन क्षेत्रों में यह गन्ना नं० ३३१ लगा दिया गया है क्या उनको पेरवाने के लिये सरकार अगर बाध्य नहीं तो मिल-मालिकों को समझाने की कृपा करेगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जहां तक मिलों से पेरवाने का ताल्लुक है उसके लिए तो वह अनुपयुक्त है लेकिन अगर पेरने की आवश्यकता होगी तो उसका इन्तजाम देखा जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह नं० ३३१ गन्ना किन कारणों से अनुपयुक्त पाया गया?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--उसका चीनी का परता मिलों में कम आता है।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--३३१ नं० गन्ने में चीनी के कम परते के कारण मिल लेने से इन्कार करती है तो क्या सरकार उस गन्ने को थोड़ी कम कीमत पर मिलों को पेरने के लिए बाध्य करेगी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--ज्यादा बेहतर तो यही है कि उस गन्ने की काश्त को बन्द किया जाय। उसमें रोग आ गये हैं। इसकी बेहतरी की कोशिश हो रही है।

*३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला नैनीताल की पन्नी शुगर मिल्स गोकुलनगर किछा को काश्तकारों को पिछले सीजन के कुल गन्ने की कीमत में से कितना अभी सोसाइटी या काश्तकारों को देना बाकी है? क्या सरकार इस बची हुई रकम को दिलाने के लिए कोई कार्यवाही करने जा रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जिला नैनीताल की पन्नी जी शुगर मिल्स, गोकुलनगर को १९५१-५२ सीजन के कुल ३८.७४ लाख रुपये गन्ने के मूल्य में से अब ९.९२ लाख रुपया काश्तकारों को देना बाकी है। इस बची हुई रकम को शीघ्रातिशीघ्र दिलाने के लिये जिलाधीश को उचित आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस ९.९२ लाख रुपये के सिलसिले में केन कमिश्नर महोदय ने अवार्ड दिया था और उसको जिलाधीश महोदय ने लागू नहीं किया?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--जी हां, अवार्ड हुआ था और उसकी वसूली हो रही है। जैसा कि बतलाया कि यह जो फिगर है वह ९.९२ लाख रह गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलाएंगे कि इस रुपये की वसूली किस प्रकार वहां हो रही है?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जैसा कि जवाब में कहा गया है, जिलाधीश को यह आदेश दे दिया गया है कि वह फौरन वसूली करें और यह रकम भी अब कम हो गई है। २७ मार्च को शायद ९ लाख ६२ हजार या ६३ हजार रह गई है। उसकी वसूली जल्द से जल्द करा दें यह उनसे कह दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि उक्त मिल पर इस फसल के किसानों के गन्ने की कितनी कीमत अभी शेष है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--इस वर्ष ११ लाख के करीब बाकी है?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--उसको दिलाने में सरकार क्या प्रयत्न करेगी?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जल्दी से जल्दी उसके दिलाने की कोशिश की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके कारण बतला सकते हैं जिसके कारण यह मिल मालिक, गोकुलनगर रुपया देने में इतनी ढीला-ढाली और आनाकानी कर रहे हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि पिछले साल की जो कीमत है वह तो अक्सर मिलों पर रह गई थी जिसके कुछ खास कारण थे जो कि इस सदन में कई दफा अर्ज किये जा चुके हैं। इस साल का दस्तूर यही है कि रुपया आता रहता है, लिया जाता रहता है और दिया जाता रहता है। इस साल जितना गन्ना लिया जा रहा है उसकी कीमत दी जा रही है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पारसाल के गन्ने से पैदा शुदा जो चीनी का स्टाक था वह उठ चुका है या नहीं, अगर सब उठ चुका है तो पारसाल की गन्ने की कीमत आज तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री--पारसाल का कुल स्टाक खत्म हो चुका है यह इस वक्त में ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन जैसा कि अभी कहा जा चुका है कि जो बाकी रह गया था उसकी डिग्री हो चुकी है और उसकी वसूली की पूरी कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि वह जल्दी वसूल हो जायगा।

आजमगढ़ जिले के राजनैतिक पीड़ितों को पेंशनें

*४--**श्री व्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन दी जाती है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)--आजमगढ़ जिले में २५ राजनैतिक पीड़ितों अथवा उनके आश्रितों को मासिक पेंशन दी जाती है।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय जानते हैं कि आजमगढ़ जिले में कुछ ऐसे राजनीतिक पीड़ित हैं जिन्होंने आत्म सम्मान के विरुद्ध समझकर कोई आवेदन-पत्र अभी तक नहीं दिया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--अवश्य होंगे, ऐसे आदमी हर जगह हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या परिस्थितियों से वाध्य होकर अगर ऐसे व्यक्ति अब आवेदन-पत्र दें तो माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके उन पर विचार करने के लिये तैयार हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--कोई विशेष कारण होने पर ऐसा कोई विशेष तरह का निवेदन हो तो उस पर विचार हो सकता है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--क्या सरकार कृपा करके ऐसे पोलिटिकल सफरर्स की जांच करायेगी कि जिनकी माली-हालत बहुत खराब है और बिला दरख्वास्त दिये हुये उनकी सहायता करेगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--ऐसी तहकीकात कराने से तो उनमें झूठी उम्मीद पैदा करना है जो पूरी न हो सके।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि २५ जिन राजनीतिक पीड़ितों को आजमगढ़ में पेंशनें दी जाती हैं वह कितनों को दी जाती हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--वे २५ हैं ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--रुपये की संख्या क्या है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---रुपये की तादाद कुल एकदम तो मैं बतला नहीं सकता। मेरा ख्याल है, मैं मोटे तरीके पर कह रहा हूं कि शायद पांच सौ या छै सौ के करीब होगी मासिक।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतला सकते हैं कि आजमगढ़ जिले में कुछ ऐसे राजनीतिक पीड़ित हैं जिनको पेंशन भी दी जाती है और जमीन भी मिली है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---संभव है, मैं ठीक नहीं कह सकता।

श्री सीताराम शुक्ल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ राजनीतिक पीड़ितों ने सहायता कम होने के कारण वापिस भी कर दिया है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---आजमगढ़ की तो कोई ऐसी खबर नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पीड़ित को पेंशन देने के लिये कुछ उम्र की भी कैद है कि इस उम्र से ज्यादा वाले को पेंशन दी जायगी और इससे कम वाले को नहीं दी जायगी?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---ऐसा है कि जिनकी उम्र ज्यादा हो गयी हो और फिर वह उम्र भर काम करते आये हों और जिनकी अवस्था ऐसी हो और जिनको आवश्यकता हो, उनको पेंशन मिलनी चाहिये।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिले में जिन लोगों को पेंशनें दी जाती हैं उनके किसी के बारे में शिकायत आयी है कि वह नकली हैं और राजनीतिक पीड़ित नहीं हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---नहीं, वह सब असली हैं।

*५---श्री ब्रजविहारी मिश्र---क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले में अब भी कई ऐसे राजनीतिक पीड़ित हैं जिनको कोई पेंशन नहीं दी जाती है?

*६---यदि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर 'हां' में है, तो क्या सरकार उनके मामलों पर विचार करने का इरादा रखती है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---सरकार के पास आजमगढ़ जिले से आर्थिक सहायता के लिये जो प्रार्थना-पत्र आये उन पर विचार करने के बाद नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई। देश की स्वतंत्रता के लिये बहुत बड़ी संख्या में स्त्री और पुरुषों ने त्याग और बलिदान भी किये और कष्ट और हानियां सहीं। इनमें से बहुत ही थोड़ों को किंचित्मात्र सहायता दी गई है। जो प्रार्थना-पत्र आये उन पर विचार किया गया है।

*७-९---श्री महाराज सिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---
[देखिये आगे पृष्ठ २९१-२९२ पर]

*१०-११---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---[१७ अप्रैल, १९५३ के लिये संख्या ५१-५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ जिले के किसानों को शाहगंज शुगर मिल पर बकाया

*१२---श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या उद्योग मंत्री कृपया बतलायेंगे कि शाहगंज शुगर मिल के मिलमालिक के जिम्मे सन् १९४८-४९ में दो आना प्रति मन की काटी हुई रकम अब तक आजमगढ़ जिले के किसानों को बकाया है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री—शाहगंज शुगर मिल मालिक के जिम्मे १९४८-४९ सीजन की दो आना प्रतिमन कटौती की कोई रकम आजमगढ़ जिले के किसानों की बकाया नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि आजमगढ़ जिले में किसानों के दो आना प्रतिमन के हिसाब से कितनी रुपये की कटौती हुई थी ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—२४ हजार के करीब।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि उस २४ हजार रुपये में से कितना किसानों को वापिस किया गया ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जहां तक मिल का ताल्लुक है, कुल रुपया कोआपरेटिव बैंक में जमा कर दिया गया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतला सकते हैं कि कोआपरेटिव बैंक के पास भी अब तक आजमगढ़ के किसानों का रुपया बकाया पड़ा हुआ है।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—उन्होंने दे दिया है लेकिन यूनियन जो हैं उनके पास करीब ८ हजार रुपया देने के लिये बाकी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे आजमगढ़ जिले का जो रुपया बकाया पड़ा हुआ है वह वापस कर दिया जाय ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, कोशिश की जायगी।

श्री गोपाल स्वामी आयंगर के देहान्त पर मैनपुरी जिले में सरकारी कार्यालयों का न बन्द होना

*१३—श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—क्या यह सच है कि मैनपुरी जिले में श्री गोपाल स्वामी आयंगर, रक्षा मंत्री के देहान्त के अवसर पर सरकार के आदेशानुसार अदालतें व अन्य कार्यालय बन्द नहीं किये गये ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कलेक्टरेट का दफ्तर बन्द कर दिया गया था। कुछ और दफ्तर बन्द न हो सके।

*१४—श्री वीरेन्द्र पति यादव—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इस आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—मैनपुरी कलेक्टरेट में सूचना लगभग ४ बजे शाम को प्राप्त हुई। इसलिये बाकी दफ्तरों को आदेश न भेजे जा सके।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—मैनपुरी जिले में यह आदेश वायरलेस द्वारा किस समय पहुंचा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—वायरलेस द्वारा पुलिस दफ्तर में ढाई पौने तीन बजे पहुंचा।

श्री वीरेन्द्र पति यादव—मैनपुरी में कौन-कौन से कार्यालय इस आदेश से बंद रहे ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—वह तो कह दिया कि सिर्फ कलेक्टरेट का दफ्तर बंद हुआ और बन्द नहीं हुये।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बतावेगी कि इस सिलसिले में हाईकोर्ट ने क्या आदेश जारी किये ?

श्री गोविंद वल्लभ पन्त—हाईकोर्ट तो मैनपुरी में कोई नहीं है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—जब आदेश ४ बजे पहुंचे तो और कार्यालय क्यों नहीं बन्द किये गये ?

श्री गोविंद वल्लभ पन्त—जब तक उनकी नक़ल वक़ल की गई उसमें लिखा है कि साढ़े चार बज गये उस समय तक दफ्तर वैसे ही बन्द हो जाते हैं और कलक्टर वहां थे नहीं और जगह पहुंचने का समय नहीं रहा।

श्री शिवनाथ काटजू—इस बारे में हाईकोर्ट ने सबार्डिनेट कोर्टस् को, जिनमें मैनपुरी भी शामिल है, क्या आदेश दिये ?

श्री गोविंद वल्लभ पन्त—हाई कोर्ट मैनपुरी से बहुत बड़ा है।

पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कर्घा उद्योग की उन्नति

*२५—श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कर्घा उद्योग की उन्नति के लिये कितना रुपया राज्य सरकार ने खर्च किया है और कितना भारतीय सरकार ने दिया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—राज्य सरकार ने पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कर्घा उद्योग की उन्नति के लिये सन् १९५०-५१ में १.७० लाख रुपया और सन् १९५१-५२ में १.७१ लाख रुपया खर्च किया है। सन् १९५२-५३ में २.१८ लाख रुपया खर्च होने की आशा है।

भारत सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत इस उद्योग की उन्नति के लिये अभी तक कुछ भी धन नहीं दिया है।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९४९-५० और ४८-४९ में, जबकि पंचवर्षीय योजना नहीं थी, २ लाख रुपया और १,२२,०३३ रु० खर्च हुआ ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—पंचवर्षीय योजना सन् १९४९-५० से शुरू हुई। आपने पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में सवाल किया।

श्री बशीर अहमद हकीम—जो रुपया सन् ४९-५०, ५०-५१, ५१-५२ और ५२-५३ में खर्च हुआ है क्या सरकार उसकी तफसील बतावेगी ?

श्री अध्यक्ष—अगर मुख्तसर में है तो बताइयेगा, वरना नहीं।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—कुछ रिसर्च विसर्च हुआ है और बकिया हैन्डलूम के काम में खर्च हुआ है। रिसर्च में सन् ५०-५१ में १८ हजार रुपया, सन् ५१-५२ में १८ हजार रुपया और ५२-५३ में ३० हजार रुपया खर्च किया गया। बकाया हैन्डलूम के प्रचार में खर्च हुआ है।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या कुटीर उद्योग के लिये केन्द्रीय सरकार से कुछ रुपया मिला है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—यह जो करघा उद्योग है इसके सिलसिले में बतलाया गया कि अभी तक कोई रुपया नहीं मिला है।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बतलायेगी कि यह जो रकम बतलाई गई है कि हमारी सरकार हर साल इतना इतना रुपया खर्च कर रही है उसमें केन्द्रीय सरकार की हैन्डलूम फंड की रकम शामिल है, जो सरकार इस प्रदेश को देती है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जी नहीं ।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो कपड़ा कर्घे से पैदा होता है उसकी बिक्री का कोई प्रबंध सरकार ने किया है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—जैसा कि अभी दो तीन दिन हुये बतलाया गया है कि एक ऐसी स्कीम जरूर बनी है कि उसमें मारकेटिंग का काफी इंतजाम किया जाय । यों तो जो हमारे सेंटर्स हैं, हैन्डीक्रैफ्ट्स एम्पोरियम हैं उनके जरिये इस कपड़े की बिक्री की कोशिश की जाती है ।

*१६-१७—श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)—[३० अप्रैल, १९५३ के लिये स्थगित किये गये ।]

देवरिया के कुशी नगर (कसया) में विकास योजना

*१८—श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया के कुशीनगर (कसया) में जो विकास योजना का केन्द्र है उसमें कौन कौन गांव लिये गये हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—जिला देवरिया के कुशी नगर में विकास योजना केन्द्र में जो गांव लिये गये हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५७-३५९ पर ।)

*१९—श्री रामसुभग वर्मा—इन गांवों में किस किस प्रकार के काम शुरू हुये हैं ?

श्री फूलसिंह—उन गांवों में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, जनस्वास्थ्य, शिक्षा व सामूहिक कार्य तथा जनशक्ति के संगठन के जो कार्य आरम्भ हुये हैं उनका विवरण नत्थी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५७-३५९ पर ।)

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि के सुधरे हुये बीज कब और कहां-कहां भेजे गये और इस मद में क्या खर्चा हुआ ?

श्री अध्यक्ष—खर्चे के बारे में तो आप जवाब दे सकते हैं लेकिन कहां कहां भेजे गये इसके लिये मैं इजाजत नहीं देता । यह तो बहुत डिटेल की बात है ।

श्री फूलसिंह—मूल प्रश्न में इसका जिक्र नहीं था इसलिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या सरकार बतलायेगी कि कुशीनगर विकास केन्द्र पर कितना सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हुआ और कितना विकास के कामों पर खर्च हुआ ?

श्री फूलसिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि इस सवाल में इसका जिक्र नहीं था ।

बस्ती जिले के परगनाधीशों के कार्य

*२०—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में सन् १९५२ की पहली जनवरी से सन् १९५३ की पहली जनवरी तक किन किन परगनाधीशों ने किन किन तहसीलों में, कितने कितने दिनों तक काम किया है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—तालिका मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३६०. पर।)

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन तहसीलों से डिप्टी कलेक्टर्स को इतनी जल्दी जल्दी क्यों हटाया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत—शायद आपका मतलब वहां के हाकिम परगना से है कि वह इतनी जल्दी जल्दी क्यों बदले गये ?

श्री धनुषधारी पांडेय—जी हां।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जैसा जरूरी समझा काम की हालत देखकर उनको रखा। मैजिस्ट्रेट ने जिनको रखा था उनका रवैया देखकर उनको बदलवाना चाहा और उनको बदला गया।

बुलंदशहर जिले के जिला सहकारी बैंक में गबन

*२१—श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले के डी० सी० डी० एफ० (डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवेलपमेंट फेडरेशन) में जिला सहकारी बैंक से कितना रुपया कब और कैसे गबन हुआ ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलेपमेंट फेडरेशन लिमिटेड, बुलन्दशहर की कैश बुक में दिनांक १ अगस्त, १९५० को मुबलिग ३,६९२ तीन हजार छ सौ बानबे रुपया श्री ज्ञान चन्द्र मित्तल भूतपूर्व एकाउन्टेन्ट ने जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुलन्दशहर में जमा करना दिखाया है। परन्तु जब वर्तमान एकाउन्टेन्ट श्री कांति स्वरूप ने, जिनकी नियुक्ति दिनांक ७ जून, १९५२ को हुई थी, जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बुलन्दशहर से हिसाब मिलाया तो यह रकम वहां के कागजात में नहीं पाई गई। बैंक के तथा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव डेवलेपमेंट फेडरेशन के कागजातों की काफी जांच-पड़ताल की जाने पर इसका कोई पता नहीं चला।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ३,६९२ रुपये भूतपूर्व एकाउन्टेन्ट ने बैंक में जमा नहीं किये तो अधिकारियों को उसका पता क्यों नहीं चल पाया ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह बतलाना तो इस वक्त मुश्किल है लेकिन बात यह हुई कि उसके बाद जिस बैंक में रुपया जमा था वह बैंक जल गया था और बाद में जो डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर हैं उन्होंने तमाम जिले भर के जितने एकाउन्ट्स थे सबकी जांच करवाई और उस जांच के सिलसिले में वह रुपया जमा किया हुआ नहीं मिला और तब उस पर पुलिस के जरिये से कार्यवाही शुरू हुई।

श्री धर्मसिंह—क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि डी० सी० डी० एफ० के किस-किस अधिकारी ने आज तक क्या क्या तहकीकात की है ?

श्री मंगला प्रसाद—यह काम तो डिस्ट्रिक्ट अधिकारी ने किया है। उसके हुक्म से ही तमाम जगह सारे एकाउन्ट्स की जांच हुई और डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन और इंस्टीट्यूशंस की जितनी इंटरेस्ट हैं वे बैंक के डिपाजिट्स से मिलायी गयीं तो उससे यह एकाउन्ट नहीं मिला और उसके बाद फौरन कार्यवाही शुरू हो गई।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जो यह बैंक जलाया गया उसके पीछे एक बहुत बड़ा षडयंत्र था और उसमें यह ३,६९२ रुपया के अलावा और भी कई केस थे।

श्री मंगला प्रसाद—इसके लिये तो नोटिस की जरूरत है।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये महकमे के बाहर के आडिटर्स इन एकाउन्ट्स की जांच करेंगे?

श्री मंगला प्रसाद—जी हां, जो अब तक आडिटर्स जांच किया करते थे उसमें अब फर्क हो गया है। अब उसके लिये एक अलग डिपार्टमेंट, जिसको फाइनेन्स डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा, कायम हुआ है। उसके आफिसर मुकर्रर कर दिये गये हैं और उसका रिआर्गेनाइजेशन हो रहा है और आइन्दा इस जांच में काफी कड़ाई होगी और इस तरह से होगी जिसमें आइन्दा ऐसे गबन के केसेज में कमी हो जाय और कोशिश यह होगी कि बिल्कुल न हो पायें।

*२२—श्री धर्मसिंह—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त गबन में आज तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री मंगलाप्रसाद—इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दे दी गई है तथा पुलिस ने दिनांक ६ जनवरी, १९५३ को मामले की जांच के लिये केस रजिस्टर कर लिया है। पुलिस ने भूतपूर्व एकाउन्टेन्ट, श्री ज्ञान चन्द्र, को हिरासत में ले लिया है। अब यह मामला पुलिस के अन्वेषण में है।

* * * * * *

मैनपुरी जिले में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिये क्षेत्र

*७—श्री महाराज सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिये जो क्षेत्र चुना गया है वह किसकी राय से चुना गया है?

श्री फूलसिंह—जिला नियोजन समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से परामर्श लिया गया था। इसके अतिरिक्त ट्यूबवेल के कार्यक्रम का भी ध्यान रखा गया है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह राय कौन से वर्ष में ली गयी थी?

श्री फूलसिंह—पार साल।

*८—श्री महाराज सिंह—क्या सरकार मैनपुरी जिले की कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्रामों की सूची मय उनकी पैदावार सन् १३५९ रबी व १३५९ खरीफ मेज पर रखने की कृपा करेगी?

नोट—तारांकित प्रश्न ७ से ९ तक श्री बलवन्त सिंह ने पूछे।

श्री फूलसिंह—कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत ग्रामों की सूची तथा जिला मैनपुरी के १३५९ फसली के औसत पैदावार के आंकड़े संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६१–३६२.पर।)

*९—श्री महाराज सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी ज़िले में जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना चालू की गयी है उसमें कितने ग्राम ऐसे सम्मिलित किये गये हैं कि जिनमें नहर की आबपाशी पहले से की जाती है?

श्री फूलसिंह—मैनपुरी जिले के जिस भाग में कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना लागू की गई है उसमें लगभग ९,९७१ एकड़ में पहिले ही से नहर द्वारा आबपाशी होती है ग्रामों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

कवि यगाना चंगेजी के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री वीरेन्द्र शाह जी ने भेजा है जिसमें एक कवि के सम्बन्ध में लखनऊ में जो घटना हुई उसका जिक्र किया गया है लेकिन इससे यह प्रतीत नहीं होता कि सरकार से इसका क्या सम्बन्ध है तथा उनकी मालूमात की बुनियाद क्या है यानी अखबार से उन्हें यह मालूम हुआ या किस प्रकार से? इन बातों का स्पष्टीकरण इसमें नहीं है।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—अगर आप इजाजत दें तो मैं उसको साफ कर दूं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इस कामरोको प्रस्ताव में आपने उसका जिक्र नहीं किया है। इसके अतिरिक्त रोजमर्रा के इन्तजाम के मामलात में कामरोको प्रस्ताव लाना मैं उचित नहीं समझता। अगर माननीय गृह मंत्री उचित समझें और इस सम्बन्ध में अपना कोई वक्तव्य देना चाहें तो दे सकते हैं। कामरोको प्रस्ताव की मंजूरी मैं नहीं दे सकता।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, जिस घटना के आधार पर यह कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया गया है और उसकी जो रिपोर्ट अखबारों में छपी है वह प्रायः सही है। श्री यगाना चंगेजी नाम के एक शायर हैं जो यहीं लखनऊ में रहते हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे ऐसी शायरी करते हैं जो मजहब के खिलाफ होती है और मुहम्मद साहब के व्यक्तित्व पर आक्षेप करती है और जिनसे आमतौर पर मुसलमानों के दिल दुखने की संभावना है। उनकी कुछ रचनायें किसी उर्दू अखबार में छपीं। उनका कहना है कि उन्होंने किसी को प्राइवेट खत भेजा था लेकिन अखबार वाले ने किसी तरह से उसको पा लिया और छाप दिया। खैर, वह कविता किसी तरह से अखबार में छपी। उसके बाद बड़े अफसोस की बात है कि एक उर्दू के अखबार ने यह भी लिखा कि "अब हम देखेंगे कि मुसलमान लोग इस मामले में क्या अमली कदम उठाते हैं।" ऐसी बातों से लोगों को और उत्तेजना मिली जिनके कारण वह घटना हुई, उनको पकड़ लिया गया और गधे पर बिठाया गया, पुराने जूतों की माला पहनाई गयी और नारे लगाये गये। कुछ दूर चलने के बाद रिक्शा पर बिठाया गया। इसके कुछ देर बाद पुलिस द्वारा उद्धार किया गया। उस छोटे से जुलूस के साथ जो उसके कुछ लीडर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया जिनके ऊपर मुकदमा चलने की बात है। उसकी बाबत मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन यह जो घटना हुई वह बहुत ही शर्मनाक घटना है और बहुत ही गलत मनोवृत्ति का परिचायक है। अगर लोगों को किसी किस्म की शिकायत थी तो वे अदालत में कार्यवाही कर सकते थे। यह देखकर और भी अफसोस हुआ कि इसी लखनऊ के एक उर्दू अखबार ने ३ तारीख के अपने इश्यू में यह लिखा

कि हम उन लोगों को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने इस किस्म की हरकत की और उस हरकत का उसमें पूरा ब्योरा भी दिया हुआ है। इस स्टेज पर उस सम्बन्ध में कुछ कहने की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे सब लोगों को अफसोस होगा कि इस किस्म से कानून को लोगों ने अपने हाथों में लिया और ऐसी बेहूदी चीज लखनऊ जैसे शहर में की गयी।

राजा वीरेन्द्रशाह—श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी इस चीज को देख कर यह नहीं समझते कि अभी भी इस तबके की मनोवृत्ति को बदलना जरूरी है? और दूसरे यह कि जिस अखबार में यह चीज छपी और जब कि इनफारमेशन डिपार्टमेंट मौजूद है, तो फिर उसकी निगाह से यह कैसे गुजर गया कि इस तरह की उत्तेजना फैलाने वाली खबर इस अखबार में छपी और छपने के दो तीन दिन के बाद यह घटना हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस किस्म की मनोवृत्ति को रोकना चाहिये, इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। आज से सौ वर्ष पहले की बात हो, चाहे आज की बात हो, चाहे सौ वर्ष बाद की बात हो, ऐसी मनोवृत्ति को रोकना चाहिये। और जहां तक इनफारमेशन डिपार्टमेंट की बात है, अगर इनफारमेशन डिपार्टमेंट की निगाह में कोई चीज आती है तो जिस रोज अखबार में कोई चीज छपती है उसी दिन या दूसरे दिन उस अखबार के एडिटर को फांसी तो नहीं दी जा सकती। इनफारमेशन डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है और कानूनी बातों को सोचना पड़ता है कि क्या कार्यवाही की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, किस हालत में कार्यवाही हो सकती है या किस हालत में नहीं हो सकती है? इन सब बातों में तो वक्त लगता ही है।

पुलिस स्थायी समिति के उप-निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

श्री अध्यक्ष—पुलिस स्थायी समिति के लिये दो सदस्यों, श्री नारायण दास और श्री शिवराम पाण्डेय की नामजदगी हुई थी लेकिन श्री नारायण दास जी ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसलिये श्री शिवराम पाण्डेय उक्त समिति के सदस्य निर्वाचित हुए।

श्री मदनमोहन उपाध्याय द्वारा सी० आई० डी० वालों के विरुद्ध शिकायत

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस असेम्बली में, और इसके बाहर बरामदे और कमरे में बहुत से सी० आई० डी० वाले रोज सादे भेष में फिरा करते हैं और काफी ज्यादा तादाद उनकी है। वे शायद यह समझते हैं कि हम उनको नहीं पहचानते हैं लेकिन हमारा तो सी० आई० डी० वालों से बहुत पुराना वास्ता रहा है और हम उनको अच्छी तरह से जानते हैं। हम कहां जाते हैं, क्या करते हैं ये सब कार्यवाही वे देखते हैं और कभी-कभी सरकार के पास ऐसी खबर भी पहुंचाते हैं जिससे सरकार को भी कुछ गलत फहमी हो जाती है। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि या तो इन लोगों का यहां आना बन्द कर दिया जाय या अगर आप कहें तो मैं इनको पकड़ कर आपके पास चेम्बर में भी लाने को तैयार हूं, क्योंकि हमारी रक्षा तो उनसे होनी ही चाहिये। इस सदन में तथा इस सदन के आसपास आप ही हमारी रक्षा उनसे कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—आपने मुझे सूचना दे दी लेकिन सी० आई० डी० वालों को पहचानने की कला तो माननीय उपाध्याय जी को ही मालूम है और दूसरे तो इतना नहीं जानते हैं। अगर कोई ऐसी बात हो, कोई खास बात हो जिससे किसी को तकलीफ पहुंचती हो उनसे, तो मुझे जरूर सूचना देंगे, मैं उसके ऊपर विचार करूंगा।

†उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी विधेयक, १९५३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी विधेयक, पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है विचार जारी रहेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगे का प्रोग्राम क्या होगा, क्योंकि आज असेम्बली समाप्त होने वाली है।

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—आज उम्मीद है कि शायद एक दो घंटे में आप लोग यह बिल खत्म कर देंगे। उसके बाद सब लोगों को छुट्टी हो जायगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—कब तक के लिये ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—मुमकिन है कि जितनी छुट्टी आप चाहें उतनी मिलेगी।

श्री अध्यक्ष—कल कुछ बीच के खंड छोड़ दिये गये थे। राजस्व मंत्री बतलायेंगे कि उनको पहले ले लिया जाय। मैं समझता हूं कि १४वां खंड कल पूरा हो गया था।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—जो छूट गये थे पहले उनको ही ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसलिये पहले तीसरा खंड लेता हूं।

*खण्ड ३ (क्रमागत)

श्री कैलाश प्रकाश (जिला मेरठ)—श्रीमान्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"चकबन्दी" का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में विभिन्न खातेदारों के बीच उनकी जोतों के ऐसे पुनर्संगठन से है जिससे कि वे अधिक संहत हो जायं।

यह परिभाषा सरल है, संक्षिप्त है और स्पष्ट है। इस कारण से यह संशोधन मैंने उपस्थित किया है। आशा है सरकार इसे स्वीकार करेगी।

श्री चरणसिंह—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय:—

"चकबन्दी" का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र में विभिन्न खातेदारों के बीच उनकी जोतों के ऐसे पुनर्संगठन से है जिससे कि वे अधिक संहत हो जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने दिया है उसमें गल्ती से "तात्पर्य न निकलता" छप गया है। "न" शब्द उसमें से हटा कर तब मुझे संशोधन पेश करने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष—इजाजत है।

---

† प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक ३१ मार्च, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

*१ अप्रैल, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

श्री कालीचरण टंडन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के वर्तमान उपखंड (१०) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"खातेदार (tenure holder) का तात्पर्य सम्बद्ध भूमि के भूमिधर या सीरदार से है, और यदि प्रसंग से कोई तात्पर्य निकलता हो तो उसके अन्तर्गत उसका अधिवासी और असामी भी है।"

श्री चरणसिंह—जरा सी इसमें गलती है। "न" का रखना आवश्यक है वर्ना उसका तात्पर्य ही बदल जायगा।

श्री अध्यक्ष—"तात्पर्य" के पहले "अन्य" भी रखना चाहिये तब तात्पर्य स्पष्ट होता है।

श्री चरणसिंह—ऐसे ही रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के वर्तमान उपखंड (१०) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"खातेदार (tenure holder) का तात्पर्य सम्बद्ध भूमि के भूमिधर या सीरदार से है, और यदि प्रसंग से कोई अन्य तात्पर्य न निकलता हो तो उसके अन्तर्गत उसका अधिवासी और असामी भी है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*खण्ड १२ (क्रमागत)

श्री रामलखन (जिला बनारस)—श्रीमान् जी, जो प्रस्ताव कल मैंने पश किया था मैं उसको प्रेस करना नहीं चाहता, मैं उसको वापस लेना चाहता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*खण्ड १४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५

सिद्धान्तों का विवरण तैयार करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त।

१५—सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अन्तर्गत सिद्धांतों का विवरण तैयार करने में निम्नलिखित सिद्धान्तों का ध्यान रक्खेगा, अर्थात्—

(१) प्रत्येक खातेदार को जहां तक सम्भव हो उसी हार (block) में भूमि प्रदिष्ट की जाय जिसमें उसके खाते की सब से अधिक भूमि हो;

* १ अप्रैल, १९५३ की कार्यवाही में छपा है।

(२) प्रत्येक गांव में भूमि बांट कर पृथक-पृथक ऐसे हारों (blocks) में रक्खी जाय जिनकी संख्या चकबन्दी संचालक की अनुज्ञा बिना तीन से अधिक न हो और जिनका परिच्छेद (demarcation) निम्नलिखित को ध्यान में रख कर किया जायगा,

(क) गांव म उत्पन्न की जान वाली फ़सलों की किस्म और संख्या;

(ख) मिट्टी की किस्म;

(ग) सिंचाई की सुविधाओं का होना या उनका अभाव; और

(घ) ऐसी भूमि का अस्तित्व जिसमें किसी नदी का पानी आता हो।

(३) केवल उन्हीं खातेदारों को हार विशेष में भूमि मिले जिनकी भूमि पहले से वहां हो;

(४) आबादी के लिए नियत और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक खातेदार को प्रदान किये जाने वाले चकों की संख्या गांव में [गुटों] की संख्या से अधिक न हो उस दशा के अतिरिक्त जब कि केवल एक ही हार हो और भूमि न्यूनाधिक एक सी [न] हो;

(५) एक ही परिवार के खातेदारों को जहां तक संभव हो पास-पास म चक दिये जायं;

(६) खातेदार के निवास गृह की स्थिति अथवा उसके द्वारा की गयी उन्नति (improvement) पर यदि कोई हो, चक प्रदान करते समय विचार किया जाय;

(७) छोटे खातेदारों को गांव की आबादी के समीप, जहां तक व्यवहार्य हो, भूमि प्रदान की जाय;

(८) किसी भी वर्तमान संहत खाता (Compact holding) या फ़ार्म को जो क्षेत्रफल में ६ १/४ एकड़ का या इससे अधिक हो यथासम्भव वितरित अथवा विभक्त न किया जाय;

"(८--क) उपधारा (१) के अधीन गांटों का प्रदान (allotment of plots) लगानी मूल्य (rental value) के आधार पर किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रदान किये जाने वाले गांटों के क्षेत्रफल और मूल गुटों (original plots) के क्षेत्रफल का अन्तर २० प्रतिशत से अधिक न हो।"

(९) अन्य ऐसे सिद्धान्त जो नियत किये जायं।

श्री जयराम वर्मा (ज़िला फ़ैजाबाद)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "प्रदिष्ट" के स्थान पर शब्द "प्रदत्त" रख दिया जाय और इतना और जोड़ना चाहता हूं कि इस विधेयक में जहां जहां पर "प्रदिष्ट" आया है वहां वहां उसके स्थान पर "प्रदत्त" कर दिया जाय।

श्री चरणसिंह—मुझे खेद है कि मैं इसको स्वीकार करने में असमर्थ हूं। इसका कारण यह है कि "अलाटमेंट" के लिये "प्रदिष्ट" शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है, "प्रदत्त" इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रदत्त और प्रदिष्ट में अन्तर है। प्रदत्त का मतलब तो होता है कि "गिफ़्टेड" और प्रदिष्ट का मतलब अलाटमेंट ही होता है।

[ ] प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमन्, इस विधेयक में अलाटमेंट के लिये शब्द "प्रदत्त" लिखा हुआ है। कहीं पर प्रदत्त लिखा जाय और कहीं पर प्रदिष्ट लिखा जाय तो यह ठीक नहीं होगा। अगर प्रदिष्ट ज्यादा उपयुक्त है तो वही रखा जाय और जहां पर प्रदत्त आया है वहां पर भी प्रदिष्ट कर दिया जाय हालांकि यह प्रदिष्ट कामन शब्द नहीं है। लेकिन अगर प्रदिष्ट ठीक मालूम होता है तो वही रखा जाय और मैं इसको वापस लेता हूं।

श्री चरणसिंह—जहां तक मुझे याद है इसमें प्रदिष्ट शब्द का ही प्रयोग हुआ है। और अगर कहीं पर प्रदत्त शब्द आया हो तो उसके लिये माननीय अध्यक्ष अपने कार्यालय में शुद्ध करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप इसको नोट करके मेरे पास भिजवा दीजियेगा।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ में कोष्ठकों में शब्द "[गुटों]" के बाद और शब्द "की" के पूर्व शब्द "हार" रख दिया जाय तथा पंक्ति ५ में दोनों कोष्ठक हटा दिये जायं।

श्री चरणसिंह—जहां तक इसमें आपने दो संशोधन पेश किये हैं उनमें से पहला संशोधन जो है वह तो मुझको स्वीकार है लेकिन उसमें "हार" के स्थान पर अगर "हारों" शब्द हो जाय तो ज्यादा ठीक रहेगा।"

श्री जयराम वर्मा—संशोधन का दूसरा भाग मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन का दूसरा भाग वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (४) की पंक्ति ३ में कोष्ठकों में शब्द "[गुटों]" के बाद और शब्द "की" के पूर्व शब्द "हारों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाश प्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (४) से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं :

"उस दशा के अतिरिक्त जब कि केवल एक ही [गुट] हार हो और भूमि न्यूनाधिक एक सी [न] हो,"

मेरे संशोधन का कारण यह है कि इस समय जो इस उपखंड की भाषा है वह यह है कि आबादी के लिये नियत और सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़ कर प्रत्येक खातेदार को प्रदान किये जाने वाले चकों की संख्या गांव में की संख्या से अधिक न हो उस दशा के अतिरिक्त जब कि केवल एक ही हार हो और भूमि न्यूनाधिक एक सी हो, तो जब यह पहले ही लिख दिया गया कि गुटों की संख्या से अधिक न होगी तो अब इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर एक गुट होगा तो एक ही गुट उसको दिया जायगा। इसलिये यह शब्द जो आगे रखे गये हैं वह व्यर्थ मालूम होते हैं और वह निकाल दिये जायं।

श्री चरणसिंह—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (४) से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायं—

"उस दशा के अतिरिक्त जब कि केवल एक ही [गुट] हार हो और भूमि न्यूनाधिक एक सी [न] हो"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[ ]प्रवर समिति द्वारा निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष---यह संशोधन भी समय के अन्दर नहीं आया है यदि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने को हों तो यह आ सकता है।

श्री चरणसिंह---यह तो स्वीकार न होगा।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (५) में निम्नलिखित वाक्य और बढ़ा दिया जाय---

"तथा यदि कुछ व्यक्तियों के अनेक गांवों में खाते हों तो जहां तक सम्भव हो हर एक को एक एक गांव में जमीन दे दी जाय।"

इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी से बातचीत की थी मगर लिख कर नहीं दिया था, मालूम होता है अधिक काम होने की वजह से आपने ध्यान नहीं दिया। मेरी प्रार्थना है कि गांव की जमीनों की चकबन्दी जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि गांवबन्दी कर दी जाय। कुछ ऐसे भी सगे चार भाई हैं, चारों की बराबर बराबर जमीन चार मौजों में है, और एक गांव यहां है तो दूसरा चार मील पर है, और तीसरा दो मील पर है। इसलिए रखवाली नहीं कर पाते हैं, सिंचाई करने में तकलीफ होती है। पैदावार घटती है। जैसे एक गांव में एक जगह खेती न रहने से दिक्कत पड़ती है, तो यहां तीन तीन गांवों में तीन तीन हिस्से हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि २२-२२ गांवों में २२-२२ हिस्सेदार हैं।

एक सदस्य---"इससे तो जमींदारों का लाभ होगा" शुक्ल जी।

श्री सीताराम शुक्ल---इस वक्त जमींदार कोई रहा नहीं। अब तो सब काश्तकार ही हैं। उनको एक एक मौजे में कर दिया जायगा तो बड़ी खुशी से अपने खेतों को सम्हाल सकेंगे, झगड़े खत्म होंगे। जमीन की पैदावार बढ़ जायगी। फलस्वरूप सरकार का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जायगा। हो सकता है कुछ टेक्निकल बातें हमारे राजस्व मंत्री उठा दें, किन्तु अगर आप चाहेंगे तो वह दिक्कतें दूर की जा सकेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं इसको मूव करता हूं।

श्री चरणसिंह---मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मुझको स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आपने कहा था कि स्वीकार नहीं है? मैंने सुना कि स्वीकार है।

श्री चरणसिंह---मैंने यही कहा था कि स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---खैर, अब तो पेश हो गया।

श्री चरणसिंह---बस तो स्वीकार नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल---अगर आपका हुक्म नहीं है तो मैं एक सिपाही की हैसियत से वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड १५ के उपखंड (५) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (५) (क) के बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं---

"(५-क) जहां तक संभव हो चक समानान्तर बनाये जायं।"

मेरे कहने का आशय यह है कि खेती जो होती है वह सिलसिले में होती है। ईख जहां किसान बोते हैं वे एक सिलसिले में बोते हैं। जब ईख के बाद गेहूं बोते हैं तब सिलसिले में बोते हैं। इससे खेती की रक्षा भी होती है और सहूलियत भी होती है। चक बनाने में तो यह बड़ा मुश्किल है कि सबके चक पैरेलल बनाये जायं बल्कि पांच-पांच, छः छः, आठ-आठ को इस तरह से ब्लाक में लिया जाय ताकि वे खेती बराबर बराबर सिलसिले में कर सकें। मान लीजिये उनकी पट्टी पूर्व पश्चिम पड़ती है तो जो पूर्व की तरफ हैं, पांच सात एक सिलसिले में ईख बो लेंगे, बीच के हिस्से में गेहूं बो लेंगे और तीसरे में कुछ और बो लेंगे। अगर इस तरह होगा तो बहुत सहूलियत होगी। अगर ऐसा हुआ कि एक यहां और एक वहां बोया गया तो टापू की तरह ईख का खेत एक यहां खड़ा होगा और एक वहां खड़ा होगा तो बड़ी अड़चन हो जायगी। यह तो हो नहीं सकता कि सबके सब चक इस तरह बनाये जायं लेकिन पांच-पांच, सात-सात आदमियों के इस तरह से ब्लाक्स हों जो साथ साथ खेती कर सकेंगे। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है जिसमें यह शब्द हैं कि जहां तक सम्भव हो। यह लाजिम नहीं है। जब चकबन्दी अधिकारी अपनी योजना बनाये तो इस बात को भी ध्यान में रख लें। खेत का सिलसिला जो है वह भी हो जाय और हमारे चक भी बन जायं। यह मेरा आशय है। मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे। अगर इसमें किसी शब्द का परिवर्तन अवश्य हो तो मुझे उसके करने में भी कोई रुकावट न होगी।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं समझ नहीं पाया हूं कि माननीय रतनलाल जी क्या चाहते हैं। उन्होंने जिक्र किया कि पांच-पांच, सात-सात आदमियों के चक एक जगह हो जायं ताकि अगर उनको गेहूं बोना है तो गेहूं एक जगह हो जाय और ईख बोनी है तो ईख एक जगह हो जाय। तो इसमें ५–७, १०–२० का भी जिक्र नहीं है और आप जो चाहते हैं कि पैरेलल चक हो जाते हैं, वह कैसे होगा? मान लीजिये कि ८० डिग्री का ऐंगिल हो जाय तो वह पैरेलल नहीं रहेगा। तो ऐसी सब जगह बिलकुल पैरेलल हो जाय यह असम्भव है। और मान लीजिये कि कुछ लोगों का चक एक तरफ है, फिर रास्ता आ गया, फिर दूसरे लोगों का चक एक तरफ है तो जब रास्ता भी ९० डिग्री का बने तभी वह चक उनके पैरेलल होंगे। यह कहां तक मुमकिन हो सकता है? तो चक आम तौर पर रेक्टेंगुलर बनाने की कोशिश की जायगी। जैसा जहां मौका होगा, जितनी सहूलियत हो सकेगी किसानों को देने की कोशिश की जायगी। लेकिन इसमें "समानान्तर" शब्द लगा देना उससे कोई फायदा मुझे नजर नहीं आता, वर्ना मैं इसे स्वीकार कर लेता। मैं समझ ही नहीं पाया कि कैसे उसका उद्देश्य पूरा होता है? यह तो चक किये जा रहे हैं और यह ख्याल किया जायगा कि किस हार में कैसी फसल होती है। जब वह हार देंगे कुछ लोगों को तो सब लोग वैसी ही फसल बोयेंगे। समानान्तर होने से कैसे फर्क पड़ता है, यह मैं समझ नहीं पाया।

श्री रतनलाल जैन—मुझे खेद है कि मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका। एक हार है और उसमें २०–२५ काश्तकार हैं। सबकी जमीन अलग अलग, सब के ब्लाक्स अलग अलग होंगे, तो हर एक अपने अपने ब्लाक में बोयेगा। अगर किसी को ईख बोनी है, एक ने यहां बोई, दूसरे ने अपने हार में बोई, तीसरे ने अपने हार में बोई, तो जितनी ईख होगी उन तमाम किसानों के जो हार हैं उनके बीच में दूसरी खेतियां होंगी। इस तरह से ईख को ही लें तो जगह जगह पर ईख होगी, बीच बीच में कहीं गेहूं होंगे, कहीं कुछ और होगा। मेरे कहने का मतलब यह था कि यह तो सम्भव नहीं है कि सारे के सारे अगर ५० काश्तकार हैं उनकी लम्बी लम्बी पट्टियां डाल दी जायं क्योंकि पट्टियां बहुत पतली हो जायंगी। इसलिये मेरा यह आशय था कि हार तो बड़ा एक ही हो, मगर पांच सात काश्त-

[श्री रतनलाल जैन]

कारों के हार पट्टियां सी हो जायं ताकि पांच-पांच, सात-सात किसान एक चीज की खेती को एक सिलसिले में कर सकें, यह मेरे कहने का आशय था। यह मेरे कहने का आशय नहीं था कि एक हार के बहुत से टुकड़े कर दिये जायं, बल्कि एक हार में कुछ किसानों को जैसे पांच हैं या सात हैं, उनकी कुछ पट्टियां सी हों, चाहे वह पूरब की हों, पश्चिम की हों, उत्तर की हों। मेरे कहने का आशय यह था कि इस तरह से उनकी जो खेती होने वाली है वह एक सिलसिले में हो जाय और उनमें दिक्कत जरा कम पड़े।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर हमारे मंत्री जी इसको स्वीकार करना चाहें तो कर लें वरना मैं इसे वापस ले लूंगा।

श्री चरणसिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी बहुत माफी चाहता हूं कि मैं अब भी नहीं समझ पाया। अगर बाद में माननीय रतनलाल जी मुझको समझा पायेंगे तो रूल्स में वह आ जायगा, लेकिन अब तो मैं तसलीम करता हूं कि बिल्कुल डेलनेट है, मेरी समझ में आई नहीं है वह बात।

श्री रतनलाल जैन--मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं--

खंड १५ के उपखंड (७) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

"(७) सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ५ एकड़ अथवा उससे कम जोत वाले छोटे खातेदारों को गांव की आबादी के समीप और जहां तक संभव हो पास-पास भूमि प्रदान की जाय।"

मैं, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ इसमें दिया हुआ है कि छोटे खातेदारों को गांव की आबादी के समीप, और जहां तक सम्भव हो पास-पास भूमि प्रदान की जाय, इसमें यह संशोधन करना चाहता हूं कि ऐसे छोटे खातेदारों को अगर पास-पास जमीन दी जाये तो अच्छा होगा ताकि वह आसानी के साथ खेती कर सकें। मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन को पढ़ रहा हूं और मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। संशोधन यह है कि--

खंड १५ के उपखंड (७) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

"(७) सहकारी खेतों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ५ एकड़ अथवा उससे कम जोत वाले छोटे खातेदारों को गांवों की आबादी के समीप और जहां तक संभव हो पास-पास भूमि प्रदान की जाय।"

श्रीमन्, माननीय मलखान सिंह जी चाहते हैं कि उन काश्तकारों के पास या खातेदारों के पास जिनके पास ५ एकड़ अथवा उससे कम भूमि है, पास-पास जमीन दी जाय और जहां तक सम्भव हो आबादी के समीप दी जाये। लेकिन श्रीमन्, इसमें दिक्कत और कठिनाई यह है, और जहां तक विरोधी दल का सम्बन्ध है कल से ही सदन में यह प्रश्न उठ रहा है कि

इस चकबन्दी विधेयक से किसी के टाइटल का भी निबटारा किया जा सकता है। श्रीमन्, यह विधेयक केवल चकबन्दी से वास्ता रखता है। जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन का सम्बन्ध है इसके माने न पार्टीशन हो सकते हैं और न डिस्ट्रीब्यूशन। यह केवल वह विधेयक है जिससे स्कैटर्ड प्लाट्स को यकजा किया जा सके और उनको आर्गेनाइज किया जा सके। तो जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है उसका उद्देश्य एक दूसरा है जो कि इस संशोधन से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखता। यह जमीनें जो गांव समाज या गांव प्रबन्धक समिति को मिलेंगी, या असल में जमींदारी एबालीशन ऐंड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट, १९५१ के अधीन है। जहां तक यह कहा जाता है कि कोआपरेटिव फार्म्स को प्राथमिकता दी जाये तो यह बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी आज्ञा से जमींदारी एबालीशन अधिनियम की धारा १९८ पढ़ रहा हूं। उसमें लिखा है—

"In admitting any person as sirdar or asami under section 195 or197, the Gaon Sabha shall subject to the rules framed or order made by the court under section 178 or 237 observe the following order of preface—

(a) A co-operative farm established under this Act, holding land within the jurisdiction of the Goan Sabha, to enable it to possess a suitable area of agricultural or culturable land"

[धारा १९५ या १९७ के अधीन किसी व्यक्ति को सीरदार या असामी के रूप में भूमि उठाते समय गांव-सभा, धारा १७८ या २३७ के अधीन बने नियमों या न्यायालय की आज्ञा को घोषित न करते हुए, निम्नलिखित तारतम्य का अनुसरण रखेगी—

(क) इस अधिनियम के अधीन स्थापित ऐसा सहकारी फार्म जिसके पास उस गांव सभा के अधिक्षेत्र में स्थित भूमि हो, ताकि उसके कब्जे में कृषि सम्बन्धी या खेती-योग्य पर्याप्त भूमि आ सके. . . .]

तो श्रीमन् जहां तक कोआपरेटिव फार्म का प्रश्न है उसको एक प्राथमिकता दी गई है, लेकिन यह कहना कि जमीन समीप दी जाये एक विचित्र सी बात प्रतीत होती है। अब सुनने में आया है कि हमारे माल मंत्री जी फरमाते थे—मैं आपके द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. . . . .

श्री अध्यक्ष—यह कुछ असंगत सा प्रतीत हो रहा है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—माल मंत्री जी यह फरमाते थे कि वह एक ऐसी कमेटी बनाने जा रहे हैं जिसके सुपुर्द यह काम किया जा रहा है कि वह जमीनें, जो कि सन् १९४६ के बाद किसी तरह से समरी पावर्ज से नाजायज करार दी गई हैं। श्रीमन्, मुझे यह आश्चर्य है. . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि वह तो निपट चुका है। अब वह मामला है नहीं। यह असंगत सा हो रहा है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—तो मैं नहीं कहूंगा। उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। ऐसी परिस्थिति में यह जो प्राथमिकता है वह तो है ही नहीं। जमीन उसी जगह मिल सकती है जहां कि जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के मुताबिक उसकी पड़ती है। यह नहीं हो सकता कि इस चकबन्दी विधेयक के अनुसार आप किसी को जमीन दिलवा दीजिए या करीब दिलवा दीजिए या दूर कर दीजिए। इसलिये यह चीज न रहे तो मैं समझता हूं कि बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, जब कानून बनाने का सवाल हो तो उस समय पार्टी स्पिरिट कतई तौर से न हो तो यह बहुत अच्छा होता है। हर जगह पर इस बात को रखना कि छोटे काश्तकार के लिए यह हो और बड़े के लिए न हो तो यह बहुत जगहों पर अन्यायसंगत हो जाता है। जो इस समय यह कानून में रखा गया है, यह इसका सब-सेक्शन ७ है "छोटे काश्तकारों को गांव की आबादी के समीप जहां तक व्यवहार्य हो, भूमि प्रदान की जाय," तो यह इतने अच्छे शब्द इसके अन्दर रखे गये हैं कि इसमें जो लैंड मैनेजमेंट कमेटी है उनके लिये पूरे तरीके से स्कोप उनको दे दिया है, मौका दे दिया है कि वह इसको देख करके जहां जैसी सुविधा हो उसके अनुसार जमीन दी जाय। अब आप उनके ऊपर यह प्रतिबन्ध लगायें कि नहीं जो ५ एकड़ वाले हैं उनको तो गांव के समीप दिया ही जावे, मैं यह कहता हूं कि यह ५ एकड़, या दो एकड़ या एक एकड़ वाली बात सब जगह निभने वाली नहीं है। कहीं पर ऐसे किसान हो सकते हैं कि जहां छोटे से छोटा किसान १० एकड़ का हो तो वहां पर यह बात नहीं लगेगी। वहां पर यह बात तो लग सकती है कि जो किसान छोटे हों, क्योंकि यह जो शब्द छोटे और बड़े का है यह कोई ऐसे टर्म तो हैं नहीं कि बाधित हो रहे हैं कि इतने तक जो किसान होगा वह छोटा कहलायेगा और इससे बड़ा-बड़ा कहलायेगा। यह तो ऐसे शब्द हैं कि अगर किसी जगह बहुत बड़े-बड़े किसान हैं तो वहां पर जो उनसे छोटे हैं वह छोटे गिने जाते हैं। और अगर कहीं पर मान लीजिये कि छोटे ही छोटे लोग हैं और वहां पर एक एकड़ वाले या आधे एकड़ वाले या बहुत सी जगह डेढ़ामल वाले किसान हैं तो वहां पर उसको छोटा गिना जायगा। तो यह प्रतिबन्ध करना कि ५ एकड़ वाले जो हैं उनको गांव के समीप दी जाय और उससे ऊपर वालों को गांव से दूर जमीन दी जाय तो यह चीज व्यावहारिक नहीं होगी। तो इसमें जिस विचार धारा को लेकर के यह बात लिखी जाती है और यह संशोधन पेश किया जाता है तो मैं तो उन सोशलिस्ट भाइयों से यह प्रार्थना करूंगा कि वह छोटे और बड़े की इस बात को छोड़ें और कानून को ऐसा बनवाने का प्रयत्न करें कि जो सब जगह लागू हो सके। और इतना इलैस्टिक, इतना फैलने वाला हो कि वहां की परिस्थितियों और वहां की हालात को देखकर के ठीक ढंग से वह वहां लागू हो सके और फिर उसमें दुबारा संशोधन करने की आवश्यकता न हो। इसलिये श्रीमन्, माननीय मलखान सिंह जी ने जो संशोधन किया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संशोधन का विरोध करता हूं। दलीलें मेरी प्रायः वही हैं जो कि माननीय बलवन्त सिंह जी ने कही हैं। अधिकतर किसान ५ एकड़ से नीचे के ही होंगे। करीब-करीब हर गांव में यही हालत है। तो मेजारिटी किसानों की जब ५ एकड़ से कम की है तो उन सब के लिए यह कैसे मुमकिन होगा कि सबको गांव के पास एक दूसरे के नजदीक ही नजदीक जमीन मिल जाय? जो संशोधन है वह यह है कि "सहकारी खेतों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ५ एकड़ अथवा उससे कम जोत वाले छोटे खातेदारों को गांवों की आबादी के समीप, और जहां तक सम्भव हो पास-पास भूमि प्रदान की जाय।" तो पास-पास तो सबकी ही होगी लेकिन यह कि गांव के नजदीक ही ५ एकड़ से कम वालों को सबको मिल जाय यह जहां कि ९० परसेंट या ८० परसेंट या ७० परसेंट भी काश्तकार ऐसे हों, वहां यह मीनिंगलेस हो जाता है।

यह हमने पहले से ही रखा है कि जहां तक हो सके छोटे किसानों को जमीन गांव के पास देने की कोशिश की जायगी और यही ठीक है। जैसा माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि हमको इसकी धाराओं को लचकीली बनाना चाहिये ताकि जैसे हालात जिस गांव के हों वहां से फिट इन हो सकें। इस तरह से रिजिड बना देना ठीक नहीं है। रहा यह कि कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये, सहकारी खेती के लिये आसानी होगी, असल में

सहकारी खेती भी ऐसा लफ्ज है कि जिसके माने कोई कुछ लेता है कोई कुछ लेता है। जब चकबन्दी हो जायगी तो लोगों को आपस में मिल करके जैसे कोलैबोरेशन होता है, जिसे एक दूसरे की मदद कहते हैं, वह करना आसान हो जायगा और कोआपरेटिव फार्मिंग भी वैसे आसान हो जायगी अगर आप कोआपरेटिव फार्मिंग करना चाहें। लेकिन यह शर्त रखना कुछ जचता नहीं है। अगर कोई सहूलियत होती तो मैं संशोधन को जरूर स्वीकार कर लेता। मैं समझता हूं कि ठाकुर साहब इसे वापस ले लेंगे।

श्री मलखान सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बलवन्त सिंह जी ने मेरे संशोधन के विरोध में सोशलिस्ट पार्टी पर भी एक लाञ्छन लगाया कि वह छोटे और बड़े के शब्दों को यहां ले आती है। मैं उनका ध्यान खंड १५ के उपखंड ७ की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसको सरकार खुद पेश कर रही है। तो यह दोष लगाना कि हम छोटे काश्तकारों और बड़ों की बात करते हैं, यह खुद सरकार की तरफ से क्यों हुआ है कि छोटे खातेदारों को गांव की आबादी के समीप, जहां तक व्यवहार्य हो, भूमि प्रदान की जाय? अगर ऐसी कोई बात है कि पांच एकड़ से उनको कोई चिढ़ है, जैसा उन्होंने कहा कि छै एकड़ भी हो सकता है, ८ एकड़ भी हो सकता है, तो यह शब्द 'पांच' जो मेरे संशोधन में आया है, उसको निकाल दिया जाय, और यह रख दिया जाय 'कि छोटे काश्तकारों को गांव की आबादी के समीप, जहां तक व्यवहार्य हो भूमि प्रदान की जाय और पास-पास दी जाय।" इसमें मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को भी कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। किसी के पास दो बीघा भूमि है, किसी के पास ४ बीघा भूमि है, किसी के पास एक एकड़ भूमि है, ऐसे लोगों के लिये जहां तक आपने यह रखा है कि जहां तक संभव हो, उनको जमीन गांव के पास दी जायगी, और जैसा उनका कहना है कि पास-पास तो उनको जमीन हो ही जायगी, तो मैं समझता हूं कि जो मेरा संशोधन है उसको इस तरह से लिया जाय.....

श्री चरणसिंह—वह जैसा है वैसा ही ठीक है।

श्री मलखान सिंह—जब आप स्वयं कहते हैं कि वे पास ही पास होंगे तो ये शब्द और बढ़ा दिये जायं—

श्री अध्यक्ष— किस तरह से होगा?

श्री मलखान सिंह—इस तरह से होगा: "छोटे खातेदारों को गांव की आबादी के समीप, जहां तक व्यवहार्य हो, पास-पास भूमि प्रदान की जाय।" मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री महोदय को कोई अड़चन नहीं होना चाहिये और इसको स्वीकार कर लेना चाहिये। अगर उनकी मंशा यह है कि स्वीकार न करें तो फिर मेरे लिए सिवाय इसके और कोई बात नहीं रह जाती कि मैं इसे वापस ले लूं।

श्री चरणसिंह—ठाकुर साहब अगर यह मेहरबानी करें तो मैं उनका बहुत मशकूर हूंगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री मलखान सिंह से) उनका मतलब यह है कि आप की बात तो उन्होंने मान ली लेकिन उसी में इसका अर्थ निकल आयेगा।

श्री मलखानसिंह—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

[श्री नन्द कुमार देव वशिष्ठ]

खंड १५ के उपखंड (७) की पहली पंक्ति में शब्द "को" और शब्द "गांव" के बीच में शब्द "जहां तक हो सके" जोड़ दिये जायं और उसमें से दोनों अर्द्धविराम और शब्द "जहां तक व्यवहार्य हो" निकाल दिये जायं।

श्री चरण सिंह---मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (७) की पहली पंक्ति में शब्द "को" और शब्द "गांव" के बीच में शब्द "जहां तक हो सके" जोड़ दिये जायं और उसमें से दोनों अर्द्धविराम और शब्द "जहां तक व्यवहार्य हो" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं अपने इस संशोधन के प्रस्ताव को उपस्थित करने के पहले आपका ध्यान ८-क की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें "allotment of plots" आया हुआ है जिसके लिये हिन्दी का अनुवाद "गाटों का प्रदान" है। यही मैंने उस बार कहा था कि अलाटमेंट के लिये कहीं प्रदान शब्द है और कहीं आदिष्ट शब्द है। यह एक कर दिए जायं जिससे कि उसके अर्थ में कोई कठिनाई न हो।

श्री अध्यक्ष---यह आप कहां से कह रहे हैं?

श्री जयराम वर्मा---१५ का ८-क।

श्री अध्यक्ष---यह तो संशोधन ४६ है।

श्री जयराम वर्मा---मैं आप को सिर्फ अलाटमेंट शब्द को ठीक करने के लिये संकेत कर रहा था।

श्री अध्यक्ष---लेकिन यह तो संशोधन दूसरा है और आप संकेत दूसरा करें तो बड़ी मुश्किल होगी। आप ४६ ही पेश करें।

श्री जयराम वर्मा---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ के उपखंड (८-क) के प्रतिबन्ध की पंक्ति १ में शब्द "गुटों (original plots)" के स्थान पर शब्द "गाटों (original plots)" रख दिये जायं।

श्री चरण सिंह---गुटों से गाटों सही है, मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १५ के उपखंड (८-क) के प्रतिबन्ध की पंक्ति १ में शब्द "गुटों (original plots)" के स्थान पर शब्द "गाटों (original plots)" रख दिये जायं।

श्री चरण सिंह---सब जगह प्लाट के लिये गाटों और ब्लाक के लिये हार आया है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन तो पेश नहीं करना चाहता लेकिन एक बात कहने के लिये आप मुझे इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष---यों तो मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप पेश करके वापस ले सकते हैं।

(श्री केशव गुप्त फिर नहीं उठे।)

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य)—अध्यक्ष महोदय, मैंने एक छोटा सा संशोधन दिया है जो इसमें विशेषतया और बाकी औरों में भी लागू होता है।

श्री अध्यक्ष—चूंकि यह और भी क्लाजेज में आया है। आखिर में एक संशोधन रख दें तो ज्यादा मुनासिब होगा। आप किसी को कह रखिये। २, ३ बजे के करीब उसे रखवा दीजिये तो तब आखिर में मैं ले लूंगा।

(कुछ ठहरकर)

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१६—(१) धारा १५ के अन्तर्गत तैयार किया गया सिद्धांतों का विवरण गांव में प्रकाशित किया जायगा और इसकी एक प्रति चकबन्दी अधिकारी के पास भेज दी जायगी।

सिद्धांतों का विवरण का प्रकाशन तथा उस पर आपत्तियां

(२) ऐसा व्यक्ति, जिस पर योजना का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, ऐसे प्रकाशन के दिनांक से ७ दिन के भीतर, नियत रीति से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

श्री जयराम वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द व अंक "धारा १५" के स्थान पर शब्द व अंक "धारा १४" रख दिये जायं।

श्री चरण सिंह—यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द व अंक "धारा १५" के स्थान पर शब्द व अंक "धारा १४" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड १६ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में अंक "७" के स्थान पर अंक "१५" रख दिया जाय।

श्री चरणसिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में अंक "७" के स्थान पर अंक "१५" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

१७—(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १६ के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों पर, यदि आवश्यक हो तो, पक्षों की सुनवाई करने के बाद भूमि प्रबन्धक समिति के विचारों

सिद्धान्तों के विवरण पर की गयी आपत्तियों का निस्तारण

को ध्यान में रख कर उन आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो नियत रीति से आपत्तियों को निस्तारित करेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो, अन्तिम होगा।

(३) चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अपील अथवा आपत्ति का निर्णय करने से पूर्व जैसी भी दशा हो, सम्बद्ध पक्षों को तथा भूमि प्रबन्धक समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् गांव का स्थानीय निरीक्षण करेंगे।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में अंक "१५" के स्थान पर अंक "२५" रख दिया जाय।

श्री चरणसिंह—मुझे अस्वीकार है क्योंकि १५ दिन बहुत होते हैं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८

सिद्धान्तों के विवरण की पुष्टि।

१८—यदि धारा १६ में निर्दिष्ट अवधि के भीतर सिद्धान्तों के विवरण पर कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की जाती अथवा यदि उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की जाने के बाद अन्तिम रूप से निस्तारित हो चुकी हों, तो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ऐसे परिष्कारों और परिवर्तनों के बाद जो धारा १७ के अन्तर्गत दी गयी आज्ञा को, यदि कोई हो, ध्यान में रखते हुये आवश्यक हों, विवरण का पुष्टीकरण करेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार पुष्टीकृत विवरण अन्तिम होगा, और गांव में प्रकाशित किया जायगा।

श्री चरणसिंह—श्री श्रीचन्द्र का जो संशोधन है कि बाद के बजाय पश्चात् कर दिया जाय तो सवाल यह है कि यह शब्द "बाद" पढ़ लिया जाता है जिससे बड़ी गड़बड़ी होती है। लिहाजा यह संशोधन ठीक है।

श्री अध्यक्ष—आप किसी से पेश करवा दें या खुद आप इसको पेश कर दें।

श्री चरणसिंह—बात यह है कि यह शब्द और भी कई जगह आया है।

श्री अध्यक्ष—तो ऐसा कर दिया जाय कि जो जनरल वाले इस तरह के संशोधन हैं उनको एक साथ पेश कर दें।

श्री चरणसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १८ की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "बाद" के स्थान पर शब्द "पश्चात्" कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ की पंक्ति ३ व ४ में शब्द "बाद" के स्थान पर "पश्चात्" कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १९

प्रस्तावों का विवरण।

१९—(१) धारा १८ के अन्तर्गत विवरण के पुष्टीकरण के बाद ही, सहायक चकबन्दी अधिकारी विवरण के अनुसार नियतरूप से प्रस्तावों का विवरण तैयार करेगा जिनमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे :—

(क) प्रत्येक खातेदार के सम्बन्ध में धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ख) में वर्णित ब्योरे;

(ख) प्रत्येक खातेदार के खाते के वर्तमान गाटों के बदले में प्रदान किये जाने वाले प्रस्तावित गाटों की खसरा संख्या, उनमें अधिकारों का प्रकार तथा लगानी मूल्य (Gental value) तथा इस प्रकार निर्दिष्ट खेतों का मिट्टी के अनुसार वर्गीकरण;

(ग) 'ख' के प्रस्तावों के समर्थन में संक्षिप्त कारण;

(घ) पेड़ों और कुओं, इमारतों या किसी अन्य उन्नति (improvement) के लिये नियत रीति से आकलित प्रतिकर;

(ङ) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये क्षेत्र नियत और ऐसे क्षेत्रों का विन्यास (layout) और उनका लगानी मूल्य;

(च) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(२) प्रस्तावों के विवरण के साथ गांव का नक्शा भी होगा जिसमें गाटों का प्रस्तावित क्रम प्रदर्शित होगा।

(३) यदि प्रस्तावों का विवरण तैयार करते समय सहायक चकबन्दी अधिकारी को यह आवश्यक प्रतीत हो कि योजना के अन्तर्गत किसी खाते के साथ किसी ऐसी भूमि का संयोजन आवश्यक है जो सार्वजनिक या सामान्य प्रयोजनों के उपयोग में आती है तो वह इस आशय का प्रख्यापन करेगा और इस प्रख्यापन में बतलायेगा कि उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर जनता के और सभी व्यक्तियों के अधिकार, विवरण में सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट अन्य किसी भूमि में हस्तांतरित कर दिये जायेंगे और जब अधिकार इस प्रकार हस्तांतरित कर दिये जायं, तो वे उस भूमि के सम्बन्ध में जिससे कि वे हस्तांतरित किये गये हों, समाप्त हो जायेंगे।

(४) प्रस्तावों का विवरण भूमि प्रबन्धक समिति का परामर्श लेकर नियत रीति से तैयार किया जायगा।

(५) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी और भूमि प्रबन्धक समिति के बीच प्रस्तावों के विवरण सम्बन्धी किसी भी विषय में मतभेद हो तो वह विषय बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पास अभिदिष्ट किया जायगा जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम होगा।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (१) के भाग (घ) की पंक्ति १ में से शब्द "और" तथा शब्द "या" निकाल दिये जायं तथा पेड़ों के पश्चात् "अर्धविराम" और शब्द "या" के स्थान पर शब्द "तथा" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—इसमें शब्द "तथा" के बजाय शब्द "अथवा" कर दिया जाय तो मुझे स्वीकार है।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति ९ में से शब्द "और" तथा शब्द "या" निकाल दिये जायं तथा पेड़ों के पश्चात् अर्धविराम "," और शब्द "या" के स्थान पर शब्द "अथवा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रतीप सिंह राणा (जिला मेरठ)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के उपखंड (१) के भाग (ङ) के बाद निम्नलिखित भाग (ङङ) बढ़ा दिया जाय—

"(ङङ) खातेदार द्वारा प्रदिष्ट गाटों की देय मालगुजारी या लगान।"

यह आवश्यक है। इसमें इसका जिक्र नहीं था। जो लगान या मालगुजारी जिस खातेदार की उसमें हो वह इसमें आना आवश्यक है।

श्री अरगौंसिंह—मुझको स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के उपखंड (१) के भाग (ङ) के बाद निम्नलिखित भाग (ङङ) बढ़ा दिया जाय—

"(ङङ) खातेदार द्वारा प्रदिष्ट गाटों की देय मालगुजारी या लगान।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २०

विवरणों पर आपत्तियां

२०—(१) धारा १९ के अन्तर्गत तैयार किया गया प्रस्तावों का विवरण गांव में प्रकाशित किया जायगा।

(२) ऐसा व्यक्ति जिस पर प्रस्तावों का प्रभाव पड़ने की संभावना हो, प्रकाशन के दिनांक से २१ दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(३) जनता में से कोई प्रभावित व्यक्ति अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक भूमि में या सार्वजनिक भूमि पर सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य कोई सत्व या अधिकार प्राप्त हो अथवा अन्य कोई ऐसा सत्व या अधिकार प्राप्त हो जिस पर धारा १९ की उपधारा (१) के खंड ग और उपधारा (२) के अन्तर्गत प्रस्तावों से वस्तुतः विपरीत प्रभाव पड़ता हो तो वह उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रख्यापन प्रकाशित होने के दिनांक से २१ दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उक्त सत्व अथवा अधिकार का प्रकार और वह रीति जिसमें उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो, तथा तदर्थ प्रतिकर के दावे के सम्बन्ध में ब्योरे तथा उसकी धनराशि बताते हुए, आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक मार्ग के अधिकार के हस्तांतरण अथवा न्यूनीकरण के कारण कोई भी दावा नहीं गृहीत किया जायगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं श्री रतनलाल जैन का संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

खंड २० के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ में शब्द "दावा" के पश्चात् शब्द "प्रतिकर का" बढ़ा दिये जांय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २० के प्रतिबन्ध की पंक्ति २ में शब्द "दावा" के पश्चात् शब्द "प्रतिकर का" बढ़ा दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २१

विवरण पर की गई आपत्तियों का निस्तारण।

२१---(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा २० के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों पर यदि आवश्यक हो तो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के बाद उन आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा जो उस स्थिति को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था धारा २२ में कीगयी है, इन आपत्तियों का निस्तारण नियत रीति से करेगा।

(२) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय, जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो, अन्तिम होगा।

(३) चकबन्दी अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) आपत्ति अथवा अपील की जैसी भी दशा हो, निर्णय करने के पूर्व सम्बद्ध पक्षों तथा भूमि प्रबन्धक समिति को उचित सूचना देने के पश्चात् गांव का स्थानीय निरीक्षण करेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में अंक व शब्द "१५ दिन" के स्थान पर अंक व शब्द "३० दिन" रख दिये जांय।

खंड २१ का उपखंड (२) इस प्रकार है---

"कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (१) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध हो, आज्ञा के दिनांक से १५ दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसका इस सम्बन्ध में निर्णय, जब तक कि इस अधिनियम द्वारा अथवा इस अधिनियम में अन्यथा व्यवस्था न हो, अन्तिम होगा।"

श्री गजेन्द्र सिंह---इस संशोधन के पेश करने की मेरी मंशा यही है कि इसमें अपील के लिये केवल १५ दिन की गुंजाइश की गयी है। इसलिये जैसा कि मैंने कल कहा था कि किसान को अपील के लिये पैसे और वकील का इन्तजाम करने में वक्त की जरूरत होगी इसलिये मैं आशा करता हूं कि १५ दिन के बजाय माननीय मंत्री जी ३० दिन कर देंगे तो अच्छा है, इससे किसान को कुछ सुविधा हो जायगी।

श्री चरण सिंह---मुझे अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता और इसके लिये जो वजह कल मैंने दी थी वही आज भी है कि अगर कोई १५ दिन में इन्तजाम नहीं कर सकता तो वह ३० दिन में क्या इन्तजाम कर सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि कोई बेपढ़ा है, गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिये ३० के बजाय ४५ दिन की म्याद कर दी जाय। इसके अलावा इससे चकबन्दी में देर भी लगेगी।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गजेन्द्र सिंह ने जो संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जो आदमी १५ दिन में अपील नहीं कर सकता तो फिर ३० दिन में क्या कर सकता है। श्रीमन्, इसमें तो बिल्कुल ही अंधेर की बात है। अगर ऐसा होता तो सिविल कोर्ट में २-२, ३-३ महीने की म्याद क्यों दी जाती। मेरी समझ में नहीं आता कि यह किस उसूल की बात है। मैं समझता हूं कि यह गैर जिम्मेदाराना तरीके पर बातें कर दी जाती हैं। एक तरफ तो १५ दिन ही काफी समझा जाता है दूसरी तरफ इनकम टैक्स के सिलसिले में १ साल के बजाय २ साल कर दिये जाने की सिफारिश की जाती है। लोगों ने जो इनकम छिपा ली है उसको ढूंढने में सरकार को एक साल में पता नहीं चलेगा अब दो साल में चला करेगा और खास हाउस के सामने उसके लिये १ साल के बजाय दो साल का समय माना गया था। लेकिन इनके लिये कहा जाता है कि १५ दिन का समय बहुत काफी है। १५ दिन क्या एक महीने में तो गांव का आदमी बिचारा यही नहीं समझ पाता कि उसके खिलाफ क्या हुक्म हुआ है। वह गांव के प्रधान के पास जायगा, वकीलों को देगा, कुछ चीज बेचकर या गिरवी रखकर वह कुछ रुपये का इन्तजाम करेगा। ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि १५ दिन बहुत काफी हैं, मेरे ख्याल में उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने संशोधन उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पंजाब के ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं जहां से उन्होंने इसकी प्रेरणा ली है और जहां चकबन्दी में सबसे अधिक सफलता मिली है। पंजाब में जिस तरह से मौका दिया गया है वह पंजाब ऐक्ट की धारा ७ (३) और उसके आगे की धाराओं में दिया हुआ है। उसमें तो समय की कोई बाधा है ही नहीं। वह केवल कलेक्टर के पास अपने आब्जेक्शन को भेज देगा और कलेक्टर पार्टीज को बुलायगा वहां यह लिखा हुआ है :—

"If the consolidation Officer fails to remove any objection, he shall submit the scheme with his recommendation concerned and hearing them, if they so desire, may reject the scheme or confirm it with or without modification as he deems proper, or may make or cause to be make such further enquiry as he may think necessary and thereafter may reject the scheme or confirm it with or without modification as he deems proper."

इसके साथ ही साथ सन् ४९ के ऐक्ट की धारायें १५ और १८ की ओर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वे धारायें लम्बी चौड़ी हैं उनको पढ़कर मैं सदन का समय तो नहीं लेना चाहता लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि वहां पर कैसा प्रोसीजर रखा गया है। यदि इन धाराओं को माननीय मंत्री जी देखेंगे तो उनको माननीय गजेन्द्र सिंह का संशोधन कुछ कम ही नजर आयगा, नाजायज नहीं दिखेगा इतना ही कहकर मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन के खिलाफ बोलते हुए माननीय मंत्री महोदय ने यह दलील दी कि इसमें देर होगी। कल भी जब मैंने इस किस्म का संशोधन रखा था तो उन्होंने यही कहा था कि इसमें देर होगी, और जो १५ दिन में फैसला नहीं करेगा वह ३० दिन में भी क्या करेगा। मैंने उनकी बात मान ली थी क्योंकि मैं भी समझता था कि उसमें देर होगी और इससे किसानों का कोई विशेष नुकसान भी नहीं हो सकता। लेकिन जो संशोधन मैंने इस समय रखा है जिसके लिये माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि इससे देर होगी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इससे कुछ दिन देर भी होती है तो उस देर को उन्हें होने देना चाहिये क्योंकि इससे किसानों का ज्यादा हित हो जायगा।

अगर किसानों को मुनासिब टाइम नहीं मिलता है कि रुपये-पैसे का इन्तजाम कर सकें, नकल वगैरह ले सकें तथा वकीलों की राय ले सकें तो उससे उनका नुक्सान हो जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से फिर यह निवेदन करता हूं कि अगर वाकई में इससे देर होती, चकबन्दी के काम में देर होती तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लेता जैसा कि मैंने कल ले लिया था लेकिन इससे कोई विशेष देरी नहीं होगी और इससे किसानों का ज्यादा अहित हो जायगा। इसलिये मैं उसे वापस नहीं ले सकता और मुझे उम्मीद है कि आप इसको मंजूर करेंगे।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त जो कि संशोधन पेश कर रहे ह या समर्थन कर रहे हैं, दो बातों को भूल जाते हैं। एक तो यह कि आम तौर पर जिस तरह मुकदमे लड़ते हैं उस तरह के मुकदमे ये नहीं लड़ेंगे। कुछ तो हमारी अदालतें अधिकतर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहती हैं और छोटी-मोटी अदालतें तहसील और टाउन में ही रहती हैं, गांवों में नहीं होतीं। ये जितने मुकदमे तय होंगे वे मौके पर ही तय होंगे। यह तो उन्हें सहूलियत मिलेगी ही, दूसरे इसके लिये उन्हें कोई कोर्ट फीस या और कोई खर्चा नहीं पड़ेगा। इसके लिये कोई स्टाम्प फीस या कोर्ट फीस नहीं है। वहीं बिना पैसे के, बिना स्टाम्प के दरख्वास्त देनी पड़ेगी। तो फिर खर्चे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये दो फर्क हैं। ये दो तथ्य हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं प्रोसीडिंग्स को। दूसरे जो नालिश वगैरह हैं उनकी अपील की मियाद एक महीना है, सेकंड अपील की मियाद ३ महीना, हाई कोर्ट में होती है लेकिन पहली अपील की मियाद एक ही महीना होती है सब नालिशों में। ३ महीने की बात जो श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने कही वह बिल्कुल गलत है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मैंने किसी अदालत का नाम नहीं लिया।

श्री चरण सिंह—अगर आपने अदालतों का नाम नहीं लिया तो मैं बतलाता हूं कि हाई कोर्ट में जो अपील होती है उसकी मियाद ३ महीने होती है क्योंकि इलाहाबाद बहुत दूर पड़ता है और लोगों को आने-जाने में महीने लग जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी गांवों से दूर पड़ता है.....

श्री अवधेश प्रताप सिंह—और कमिश्नरी ?

श्री चरण सिंह—कमिश्नरी भी दो सौ मील पड़ती है और जहां ६, ७ जिले मिलकर काम करते हैं। लेकिन गांव के मुकदमे तो गांव में मौके पर ही तय हो जायंगे। उसके लिये १५ दिन बहुत काफी होते हैं और फिर कोई खर्च भी नहीं है। माननीय अवधेश प्रताप सिंह की जो इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई वह कोई बहुत जस्टिफाइड नहीं है। मैं श्री गजेन्द्र सिंह जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसमें किसानों को कोई कठिनाई नहीं होगी। आम तौर पर यह होता है कि जब कोई मियाद खतम होने को होती है तभी वह आदमी उसकी फिक्र करता है। अगर १५ दिन की मियाद है तो वह १० दिन बीत जाने पर ११वें दिन फिक्र करेगा और अगर ३० दिन की मियाद हो तो २६वें दिन फिक्र करेगा। सब जगह यह बात है। लड़के जो इम्तहान देते हैं वे इम्तहान के दिनों में ही ज्यादा मेहनत करते हैं। अगर यूनीवर्सिटी के एक्जामिनेशन की मियाद एक साल के बजाय दो साल कर दी जाय तो लड़के थर्ड इयर व फिफ्थ इयर में मेहनत नहीं करेंगे। तो यह मौके की बात है और उसमें कोई खर्चा भी नहीं है, जल्दी हो जायगा और समय भी बच जायगा, १५ दिन काफी हैं। इसलिये मैं असमर्थ हूं इसको स्वीकार करने में।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २१ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में अंक व शब्द "१५ दिन" के स्थान पर अंक व शब्द "३० दिन" रख दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २२

भूमि में आगम के सम्बन्ध में आपत्तियां।

२२---(१) यदि धारा २० के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्ति में कोई आगम का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो और इस प्रश्न को पहले ही से किसी समर्थ न्यायालय ने अन्तिम रूप से न निर्णीत किया हो, तो चकबन्दी अधिकारी उस प्रश्न को निर्णय के हेतु मध्यस्थ (arbitrator) के पास अभिदिष्ट करेगा।

(२) ऐसे सभी वाद या व्यवहार (suits or proceedings) जो प्रारम्भिक न्यायालय या पुनर्वाद (appeal) में हों और जिनमें उसी भूमि से सम्बद्ध आगम (title) का प्रश्न उठाया गया हो, रोक दिये जायंगे

(३) इस सम्बन्ध में मध्यस्थ का निर्णय अन्तिम होगा।

श्री जयराम वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २२ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "समर्थ" के स्थान पर शब्द "सक्षम" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी अब तक जितने अधिनियम पास हुए हैं उन सबमें शब्द 'कम्पीटेंट' के लिये हिन्दी का शब्द 'समर्थ' प्रयुक्त हुआ है लेकिन इस अधिनियम में "कम्पीटेंट" की जगह "समर्थ" शब्द को छोड़ कर "समक्ष" शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं यह चाहता था कि क्योंकि "समर्थ" शब्द पहले हर स्थान पर कम्पार्टमेंट के लिए प्रयुक्त हुआ है इसलिये "सक्षम" का रखना यहां उचित नहीं होगा लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि लोग यह समझते हैं कि "समर्थ" के मुकाबले में "सक्षम" शब्द ज्यादा उपयुक्त है। इसलिये मैंने "समर्थ" के स्थान पर "सक्षम" शब्द को प्रयोग किया है। इस अधिनियम की धारा १२ के उपखंड ४ और धारा ३६ के उपखंड २ में शब्द "कंपीटेंट" के लिये हिन्दी शब्द "सक्षम" का ही प्रयोग किया गया है। तीसरा स्थान यह है जहां पर यह शब्द आया है। इसलिये मैं यह प्रस्ताव लाया हूं कि जिस किसी स्थान पर "कंपीटेंट" शब्द के लिये हिन्दी में शब्द "समर्थ" इस्तेमाल हुआ हो वहां पर शब्द "सक्षम" कर दिया जाय। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह संशोधन मान लिया जायगा।

श्री चरण सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि "कंपीटेंट" के लिये "समर्थ" ज्यादा उपयुक्त है और मैं आपकी इजाजत से यह चाहता हूं कि जहां कहीं भी विधेयक में "सक्षम" शब्द आया है उसके स्थान पर "समर्थ" कर दिया जाय।

श्री जयराम वर्मा---मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २३

प्रस्तावों के विवरण की पुष्टि।

२३---यदि धारा २० में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तावों के विवरण पर कोई आपत्ति न प्रस्तुत की गयी हो अथवा यदि आपत्तियां प्रस्तुत की जाने के बाद धारा २१ अथवा २२ के अन्तर्गत निस्तारित हो चुकी हों तो बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) ऐसे परिष्कारों और परिवर्तनों के बाद जो धारा २१ अथवा २२ के अन्तर्गत आज्ञा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक हों, विवरण का पुष्टीकरण करेगा और तत्पश्चात् इस प्रकार पुष्टीकृत विवरण अन्तिम होगा और नियत रीति से प्रकाशित किया जायगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २४

२४---चकबन्दी योजना उस दिनांक को प्रचलित होगी जिसे चकबन्दी अधिकारी निर्दिष्ट करे। योजना के प्रचलन का दिनांक।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २५

२५---अन्तिम चकबन्दी योजना के प्रचलित हो जाने के पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत रीति से तथा नियत रूप में प्रदेशना आज्ञा (allotment order) जारी करेगा। जिसमें उक्त योजना के अनुसार प्रत्येक खातेदार को प्रदिष्ट नये खेत दिखाये जायंगे। नये खातों की प्रदेशना।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २६

२६---चकबन्दी योजना के पुष्ट होने के दिनांक के बाद पहली मई को या उसके बाद भूमि के खातेदारों का प्रदिष्ट खेतों पर कब्जा करने का अधिकार होगा। कब्जा करने का दिनांक

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि सभी खातेदार सहमत हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी, उन सबको तुरन्त या किसी ऐसे दिनांक से, जिसे वह निर्दिष्ट करे, क़ब्ज़ा करने की अनुमति दे सकता है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २७

२७---(१) चकबन्दी योजना के प्रचलित होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे गांव के सम्बन्ध में, जो चकबन्दी क्रिया के अन्तर्गत हो, गांव का नया नक्शा, खसरा और अधिकार अभिलेख तैयार किये जाने के लिए यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ४८ के अधीन सरकारी गजट में एक विज्ञप्ति निकालेगी और इसके पश्चात् यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के उपबन्धों के अनुसार नये अभिलेख तैयार किये जायंगे। नये माल अभिलेख। (Revenue Records)

(२) उपधारा (१) के अन्तर्गत तैयार किये गये अधिकार अभिलेख के सभी इन्दराज अन्तिम तथा निश्चायक होंगे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८

कब्जा दिलाने के संबंध में सहायक चकबन्दी अधिकारी के अधिकार।

२८--सहायक चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों को जिन्हें चक प्रदिष्ट किये गये हों जोत पर जिसके वे इस प्रकार अधिकारी हों, उसकी खड़ी फ़सलों के साथ यदि कोई हों, वास्तविक रूप से क़ब्जा (physical possession), दिलायगा और ऐसा करने में उसे अपमान (contempt), प्रतिरोध (resistance) तथा ऐसी ही अन्य बातों के संबंध में वे अधिकार (powers) प्राप्त होंगे जिनका प्रयोग अचल सम्पत्ति पर क़ब्जा दिलाने की डिक्री के सम्पादन (इजरा) करने में दीवानी न्यायालय कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २९

२९--(१) यदि धारा २५ के अधीन किसी भूमि के खातेदार को प्रदिष्ट (allotted) भूमि पर खड़ी फ़सलें हों तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उस भूमि के खातेदार द्वारा, जिसे क़ब्जा दिलाया गया हो, ऐसी फ़सलों के संबंध में देय प्रतिकर को नियत रीति से अवधारित करेगा और उक्त खातेदार क़ब्जा करने के दिनांक से नौ मास के भीतर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को जिससे या जिनसे क़ब्जा संक्रामित किया गया हो, प्रतिकर देगा और ऐसा न करने की दशा में उससे ऐसा प्रतिकर मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(२) जब कोई खातेदार (tenure holder) जिससे, उपधारा १ में की हुई व्यवस्था से भिन्न किसी अन्य प्रकार से, इस योजना के अधीन प्रतिकर वसूल किया जा सकता हो, धारा २६ के अधीन क़ब्जा करने के दिनांक से तीन मास के भीतर ऐसा प्रतिकर नियत रीति से जमा न करे तो वह उससे मालगुजारी के बकाये के रूप में वसूल किया जा सकेगा और नियत रीति से वितरित किया जायगा।

(३) उपधारा (१) या (२) के उपबंधों को बाधित न करते हुये, यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर निश्चित दिनांक से पूर्व पूर्णतः या अंशतः अदा न किया जाय तो इस प्रकार अदा न की गयी धनराशि पर १ प्रतिशत प्रतिमास की दर से ब्याज लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खण्ड २९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३०

चकबन्दी के पश्चात् अधिकार।

३०--उस दिनांक से जब कोई खातेदार उसे प्रदिष्ट गाटों पर धारा २६ के उपबंधों के अधीन क़ब्जा करता है, उसके अपने पहले के जोत के अधिकार (rights), आगम (titles) और स्वत्व (interest) समाप्त हो जायंगे और उसे, यदि कोई परिष्कार किया जाय तो उसे बाधित न करते हुये धारा २५ के अधीन प्रदिष्ट गाटों के सम्बन्ध में वही अधिकार, आगम और स्वत्व प्राप्त होंगे जो अन्तिम चकबन्दी योजना में निर्दिष्ट हों।

श्री जयराम वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३० की पंक्ति २ में शब्द "अपने पहले के" के स्थान पर शब्द "अपनी पहली", पंक्ति ३ में शब्द "और" के स्थान पर अल्प विराम का चिन्ह, उसी पंक्ति में शब्द "स्वत्व" (interest) के पश्चात् तथा शब्द "समाप्त" के पूर्व शब्द "और दायित्व (liability)" तथा पंक्ति ६ में शब्द "होंगे" और शब्द "जो" के बीच में शब्द "और उस पर वही दायित्व (liability) होगा" जोड़ दिये जांय।

श्री चरण सिंह--मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है, कि खंड ३० की पंक्ति २ में शब्द "अपने पहले के" के स्थान पर शब्द "अपनी पहली" पंक्ति ३ में शब्द "और" के स्थान पर अल्प विराम का चिन्ह, उसी पंक्ति में शब्द "स्वत्व (interest)" के पश्चात् तथा शब्द "समाप्त" के पूर्व शब्द "और दायित्व (liability) " तथा पंक्ति ६ में शब्द "होंगे" और शब्द "जो" के बीच में शब्द "और उस पर वही दायित्व (libility) होगा" जोड़ दिये जांय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३० विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३१

भार (Encumbrances)

३१--(१) यदि चकबन्दी योजना के अन्तर्गत लायी गयी कोई जोत, किसी पट्टे, बन्धक अथवा किसी अन्य भार (encumbrance) से ग्रस्त हो, तो ऐसा पट्टा, बन्धक अथवा अन्य भार उस योजना के अन्तर्गत पदनुरूप जोत (Corresponding holaing) अथवा उसके किसी ऐसे भाग पर (संक्रामित और उससे संबद्ध कर दिया जायगा,) जिसे सहायक चकबन्दी अधिकारी ने इस योजना को तैयार करते समय अवधारित किया हो, संक्रामित और उससे सम्बद्ध कर दिया जायगा और तदुपरान्त पट्टेदार, बन्धकी अथवा अन्य भारकर्ता (enucmbrancer)का जैसी भी दशा हो, उस भूमि में या उसके प्रति कोई अधिकार (trihg) न रह जायगा जिससे वह पट्टा, बन्धक अथवा अन्य भार संक्रामित किया गया हो।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी, यदि आवश्यक हो तो किसी पट्टेदार, बन्धकी अथवा अन्य भारकर्ता को जो क़ब्ज़ा पाने का अधिकारी हो, ऐसे किसी जोत अथवा जोत के किसी भाग का क़ब्ज़ा दे सकते हैं जिस में उपधारा (१) के अधीन उसका पट्टा बन्धक अथवा अन्य भार संक्रामित किया गया हो।

श्री रामलखन मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३१ के उपखंड (१) के नीचे निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाय। स्पष्टीकरण--शब्द "पट्टेदार" के अन्तर्गत शब्द असामी या अधिवासी का भी अन्तर्भाव होगा"

श्री चरण सिंह--मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३१ के उपखंड (१) के नीचे निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय--

"स्पष्टीकरण--शब्द "पट्टेदार" के अन्तर्गत शब्द असामी या अधिवासी का भी अन्तर्भाव होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३१ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३२

खाता संक्रामित करने का अधिकार।

३२--यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ और १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, में किसी बात के रहते हुये भी भूमि के खातेदारों (tenure-holders) के ऐसे अधिकार (right), आगम (title) और स्वत्व (interest) जो उनके जोतों में हों और उन पर के कोई भार, उन पर प्रभाव डालनेवाली किसी चकबन्दी की योजना के कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये विनिमय (exchange) द्वारा अथवा किसी अन्य प्रकार से संक्रामण योग्य (transferable) होंगे और किसी भूमि के खातेदार अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त प्रयोजन के लिये किये गये किसी संक्रामण पर आपत्ति करने अथवा हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा।

श्री अध्यक्ष--खंड ३२ के संशोधन शाब्दिक हैं वह मैं ठीक कर दूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड ३२ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड ३३

व्यय (costs)

३३--(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत रीति से चकबन्दी की अनुमानित और अन्तिम रूप से निश्चित व्यय अवधारित करेगा, और ऐसे व्यय को उन व्यक्तियों के बीच बांटेगा जिन पर चकबन्दी की आज्ञा का प्रभाव पड़ा हो।

(१-क) उप-धारा (१) के अधीन बांटे गये अनुमानित व्यय (estimated cost) का आधा भाग नियत रीति से अग्रिम रूप से (inadvance) वसूल किया जा सकेगा और उसका संधान (adjustment) उक्त उप-धारा के अधीन अंतिम रूप से वसूल किये जाने वाले व्यय में से किया जायगा।

(२) इस धारा के अधीन कोई धनराशि जो व्यय के रूप में देय हो, मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३३ के उपखंड (१) के अन्त में विराम हटा दिया जाय। तथा निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जांय --

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई खर्चा ऐसे आदमी से नहीं लिया जायगा कि जिसके पास (consolidation proceedings) के शुरू होने के समय एक ही एकजाई जोत थी।"

श्रीमन्, मेरा मतलब इससे स्पष्ट है और कोई अधिक बात कहने की आवश्यकता नहीं है। बात यह है कि अगर मान लिया जाय कि किसी गांव में एक काश्तकार के पास एक ही खेत है २५, ३० या ५ बीघे का ऐसे काश्तकार की जोत कितनी ही हो उससे इस कन्सालिडेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा। उसमें ऐसे भी काश्तकार हो सकते हैं कि जिन्होंने पिछले कानून की दफ़ा ५३ या ५४ के हिसाब से अपनी जोत को पहले ही तब्दील कर लिया था और उनकी होल्डिंग एकजाई है। इसलिये जिन की जोत एकजाई थी उनसे कोई खर्चा कन्सालिडेशन का न लिया जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री चरण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुझे स्वीकार नहीं है। कारण यह है कि अगर यह मान भी लिया जाय कि किसी काश्तकार की जोत पहले से एकजाई है लेकिन जब गांव भर में चकबन्दी होगी तो उसका लाभ हर काश्तकार को पहुंचेगा, किसी को कुछ कम किसी को ज्यादा और जिनकी पहले से चकबन्दी हुई है उनको भी पहुंचेगा चाहे कम ही सही और जिनके खेत बिखरे हुये हैं उनको ज्यादा लाभ पहुंचेगा। एक तो पहले से तय करना कि उनकी चकबन्दी हो रही है या नहीं हो रही है यह भी हर जगह कठिन है। मान लीजिये कि ९० बीघे जमीन है, तो ८० एक जगह है और १० बिखरी हुई शेष है। ९० की ९० है। ऐसा कोई रेअर केस होगा। लेकिन अगर किसी की चकबन्दी हो तो बाकी आधा खर्चा वह उनसे वसूल न किया जाय ऐसा विचार है। बाक़ी शुरू की एस्टीमेटेड कास्ट जितनी है उसका आधा सबसे लिया जाय। और बाक़ी आधा खर्चा उन लोगों से न लिया जाय जिनके चक पहले से पड़े हुये हों। तो मैं यह समझता हूं कि यह उचित होगा क्योंकि जितना उसको लाभ होगा उतना तो उसको कंट्रीब्युट करना ही चाहिये। रास्ता ठीक हो गया। आबादी ठीक हो गयी। चरागाह वग़ैरह की जगह छोड़ दी गई इस तरह से बहुत सी सहूलियतें होंगी जिनका इस विधेयक में ज़िक्र है जिससे हर आदमी मुस्तफीद होगा। अब अगर उसकी चकबन्दी पहले से हो रही है तो आधा खर्चा उससे न लिया जाय।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भगवान सहाय जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी की दलील सुनता रहा और मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ कि हाफ एस्टीमेटेड कास्ट ले लेना चाहते हैं। चाहे उसकी जोत कंसालिडेटेड, कंपैक्ट एरिया में हो या न हो। यह तो ठीक है कि जिन जोतों की चकबन्दी नहीं हुई है उनकी आप चकबन्दी करने जा रहे हैं तो उनको लाभ पहुंच सकता है। लेकिन जो यू० पी० टेनैंसी ऐक्ट या यू० पी० कंसालिडेशन ऐक्ट के अनुसार अपनी जोतों की चकबन्दी पहले से ही कर चुके हैं, अपनी जमीन का पहले से ही समूहीकरण कर चुके हों तो ऐसी परिस्थिति में उनसे आधा लेना सर्वथा अनुचित है। यह सरासर जबरदस्ती है। कानून आपके हाथ में है। आप लेना चाहते हों तो ले सकते हैं। लेकिन यह कोई दलील नहीं है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः ध्यान देंगे।

श्री भगवान सहाय--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न का क्लैरिफिकेशन चाहता हूं और वह यह है कि मान लीजिये कि किसी काश्तकार के पास गांव में एक ही जोत है और वह जोत इकट्ठी है। तो अगर उसकी बाउंड्रीज को कंसालिडेशन करते समय तब्दील कर दिया गया तो उसको पूरा खर्चा देना पड़ेगा या आधा ही देकर छोड़ दिया जायगा।

श्री चरण सिंह--अगर उसकी डौल इधर से उधर हुई तो इसके मतलब यह हैं कि चकबन्दी तो हुई। लेकिन अगर थोड़ा सा अन्तर पड़ता है तो रूल्स में रख देंगे कि उससे पूरा खर्चा नहीं लेना चाहिये। लेकिन आधा उससे जरूर लेना चाहिये। क्योंकि मान लीजिये कि रास्ता नहीं है और उसके पास रास्ता निकल गया और जो गांव के फायदे की चीजें होंगी उससे हर एक को फायदा होगा। थोड़ा बहुत अन्तर नहीं पड़ता है तो मैं समझता हूं कि उससे आधा नहीं लेना चाहिये।

श्री भगवान सहाय--अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी की यह बात समझ में नहीं आयी। लेकिन मैंने रोशनी देख ली। मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष---(श्री चरण सिंह से) श्री गजेन्द्र सिंह वाला संशोधन आप मंजूर कर रहे हैं या नहीं ?

श्री चरण सिंह---नहीं ।

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका असर चकबन्दी पर बड़ा पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष---लेकिन यह तो बाद में आया है।

श्री अध्यक्ष---अगर कोई दूसरा संशोधन स्वीकार भी होता हो और आपको आपत्ति हो तो मैं नहीं लूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह महत्वपूर्ण धारा है और उसमें महत्वपूर्ण संशोधन हैं। अगर आप अपनी राय दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन सवाल तो यह है कि आज ही खत्म करने का सवाल है। अगर असेम्बली एक दो रोज चलने वाली होती तो मैं कुछ थोड़ा सा वाद-विवाद बढ़ने भी देता, लेकिन इसीलिये मैं जल्दी कर रहा हूं जिसमें कार्य समय पर समाप्त हो सके। इस कारण नियम को मैं ढीला नहीं करना चाहता हूं। अगर किसी को नये संशोधन में आपत्ति हो तो मैं उसकी इजाजत नहीं दूंगा, अपनी डिस्कशन उसके फ़ेवर में यूज़ नहीं करूंगा। अगर एक में किया तो दूसरे में भी करना पड़ेगा।

(श्री चरण सिंह से) आपको पेश करने में तो आपत्ति नहीं है ?

श्री चरण सिंह---मुझे वैसे तो आपत्ति है और सब्सटेंस पर भी आपत्ति है और उसको अपोज करना है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो फरमाया कि किसी एक आदमी ने "ना" कर दिया तो उसे आप नहीं लेंगे, तो उसमें जरा सी दिक्कत बढ़ जायगी।

श्री अध्यक्ष---तो फिर आप थोड़ा सा ऐकमोडेट दूसरे को कर दें।

श्री चरण सिंह---बहुत अच्छा।

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३३ के उपखंड (१) में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय ---

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि दो एकड़ से कम जोत वाले किसानों से ८ आने प्रति एकड़ तथा इससे अधिक की जोत वालों से एक रुपया प्रति एकड़ से अधिक न लिया जाय।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ३३ इस प्रकार है ---

"सहायक चकबन्दी अधिकारी नियत रीति से चकबन्दी का अनुमानित और अंतिम रूप से निश्चित व्यय अवधारित करेगा, और ऐसे व्यय को उन व्यक्तियों के बीच बांटेगा जिन पर चकबन्दी की आज्ञा का प्रभाव पड़ा हो।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ३३ में इस बात को बतलाया गया है कि खर्चा कितना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि अपने संशोधन के द्वारा खर्चे की मिकदार फिक्स कर दी जाय। माननीय मंत्री महोदय यह कहेंगे कि अभी से खर्चे को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं तो मैं उनकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरे प्राविंसेज़ में चकबन्दी हुई तो एक तो वहां का तजुर्बा ही हमारे सामने है और आप कुछ ज्यादा भी चाहे कर दें, लेकिन एक मिकदार तो फिक्स कर दें उसको मैं अपने संशोधन में ऐकमोडेट कर सकता हूं और घटा या बढ़ा सकता हूं। मेरा मंशा यह है कि एक अमाउंट और पैसा फिक्स हो जाना चाहिये और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा यकीन है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जायगा और वह किसानों से लिया जायगा।

क्योंकि मेरे दूसरे भी तजुर्बे हैं। ट्यूबवेलों का मुझे तजुर्बा है कि सरकार की ओर से कहा गया था कि १५ हजार में बनेंगे लेकिन किसानों से २१, २१ हजार रुपया लिया गया और बुरी तरह से रुपया खर्च किया गया। और इसी किस्म के तजुर्बे हैं जिनकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस वक्त जो कास्ट है वह फिक्स कर दी जाय। अगर मंत्री महोदय को इस संशोधन में, जो मैंने पेश किया है कुछ एतराज हो और थोड़ा उसको घटाना-बढ़ाना भी चाहेंगे तो मैं उसको मान लूंगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय गजेन्द्र सिंह जी का संशोधन प्रस्तुत खंड ३३ के उपखंड १ को, इसके समस्त उपखंड को अधिक न्यायोचित आधार पर संगठित कर देता है। यह बात सही है कि जिस सिद्धान्त को चकबन्दी समिति ने निर्धारित किया था कि सारी चकबन्दी के खर्चे का वहन स्वयं काश्तकार जिसकी चकबन्दी होती है वह करेगा। यह उस समति ने निश्चित किया था लेकिन जो सन् ३९ का ऐक्ट असफल रहा अपनी कार्यप्रणाली में उसके कारणों में से एक चकबन्दी के खर्चे की बात भी थी। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जमींदारी उन्मूलन रिपोर्ट के पेज ५०८ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं, जहां कि चकबन्दी संबंधी सिफारिश है :

"चकबन्दी—सारे संसार के कृषि अर्थ शास्त्रियों की राय है कि कृषि में सुधार की दिशा में सब से पहला क़दम चकबन्दी है। संयुक्त प्रान्त में हमको इस दिशा में कोई खास सफलता नहीं मिली। शायद यदि अनिवार्य और सहकारिता के ढंगों को मिला कर काम किया जाय और चकबन्दी में होने वाला पूरा खर्च या उसका अधिकांश भाग राज्य दे तो चकबन्दी की रफ्तार तेज हो जायगी।....."

यानी सन् ३९ के ऐक्ट को दृष्टिकोण में रखते हुये जमींदारी रिपोर्ट की सिफारिश थी कि चकबन्दी की रफ्तार तेज करने के दो तरीक़े हैं। एक तो अनिवार्य सहकारिता को मिलाने का और दूसरा चकबन्दी में होने वाले पूरे खर्चे को या अधिकांश हिस्से को राज्य को देने का। सहकारी खेतों के लिये तो उस रिपोर्ट में बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया गया है कि इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की ही होनी चाहिये। यह आगे चल करके समिति की रिपोर्ट में लिखा गया है पेज ५२७ पर "सहकारी खेत के स्थापित होते ही तुरन्त बिना मूल्य उसकी चकबन्दी का उपाय किया जाना चाहिये।" जहां तक खर्चे का सवाल है अनुभव यह बतलाता है पुराना जोकि इन रिपोर्टों में दिया गया है कि खर्चा जैसे कांगड़ा का मैंने कल बताया था कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट का डेढ़ रुपया एकड़ खर्च हुआ था, यहां यू० पी० में भी औसतन् खर्चा जो कि टेबुल ३६ में है उससे जो अन्दाज लगता है कि कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार कंसालिडेशन किया उसमें सात आने बीघे का पड़ा और जो रेवेन्यू डिमार्टमेंट ने कंसालिडेशन किया तो टेबुल नं० ३७ में उसका जो खर्चा जाकर बैठा है वह एक रुपया १५ आना प्रति एकड़ है। तो माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने जो लिखा है कि दो एकड़ से कम जोत वाले किसानों से आठ आना प्रति एकड़ तथा २ एकड़ से ज्यादा वालों से एक रुपया लिया जाय तो यह जो तजबीज यहां की गई इससे अगर सरकार इस सिफारिश को मान लेगी तो चकबन्दी के खर्चे का अधिक भार औसतन फिर भी किसानों के ऊपर पड़ेगा और न्यूनतम भाग सरकार को चकबन्दी कराने में देना पड़ेगा। तो इसलिये यह जमींदारी उन्मूलन रिपोर्ट जो है उसको देखते हुये और चकबन्दी में जो असफलता रही है पिछली उस को देखते हुये माननीय मंत्री जी को इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये।

श्री बलवन्त सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने पेश किया है और जिसका समर्थन नारायणदत्त जी ने किया है, वह देखने में भी बहुत अच्छा मालूम होता है। हर कोई किसान इस बात को मानेगा कि अगर बगैर पैसा दिये उस की चकबंदी

[श्री बलवन्त सिंह]

हो जाय तो यह तो अच्छा है, मगर सवाल यह होता है कि प्रजातंत्र शासन प्रणाली में पैसा आता तो उन्हीं लोगों से है कि जिनकी संख्या अधिक होती है। अपने प्रदेश में किसानों की संख्या सबसे अधिक है। अगर चकबंदी मुफ्त में कराई जाय और कोई पैसा किसान से न लिया जाय, तब भी तो इस खर्चे का बोझ किसान के ऊपर पड़ता है। इस लिये यह विचार करना कि चकबंदी का खर्चा न लिया जाय यह बात तो बड़ी सोहावनी है लेकिन यह तो वही मिसाल है कि नाक सीधे न पकड़ करके उल्टे पकड़ ली जाय। देना बहरहाल उन्हीं को है चाहे चकबंदी के रूप में लिया जाय चाहे चकबंदी के रूप में न लिया जाय। अब सवाल यह है कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है उसमें क्या सार है। जैसा मैंने पहले बतलाया था कि हमारे प्रान्त की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमारे यहां छोटे काश्तकारों की संख्या अधिक है, पूर्व के ज़िलों में बहुत गांव ऐसे हैं जिनमें एक एकड़ से कम वाले काश्तकारों की संख्या बहुत ज्यादा है और दो एकड़ से कम वाले काश्तकारों की संख्या तो बहुत ही ज्यादा है। तो अगर यह रूल बना दिया जाय कि एक एकड़ से कम वालों से ८ आने लिया जाय और दो एकड़ से कम वालों से एक रुपया लिया जाय और जैसा कि उन्होंने बतलाया अगर चकबंदी का खर्चा ज्यादा बढ़ जाय, तो वह देना किसे पड़ेगा। किसी गांव में छोटे ही काश्तकार हों तो इसका मतलब यह हुआ कि उस गांव का जितना चकबंदी का खर्चा है वह ज्यादातर गवर्नमेंट को बरदाश्त करना पड़ेगा। अब अगर यह बात हो तो दूसरे गांव वाले इसमें ऐतराज कर सकते हैं कि चकबंदी हो 'अलिफ' गांव की और खर्चा देना पड़े 'बे' गांव को, तो यह बात न्यायसंगत नहीं मालूम होती। इसमें किसानों को फायदा होगा और इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनसे जो गैर किसान हैं उनको भी लाभ होगा। ऐसे लोगों के लिये इसमें कुछ नहीं रखा गया है बल्कि चकबंदी का सारे का सारा बोझ किसानों के ऊपर ही डाला गया है। मैं तो यह भी उपयुक्त समझता हूं कि जो लोग इस चकबंदी कानून से फायदा उठायंगे उनको भी अगर यह खर्चा बरदाश्त करना पड़ता तो उनको भी कोई एतराज नहीं होना चाहिये। मगर चूंकि यह सिर्फ किसानों से लिया जा रहा है और कानून में ऐसा नहीं रखा गया है, मैं यह समझता हूं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की मौजूदा पालिसी है कि इसका खर्चा किसानों से लिया जायगा इस बात का खयाल न करते हुये कि वे छोटे हैं या बड़े हैं यह अनुचित नहीं है और ऐसे लोगों से जिनको भूमि वगैरह मिलेगी, जो भूमिहीन हैं, मैं समझता हूं उनसे भूमि का मामूली तरीका से मुआविजा ले करके जो तरीका गवर्नमेंट ने रखा है वह ज्यादा मुनासिब है और मैं श्री गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी श्री गजेन्द्र सिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय बलवन्त सिंह जी ने जो बात कही है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। साथ ही एक बात और ध्यान में रखने की यह है कि अगर दो एकड़ से छोटा काश्तकार है तो उसको रकम भी थोड़ी ही देनी पड़ेगी। मान लीजिये डेढ़ एकड़ का किसान है, तो आपके हिसाब से डेढ़ एकड़ वाले से लेना चाहिये १२ आने क्योंकि ८ आने फी एकड़ आपने रखा है। फर्ज यह कर लो ३ रु० फी एकड़ खर्चा पड़ गया और उसको साढ़े चार रुपये देने पड़ गये। तो इसमें ऐसी कौन सी मुसीबत आ जायगी। जैसी उसकी हैसियत है उतना ही उसको देना पड़ेगा। सबको हस्ब हैसियत देना पड़ेगा, जो बड़ा किसान है उसको ज्यादा रुपया देना पड़ेगा और जो छोटा किसान है उसको कम रुपया देना पड़ेगा। फी एकड़ हर एक को बराबर देना पड़ेगा। तो मेरी समझ में यह नही आ रहा है कि उसमें कौन सा अन्याय है और कौन सी ज्यादती छोटे किसानों के साथ हो रही है जैसा कि मैंने अर्ज किया कि उनको रकम ही थोड़ी देनी पड़ेगी। अपनी हैसियत के अनुकूल ही देना

पड़ेगा तो इसलिये यह संशोधन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फिर जैसा कि माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि हमारा जितना भी रुपया है, हमारे एक्सचेकर के पास जितना आता है उसका बहुत बड़ा अंश किसानों से ही आता है। किसान ही इस सूबे के रहने वाले हैं, उन्हीं के पास से आयेगा। जमींदारी उन्मूलन कर दो, मुआविजा न दो, पुनर्वासन अनुदान दो मगर वह पुनर्वासन अनुदान किसानों की जेब से न आये, सेठों से लेकर दे दो। सूबे में कितने सेठ हैं। कितना रुपया है और कितनी उनकी जायदाद है और कितना किस प्रकार उनसे लिया जा सकता है। इससे कोई मतलब नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात गैर मुताल्लिक न होगी कि एक १२ साल की बात है, मैंने एक स्पीच सुनी थी, मैं कांग्रेस वर्कर्स को एड्रेस करके बाहर निकल रहा था तो कोई एक डेढ़ फर्लांग के ऊपर बड़ा भारी लाउड स्पीकर लगाये हुये सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से तकरीर हो रही थी कि गंगाजी को बनाया परमात्मा ने, गंगा नहर को निकाला अंग्रेजों ने, लिहाजा आबपाशी किस बात की ली जा रही है, आबपाशी मुफ्त होनी चाहिये, यह तकरीर हो रही थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—यह कहां से सुन लिया ?

श्री चरण सिंह—कानपुर के पास।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या सबूत है ?

श्री चरण सिंह—मैंने अपने कानों से सुना है। गांव का नाम भी बता सकता हूं।

ग्रांट ट्रंक रोड जो है, एटे की तरफ जाती है वहां तहसील की पुरानी बिल्डिंग में मीटिंग थी उससे बाहर निकला तो यह मीटिंग हो रही थी, माननीय नारायणदत्त जी के किसी चेले के जरिये।

तो यह बात है। सब काम हो जाय। जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट पढ़ कर सुना दी, वह मंजूर। चकबन्दी करने का इरादा गांवों में है, वह भी मंजूर। लेकिन गवर्नमेंट अपने पास से कर दे। मैं कहता हूं कि ठीक तो यह रहे कि गवर्नमेंट चकबंदी करती जाय और फी एकड़ दो दो रुपया खैरात देती जाय।

आखिर गवर्नमेंट है क्या। गवर्नमेंट सारे सूबे के किसानों और जो हमारी जनता के दूसरे वर्ग हैं उनकी पंचायत है। जो रुपया उनके पास से आता है वह उन्हीं पर खर्च कर दिया जाता है। जैसा कि माननीय बलवन्त सिंह जी ने कहा कि चकबंदी मुफ्त में हो जायगी लेकिन लगान ८ आना बढ़ा दो। इसलिये मैं यह जानता हूं कि जो लोग इस तरह के झूठे वादे करते हैं कि हम सब दूध की और शहद की नदियां बहा देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम ही सब कुछ कर देंगे, हम जानते हैं कि भाई, जैसा यह कहेगा वैसा करेगा और मैं ज्यादा क्या कहूं ? मोटी सी बात है कि लोग अपनी मेहनत से अपने खेतों की पैदावार बढ़ावेंगे, उसमें हम जितनी सहायता दे सकते हैं उतनी देंगे, उनसे हमें टैक्स लेना है और वह सब उन्हीं के ऊपर खर्च होना है। यह संशोधन बिलकुल युक्तिसंगत नहीं है। युक्तिसंगत तो यही है कि जो खर्चा उनकी भलाई के लिये किया जा रहा है उसमें सब लोग हस्ब हैसियत हाथ बटावें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का भाषण सुनकर मुझे कुछ ताज्जुब नहीं हुआ क्योंकि यह प्रश्न कि रुपया कहां से आये बहुत पुराना है। हम पूंछते-पूंछते और माननीय मंत्री जी बताते-बताते थक गये। यहां ज्यादा आंकड़ों की बात तो नहीं है लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार ९४३ करोड़ रुपये में तमाम कांग्रेसी गवर्नमेंट जिसमें केन्द्र तथा देश के सभी

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

प्रदेश शामिल हैं, चल रही हैं । और माननीय परिपूर्णानन्द जी ने इस सदन में कहा था कि १९९ करोड़ रुपया इनकम है ऐसे पूंजीपतियों की जिनकी आमदनी २५,००० रुपये से अधिक है। साथ ही साथ केन्द्र के मंत्री श्री त्यागी जी की बात को हमारे मंत्री जी नहीं भूले होंगे कि कितना रुपया आमदनी का चोरी होता है और गलत हिसाब बनाया जाता है । अगर यह मान लिया जाय कि १९९ करोड़ २०० हुआ और २०० की ही चोरी होती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ३०० करोड़ रुपया पूंजीपतियों ने कपड़े के कंट्रोल के जमाने में पैदा किया था, इस प्रकार ४०० करोड़ हुये। यदि समाजीकरण के बाद उत्पादन दूना मान लिया जाय तो ८०० करोड़ तो यों ही आमदनी हो जाती है । ९४३ करोड़ में केवल १४३ करोड़ रह जाते हैं। उससे ज्यादा धन अन्य जरियों से प्राप्त किया जा सकता है। ९४३ करोड़ में तो सारी केन्द्रीय गवर्नमेंट चलती है और ७७९ करोड़ रुपया इनकम है तमाम इन्श्योरेंस कम्पनीज की और बैंक्स अलग हैं। अभी जब कोआपरेशन की जरूरत समझी गई थी तो हमारी पार्टी की ओर से १४ प्वाइंट प्रोग्राम पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया गया था और उसमें यह बात रखी गई तो कहने लगे कि अभी मौका नहीं आया है कि हम किसी बात पर एक दूसरे से टर्म्स तय करें। हमने बार-बार कहा है कि कैपिटल लेवी लगाइये । कांग्रेस सरकार लगा सकती है चाहे वह सेंटर की सरकार हो या सूबे की हो। अगर हम जावें तो माननीय मंत्री जी कहेंगे कि आपकी अनअथाराइज्ड इंट्रेंस है किसी के घर में और हम पकड़े जावेंगे। अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो उसे एक कमीशन मुकर्रर करना चाहिये जो सब पूंजीपतियों की आमदनी की जांच करे और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने से हिन्दुस्तान की सरकारें चलती हैं उससे ज्यादा आमदनी पूंजीपतियों की है। लेकिन यहां तो कहा यह जाता है कि यह सरकार नहीं कर सकती है क्योंकि विधान रास्ते में है। लेकिन जब प्रीवेंटिव डिटेन्शन ऐक्ट लागू करना पड़ता है तो विधान बदल जाता है, रिशफलिंग आफ कंस्टीट्यूऐंसीज होता है तो विधान बदल जाता है और जब जमींदारों के मुआविजे का प्रश्न टेढ़ा मेढ़ा होता है तब भी विधान बदल सकता है लेकिन नेशनेलाइजेशन के लिये विधान नहीं बदल सकता है। ऐसा विधान है कि कांग्रेस पार्टी जब चाहे तब वह बदल जाता है और जनता के हित के लिये नहीं बदल सकता। क्या कांग्रेस गवर्नमेंट कह सकती है कि पूंजीपतियों की इतनी आमदनी नहीं है? मैं चैलेंज करता हूं। एक मामूली सी बात है कि हमारे यहां ६६ शुगर मिल्स हैं। अगर १० लाख भी औसत आमदनी हम एक की लगावें तो ६ करोड़ की आमदनी हो जाती है। जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी का प्रोग्राम है कि १,००० रुपये से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं होगी और सौ रुपये से कम नहीं होगी, चाहे वह उद्योग धंधों से हो चाहे नौकरी करके हो। इस बात को लागू करने के बाद माननीय मंत्री जी कोई अधिकारपूर्ण बात कर सकते हैं। हमने एक्जामिन कर लिया है। कोई ख्याली पुलाव सामने नहीं ला रहे हैं । बर्मा को देख लीजिये। वहां इनकम का अनुपात १ और १३ का है। यूगोस्लाविया में १ और ६ का है। हैदराबाद के निजाम को ५० हजार रुपये रोज मिल जाते हैं। पंजाब में प्रति एकड़ १५ रुपये के हिसाब से चकबंदी में खर्चा हुआ, लेकिन किसानों से केवल एक रुपया के हिसाब से लिया गया और मध्य प्रदेश में भी आठ आने से ज्यादा नहीं लिये गये। जब यह सब बातें कही जायंगी तो कहा जायगा कि रुपया कहां से आयेगा। दलील क्या देते। माननीय मंत्री जी ने ख्वाब देखा कि गंगा चूंकि अंग्रेजों ने निकाली और गंगा सिंचाई कर देता है तो सिंचाई-कर कैसा और किस बात का । तो यह बात नहीं है।

मैं तो आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यदि आप सचमुच में सीरियस हैं तो एक हद बांधकर ऊपर की आमदनी का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय तो ९४३ करोड़ की क्या बात है १,२०० करोड़ रुपया आसानी से मिल सकता है। कौन सी दलील है आपके पास। जब विधान के अनुसार हर व्यक्ति का वोट बराबर है तो फिर किस दलील से कहा जा सकता है कि जिसके परिवार में १२ आदमी हैं और

जमीन केवल २ एकड़ है उससे आप ४ रुपये फी एकड़ ले लेंगे और एक आदमी है जिसके पास कुल ४-५ आदमी हैं और उसकी करोड़ों की आमदनी है ये दोनों बराबर हैं जब सूबे में यह बात आयेगी तो दिल्ली की बात कहेंगे और जब दिल्ली में यह बात आयेगी तो यह कहा जायगा कि बिड़ला जी की सम्पत्ति का समाजीकरण कैसे हो सकता है। दो करोड़ जमींदारों से तो दुश्मनी मोल ली जा सकती है, ७०० रियासतों से दुश्मनी ली जा सकती है, लेकिन १,५०० खान्दान जो पूंजीपतियों के हैं हिन्दुस्तान में, उनके विरुद्ध मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस गवर्नमेंट न जाने क्यों अपना कदम नहीं उठा पाती है। इसका माननीय मंत्री जी के पास कोई जवाब है?

सचमुच बात यह है कि रास्ते तो निकल सकते हैं लेकिन सरकार रास्ता निकालना नहीं चाहती है। वैसे ही कह देते हैं कि टैक्स नहीं लेंगे तो चकबंदी कैसे होगी। दरअसल बात यह है कि आपको हुकूमत करते हुये छः साल हो गये हैं लेकिन आपने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं किया कि मैक्जीमम और मीनिमम इनकम क्या होनी चाहिये। गांधी जी का नाम लिया जाता है वह प्रति दिन दो छः पैसे पर रहते थे और हमारे प्रेसीडेंट महोदय हैं उनका केवल १०,००० रुपया प्रतिमास है। उन पर लाखों रुपया खर्च हो जाता है। हमारी जो फारेन एम्बैसीज हैं उन पर भी लाखों रुपया खर्च होता है। ब्रिटेन में हमारे हाई कमिश्नर के पास ९ कारें और दो मोटर बाइसिकलें हैं। उनकी निज की रोल्स रायस कार की कीमत ५४,००० रुपये हैं। गांधी जी ने जब हिन्दुस्तान को विदेशों में रिप्रेजेंट किया था तो केवल एक लंगोटी पहनकर चले गये थे।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महामान्य प्रेसीडेंट की बात कहना कहां तक युक्तिपूर्वक है। यहां तो सवाल यह है कि चकबंदी के लिये रुपया कहां से और किस कारखाने से लिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—यह तो प्वाइंट आफ आर्डर है। इसके लिय मैं क्या कहूं। लेकिन सवाल यह है कि आपने कहा कि रुपया कहां से लाया जाय। जहां तक माननीय प्रेसीडेंट की रेस्पेक्ट का सवाल है तो मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि मैं माननीय मंत्री जी से किसी भी दशा में कम नहीं बल्कि ज्यादा स्टेट के प्रति फेथफुल होऊंगा। हमारा विरोध तो वर्तमान शासक गवर्नमेंट से है। लेकिन यह तो एक मिसाल है। रुपया आ सकता है लेकिन कांग्रेस पार्टी पावर में है। उसका हर जगह बहुमत है। वह जो चाहे वही कानून बन सकता है। समाजीकरण करने से उसे कोई रोक नहीं सकता।

इन शब्दों के साथ में कहता हूं कि इसको फिर से रिकंसीडर कर लिया जाय। एक रुपया किसानों से ले लीजिये और बाकी सरकार अपने पास से दे। इसमें माननीय चरण सिंह का नाम हो जायगा। यह सुनहरा मौका है और जनता उनके गुण गायेगी। यह ऐसा मौका है। नाराज होने की कोई बात नहीं है। रास्ते तो बहुत हैं लेकिन सरकार स्वयं निकालना नहीं चाहती है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री गजेन्द्र सिंह जी ने सदन के सामने उपस्थित किया है मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने यह बात कही कि सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि चकबंदी मुफ्त कराई जा सके। मैं तो समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी अगर किसानों के सच्चे नेता हैं तो उनको तो कोशिश करनी चाहिये कि अगर यह कार्य मुफ्त में हो जाय तो सबसे अच्छा है। क्योंकि जहां तक चकबंदी का सवाल है यह तो बहुत ही मुफीद चीज किसानों के लिये मानी जाती है और इससे बढ़कर हम सिंचाई को भी स्थान नहीं देते। तो ऐसी हालत में हम जब इसे सिंचाई से भी बढ़कर मानते हैं तो हमें इसको प्रोत्साहन देना चाहिये। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि हमारे पास बजट का कोई हिस्सा नहीं है। मैं एक सुझाव इस सरकार के सामने रखना चाहता हूं और वह यह है कि अभी अपने बयान में माननीय मंत्री जी ने रिहैबिलिटेशन ग्रांट का भी जिक्र किया। उसके

[श्री कमला सिंह]

मुताल्लिक में यह अर्ज करना चाहता हूं कि बहुत सी रेलिजस संस्थायें इस प्रदेश में हैं जैसे शिवजी के नाम से या अल्लाह ताला के नाम से बहुत सी जमीन उन संस्थाओं के नाम से है। जैसा आपने जमींदार के बारे में कहा कि अगर एक जमींदार की जमीन दस जिलों में है तो उसकी सारी जमींदारी आपने एक जगह कलेक्ट किया और दस हजार से ऊपर जो आई उसको आपने किसी तरह का रिहैबिलिटेशन ग्रांट नहीं दिया। इसी तरीके पर शिवजी या अल्लाह-ताला की जो जायदादें हैं अगर उनको भी आप पूरे सूबे के अन्दर इकट्ठा करके एक कर दें तो दस हजार से ऊपर जितनों की आती है अगर उनको आप रिहेबिलिटेशन ग्रांट से बचा लें तो वह रुपया मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की चकबंदी के लिये बहुत काफी होगा। इस तरह की जितनी भी संस्थायें हों, चाहे वे हिन्दू की हों, चाहे मुसलमान की हों, चाहे इसाई की हों अगर उनके लिये आप ऐसा कर दें तो इस प्रदेश का बहुत रुपया बच सकता है और उस रुपये से चकबंदी कराई जा सकती है। इन शब्दों के साथ मैं श्री गजेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, त्रिपाठी जी के लखनऊ में इस भवन में खड़े होकर और गौरीशंकर के शिखर के ऊपर की बात मैंने जब सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम हुआ और मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी ने अभी यह बताया कि जिस वक्त मुआविजा देने की बात इस भवन में हो रही थी उस वक्त भी सोशलिस्टों की तरफ़ से यह स्लोगन था कि जमींदारों और ताल्लुक़ेदारों को मुआविजा न दिया जाय और अगर दिया भी जाय तो किसानों से वसूल न किया जाय बल्कि दूसरों से लिया जाय। त्रिपाठी जी ने जवाब में यह बताया कि मंत्री जी हिन्दुस्तान की इस तरह से परिस्थिति होते हुये किस मुंह से यह शब्द कह सकते हैं कि किसानों से रुपया लेकर जो खर्चा चकबन्दी के सिलसिले में होगा उनको बर्दाश्त किया जायगा। मैं तो आप के द्वारा निवेदन यह करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी ने तो उसी मुख से इसको कहा जिस मुख को ईश्वर ने उनको दिया, लेकिन जब आपने यह स्लोगन उसी वक्त लगाया था और एलेक्शन के समय में भी आपने न मालूम कितने लाउड स्पीकर्स द्वारा चिल्ला-चिल्ला कर अपनी मीटिंगों में यह कहा कि हम जब सरकार बनायेंगे उस वक्त हर चीज किसानों को मुफ्त में देंगे, जमीन का भी बटवारा कर देंगे फिर भी जब किसानों ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया तो फिर आप किस मुंह से इस भवन में इस चीज को कहने के लिये खड़े हुये हैं। यह चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार की ओर से जो कार्यवाही हो रही है यह लोकतंत्रात्मक जो पद्धति है उसके अनुसार हो रही है। किसानों को सहायता पहुंचाने के लिये किसानों की भलाई के लिये सरकार की ओर से प्रयत्न हो रहा है और हम लोग यही संकल्प लेकर यहां आये हैं और उसी के अनुसार यह चकबन्दी विधेयक भी यहां लाया गया है। किसान इसे भली भांति समझता है कि चकबन्दी से उसको लाभ होने जा रहा है या नुकसान। वह जानते हैं कि आजकल उनका एक खेत इस घाट पर है और दूसरा उस घाट पर जिनकी वजह से अपने हल और बैलों को ले जाने में उसे बहुत सी दिक्क़तों का सामना करना होता है। इसलिये वह इस चकबन्दी को सहर्ष स्वीकार करेगा चाहे उसके लिये उसे कितना ही खर्चा क्यों न देना पड़े। यह बात कहना कि एक एकड़ वालों और दो एकड़ वालों से कम लिया जाय और बड़ों से ज्यादा लिया जाय, यह मुनासिब नहीं मालूम होता है। मैं आपके द्वारा त्रिपाठी जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य गांवों में जाकर किसानों से इस संबंध में बातें करें तो उनको मालूम होगा कि किसान इस बिल का स्वागत बड़ी खुशी से कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार होने के पहले यहां पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। अंग्रेज लोग भी यही कहते थे कि हम हिन्दुस्तानियों की भलाई के लिये ही आये हैं। लेकिन अगर आप उन चीजों को देखें जो कांग्रेस सरकार ने अपने आने के पश्चात् की हैं और जो अंग्रेजों के

जमाने में हुईं, उस समय और आजकल की पुस्तकों को पढ़ें तो आप को मालूम होगा कि अंग्रेजों के जमाने की पुस्तकों में केवल शब्द जाल है और उन्होंने कार्यरूप में कुछ नहीं किया, अपने किसी भी विचार को कार्यरूप में परिणत नहीं किया बल्कि जिस प्रकार उन्होंने हिन्दुस्तान की हालत को ख़राब किया उसका अनुभव हम और आप सब कर रहे हैं। वह हमारे यहां ३०० वर्ष तक रहे और इस बीच में उन्होंने भारत के रहने वालों को सफेद बना दिया। ठीक उसी प्रकार की भाषा आज लाल टोपी पहन कर कही जा रही है। मैं समझता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई जमाना आ जाय और ये लोग हुकूमत में आ जायं तो हिन्दुस्तान को लाल बना कर छोड़ेंगे, और न मालूम हिन्दुस्तान की क्या हालत हो जायगी। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सोशलिस्ट भाई बातें करें तो उचित बातें करें। बाबू जयप्रकाश नारायण जी भी तो सोशलिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। वे भी तो जानते हैं कि किस प्रकार से भारत की उन्नति हो सकती है, किस प्रकार से भारत की भलाई की जा सकती है। यह नहीं कि यहां लखनऊ में बैठकर दूसरी सरकारों की बातें की जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपक द्वारा बड़ी नम्रता से यह निवदन करना चाहता हूं कि व इस विधेयक को अच्छी तरह से समझें और अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद अगर कोई मुनासिब संशोधन हो तो वह मुनासिब तरीक़े से रखें और मेरा विश्वास है कि अगर कोई मुनासिब सुझाव उनका होगा तो राजस्व मंत्री जी उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। यह नहीं कि प्रान्तीय सरकार का बिल यहां पेश हो रहा है और दूसरे प्रान्तों और पार्लियामेंटों की बातें की जांय और बताया जाय कि कहां क्या हो रहा है। इसलिये मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस संशोधन को जो यहां पर उपस्थित किया गया है, उसको मंजूर न किया जाय।

श्री मलखान सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा तो न थी कि इस संशोधन के ऊपर जो कि इतना साफ़ है कुछ बोलने की कोशिश करूं, लकिन अभी-अभी हमार माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं कि अंग्रेज ने ३०० बरस में सफेद बना दिया और लाल टोपी वाले भी उधर ही जा रहे हैं लाल करने के लिये। मैं उनसे यह कह देना चाहता हूं कि वास्तव में लाल टोपी वाले किसानों को लाल बना देना चाहते हैं। आपकी तरह से उनका ख़ून चूसना नहीं चाहते हैं, उन्हें सफेद करना नहीं चाहते हैं। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि आप जो यह बात करते हैं कि यह रुपया कहां से आवे, तो आपके यहां के बड़े से बड़े मंत्रियों ने इस बात का दावा किया था कि यह जो हम जमींदारों को कम्पेंशेसन का रुपया देंगे वह दस गुना से बहुत जल्द वसूल कर लेंगे और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एड़ी से चोटी तक सारा जोर लगा लिया, ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से कितने हथकंडे इस्तेमाल किये गये लेकिन वे कितने रुपये वसूल कर सके? यह तो उनकी जितनी डींग थी वह सब जमीन के अन्दर धंस गयी और मैं यह भी आपसे कह देना चाहता हूं कि आज लोग इस बात को कहते हैं कि आप किसानों के ऊपर आबपाशी बढ़ाने जा रहे हैं, ड्योढ़ा करने जा रहे हैं और शायद यह रुपया किसी दूसरी मद पर ख़र्च करेंगे। अभी एक महाशय ने कहा था कि हम किसानों से रुपया लेकर उसे किसानों पर ही ख़र्च करेंगे। यह तो दूसरी बात है लेकिन अगर किसानों का सिर भारी करके वह रक़म दूसरी जगह इस्तेमाल की जायगी तो यह कहां तक मुनासिब बात होगी। अभी मेरे एक भाई ने कहा कि गांव वाले चकबन्दी का बहुत स्वागत करते हैं। मैं साफ तौर पर उनको बतला देना चाहता हूं कि हम लोगों को और आप लोगों में से एक एक को एड़ी चोटी का पसीना बहाना पड़ेगा और तब कहीं जाकर हम उन निरक्षर भट्टाचार्यों को इस बात के लिये मजबूर कर सकेंगे कि वे इस बात के लिये तैयार हो जायं। अभी अपने गांव के किसानों से बातें नहीं कीं। वे यह समझते हैं कि मेरे बापदादों का जो चाहे दो ही बीघा खेत है और जिसको हमने आज तक इतना उपजाऊ बनाया है वह चाहे अकेले ही क्यों न पड़ जाय लेकिन वे उसको किसी तरह से छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं। यह उनकी मनोवृत्ति है जिसको हमें बतलाना पड़ेगा। चकबन्दी के मामले में हम तो आप के साथ हैं। हम कहते हैं कि उसके लिये पूरा जोर लगाना पड़ेगा।

[श्री मलखान सिंह]

आपको भी जोर लगाना पड़ेगा और हम लोगों को भी जोर लगाना पड़ेगा। अगर आप समझते हों कि बहुत आसान तरीक़े से वे लोग इसका स्वागत करेंगे तो यह समझना ग़लत है। हमें और आपको, हर एक को वस्तु-स्थिति को समझ लेना है। इसलिये यही कहा जाता है कि छोटे जो दो एकड़ वाले काश्तकार हैं उनसे ८ आना प्रति एकड़ और बड़े काश्तकारों से एक रुपये से अधिक न लिया जाय। बाकी जो रुपया खर्च हो वह खुद गवर्नमेंट खर्च करे। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसको न माना जा सके। कांग्रेस के लोग जब लेक्चर देने जाते थे दस गुना वसूल करने के लिये, तो गांव के किसानों को बतलाते थे कि जो ये सोशलिस्ट लोग लाल टोपी वाले हैं और जो कम्पेन्सेशन के खिलाफ बातें करते हैं क्या मुफ्त की कोई चीज अच्छी होती है? मुफ्त की चीज कोई किसान नहीं लेना चाहेगा। इस तरह की तमाम बातों के बावजूद भी, तमाम जोर लगाने के बाद भी गवर्नमेंट इसमें असफल रही, यह तो स्वयंसिद्ध है। इसलिये मैं कहता हूं कि चकबन्दी की बात जो आप कर रहे हैं उसके लिये यह न समझें कि कोई जोर न लगाना पड़ेगा। उसके लिये पूरा जोर लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ मेहनत करनी पड़ेगी। तब जाकर कहीं आप इसको सफल बना सकेंगे। ५ वर्ष के अन्दर ही यह चीज सफल हो जाय इसलिये तो हम आपसे कहते हैं कि जैसा और सूबों ने किया है किसानों के ऊपर खर्चा कम करें और खर्चे का ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट खुद बर्दाश्त करे तभी यह काम आसानी से हो जायगा और ५ वर्ष की मियाद के अन्दर हो सकेगा। इसलिये मैं श्री गजेन्द्र सिंह के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को पढ़कर मुझे एक बड़ा विस्मय सा हुआ। मेरे मित्र श्री गजेन्द्र सिंह ने कहा है कि दो एकड़ से कम पर ८ आना प्रति एकड़ व्यय किया जाय और इससे ऊपर १ रुपया। मैं समझता हूं कि इंसाफ के साथ अगर इस चीज पर गहरी नजर से विचार किया जाय तो यह बड़ी नुकसान की चीज होगी। इसका कारण मैं आपको बतलाता हूं कि जिस प्रकार १ बीघे में २० बिस्वे होते हैं, इसी तरह एक एकड़ में १०० डिस्मल होते हैं लेकिन इसमें दिया हुआ है कि २ एकड़ से कम हो, इसका अर्थ यह है कि यदि १ एकड़ ९९ डिस्मल एक कृषक का क्षेत्रफल मान लिया जाय और यदि इतनी भूमि किसी कृषक के पास हो तो उस का हिसाब लगाने के लिये बड़े २ हिसाबदां चाहिये और बड़े-बड़े रजिस्टर्स रखने पड़ेंगे और एक अलग विभाग खोलना पड़ेगा। इससे हमारी सरकार का व्यय बहुत अधिक होगा। यह सरकार का व्यय ही नहीं होगा बल्कि किसानों से लेकर व्यय होगा। यदि हमारे मंत्री महोदय इसे स्वीकार भी कर लें, लेकिन अगर ग़रीब जनता की ओर ध्यान देकर विचार करें तो मैं समझता हूं कि किसानों के लिये अत्यन्त हानिकारक है और इसके बजाय अगर हमारे साथी श्री गजेन्द्र सिंह जी आपस में विचार विमर्श कर के कोई बड़ी संख्या, १० या २० एकड़ रखते तो बड़ा अच्छा होता लेकिन इस संशोधन में यह कहीं नहीं है। यह तो प्रत्यक्ष है जिस प्रकार से हिसाब करना होगा उससे एक अलग विभाग खोलना होगा। इसमें हमारे देश का ही नहीं वरन् किसान वर्ग का भी बड़ा नुक्सान होगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र गजेन्द्र सिंह जी से आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह अपने इस संशोधन में और अधिक बढ़ायें और संशोधन करें तो अच्छा होगा लेकिन वह स्टेज (दशा) तो बीत चुकी है। इसलिये इसका अवसर नहीं है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन है गजेन्द्र सिंह जी का मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि मेरे विचार में वह ठीक मृगतृष्णा के समान है। एक लालच से सामने रक्खा गया है सदन के अन्दर। हमने इसका विरोध किया। एक-एक एकड़ का हिसाब लगाना मेरी समझ में नहीं आता। मेरे बुजुर्गवार ने कांग्रेस के साथ कुछ हमदर्दी दिखलायी क्योंकि आप पुराने कांग्रेस के मेम्बर रहे हैं और कहा कि हम साथ देंगे। अरे जो गरजता है वह बरसता कम है। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि भाई जो बात कही

जाय उस पर अमल कर के दिखाया जाय जबानी कहने से काम नहीं चलता। ईमानदारी की बात यह है कि हम अमल चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने यही बताया—करो या मरो। जो बात कहो उस पर अमल करो। आज किसान पपीहे के समान नक्षत्रों की तरफ नजर लगाये हुये हैं कि कब ओस टपके और उसे चाटने को मिले। किसान भी आज जमींदारों के जुल्म से छुटकारा पाने की बाट जोह रहा है। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। मान्यवर, आज भी हमारे जमींदारों के जुल्म खत्म नहीं हुये हैं हालांकि जमींदारी खत्म हो गयी है। लाल टोपी रखते हुये भी यह लोग जुल्म करते हैं। ये उसी कठघरे में हैं चाहे कोई पंडित हो, या ठाकुर हो। लेकिन मान्यवर, यह ऊपर से तो लाल टोपी है लेकिन अन्दर से काली है। कहने का अर्थ यह है कि भाई किसानों के हमदर्द हो तो ईमानदारी से अमल करो। गांव में आप भी चलिये, मैं भी चलता हूं और आप को चैलेंज करता हूं कि जहां आप चलना चाहें मैं चलने को तैयार हूं और दिखलाइये कि कहां किसान चकबन्दी के लिये तैयार नहीं हैं। कौन किसान ऐसा है जो कि चकबन्दी के लिये तैयार नहीं है। ठाकुर साहब आज भी धमकी देते हैं और कहते हैं कि खेत पर जाओगे तो पैर काट डाले जायंगे। जिस दिन चकबन्दी हो जायगी उस दिन हमारे किसान छुट्टी पा जायंगे। वह कहते हैं कि इस रोज की जहमत से तो यह अच्छा है कि एक दिन मुसीबत आ जाय। किसानों ने भूमिधरी के लिये अपना ३३ करोड़ रुपया दिया है और वह और भी देने के लिये तैयार हैं बल्कि वह इस बात पर भी तैयार हैं कि यह हमारी चकबन्दी हो जाय तो इससे छुट्टी पा जायं। किसी लाल या काली टोपी से इसमें कोई रुकावट होने वाली नहीं है। हमने देखा कि जनसंघ ने भी अपनी काली टोपी को सामने दिखाना शुरू कर दिया है लेकिन इस तरह की टोपी के दिखाने से काम नहीं चल सकता है। सूप के बजाने से यह ऊंट भागने वाला नहीं है। यह कहा गया कि इससे चरण सिंह जी का नाम हो जायगा या और किसी का नाम हो जायगा। मैं तो यह समझता हूं कि जो भी मिनिस्टर यहां पर कांग्रेस की तरफ से रहेगा उसी का नाम होगा। अभी चरण सिंह जी ने जरा सा सख्त रुख दिखलाया कि पटवारियों का मामला हल हो गया। उन्होंने इस्तीफे दिये उनको मंजूर कर लिया गया तो यह हमारी सरकार जो कुछ भी करती है वह तो जनता के हित में और जनता की भलाई को सोच कर ही करती है। मैं तो यह निवेदन करता हूं कि आज भले ही किसानों को धोखा देकर रुपया ले लें, लेकिन वह रुपया कहां से आयेगा। क्या गजेन्द्र सिंह जी के घर से आयेगा या मलखान सिंह जी के घर से आयेगा? साफ मतलब है कि रुपया सीधे टैक्सेशन से आयेगा जिसको हमारी सरकार पसन्द नहीं करती और अगर आप लोग चाहते हैं कि यह होना चाहिये तो फिर किसान से जा कर सच-सच कहिये कि इतना खर्चा होगा तुम रुपया दो। इस कारण मैं इस संशोधन का पुनः विरोध करता हूं और अपने मित्र से अनुरोध करता हूं कि वह अपने इस संशोधन को वापस लेने की कृपा करें।

श्री गजेन्द्र सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन के विपक्ष में बोलते हुये शिवनारायण जी ने जो दलील दी उनसे तो जरूर प्रभावित हुआ कि मैं अपने संशोधन को वापस लूं लेकिन जो और कांग्रेसी सदस्यों ने मेरे संशोधन पर एतराज किया है उससे मैं प्रभावित नहीं हुआ हूं।

शिवनारायण जी ने ३५ करोड़ रुपये की किसानों से वसूली का जिक्र किया, लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप को कितना रुपया वसूल करना था और आपने कितना वसूल किया है। आप को १ अरब ८० करोड़ वसूल करना था और आप ने कुल मिला कर ३५ करोड़ रुपया वसूल किया है यह कोई आप की बहुत बड़ी सफलता नहीं है। और फिर जिस तरह से यह वसूल किया है उसकी भी एक कहानी है.....

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—वापस लेने के बाद यह भाषण दे रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—वह दे सकते हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह——मुझे यह मालूम पड़ता है कि माननीय सभासचिव सो रहे थे या किसी सिनेमा हाल में बैठे थे जिससे उनको मालूम नहीं है कि यहां पर क्या हो रहा है। मैं यह कह रहा था कि उस रुपये को वसूल करने में जिस तरह से जुल्म किया गया और ज्यादती करके यह रुपया वसूल किया गया है इसके ऊपर शिवनारायण जी को बड़ा नाज है और उसकी सफलता पर उनको बहुत बड़ा नाज है.....

श्री शिवनारायण——मैंने यह नहीं कहा था कि गवर्नमेंट को नाज है। मैंने यह कहा था कि इतना गवर्नमेंट ने वसूल किया है।

श्री गजेन्द्र सिंह——मैं शिवनारायण जी की बात मानता हूं। भगवती प्रसाद जी शुक्ल ने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में हार गयी। मैं इसको मानता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी चुनाव में हार गयी, लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी को कांग्रेस ने नहीं हराया है। जनता ने हमारा स्वागत किया है। उनको मालूम होना चाहिये कि अभी प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी २–३ साल का बच्चा है। जहां तक कांग्रेस का यहां पर बहुमत है उसकी वजह उसके कारनामे नहीं है। उसकी वजह महात्मा गांधी के कारनामे हैं या उस कांग्रेस के कार-नामे हैं जिसका सारे देश ने समर्थन किया था और उसने ही चुनाव जितवाया है। जहां तक इस कांग्रेस का ताल्लुक है इसको आप खत्म कर दीजिये, इसका नाम न लें और यही सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था और तमाम देश के भद्र पुरुषों ने दिया था कि कांग्रेस के नाम को समाप्त कर दिया जाय। हमने तो उसके बाद ही उस पार्टी को छोड़ कर अपनी पार्टी बना ली है और आज यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी मौजूद है, लेकिन अगर वह कांग्रेस के नाम को समाप्त करके चुनाव लड़ें तो उनको पता होगा कि वह कितने गहरे में हैं। और कितने पानी में हैं। उस वक्त आप को अपने विशालब हुमत के घमंड का पता लग जायगा जब आप कांग्रेस का नाम समाप्त कर के हमारे सामने आयेंगे और चुनाव लड़ेंगे।

श्री बलदेव सिंह जी ने हमारे संशोधन की मुखालिफत की और कहा कि हम चाहते हैं कि बग़ैर पैसा दिये हुये ही चकबन्दी हो जाय और माननीय मंत्री जी ने भी यही दलील दी और वह इतनी हवा में उड़े कि उन्होंने चकबन्दी की बहस को तो छोड़ दिया और चुनाव के जमाने की बातों पर और उससे भी पहले के जमाने की बातों पर पहुंच गये। हमारे दूसरे साथी ने कहा कि हिमालय की शिखर तक उड़ान हमने लगाई है। मैंने तो कोई बात ऐसी नहीं कही। मैंने तो केवल इतना ही कहा था और शायद माननीय मंत्री जी को भ्रम हो गया है, मैंने बहुत संक्षेप में कहा था और कोई बात ऐसी नहीं कही थी कि बग़ैर पैसे के चकबन्दी हो जाय। मैंने तो यह भी कहा था कि मंत्री जी अगर इस में कुछ तब्दीली भी करना चाहें तो कर लें और मेरी तो उनसे यही प्रार्थना थी कि कुछ एमाउन्ट फिक्स कर दिया जाय और अगर कुछ घटाना बढ़ाना चाहें तो घटा बढ़ा लें। न तो मेरा संशोधन यह कहता है कि बग़ैर पैसे के चकबन्दी की जाय और न मैंने ऐसा कहा था। भले ही आप किसानों की बात न सुनें और कहें कि पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास नवाब हैदराबाद, मैसूर और ग्वालियर वग़ैरह और बड़े रियासतों के राजाओं के लिये तो है और उनको आप दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े जमींदारों और ताल्लुकेदारों को जिनके घरों में लाखों रुपया भरा पड़ा है उनको तो आप आज भी किसानों से लूट–लूट कर रुपया दे सकते हैं लेकिन अगर किसानों के हित की बात इधर से कही जाती है और कहा जाता है कि उनके साथ कुछ रियायत की जाय तो तरह-तरह के प्रश्न पैदा किये जाते हैं। यह आप की दलीलें हैं। आप को अधिकार है, लेकिन जो दलीलें माननीय मंत्री जी ने पेश की हैं वह कोई मुनासिब दलीलें नहीं हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप बग़ैर पैसे के चकबन्दी कर दीजिये, मैं तो कहता हूं कि आप लीजिये लेकिन एक एमाउन्ट फिक्स कर दीजिये और उसमें कुछ घटाना बढ़ाना चाहें तो ठीक कर लें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह लम्बी चौड़ी बहस को छोड़ कर मेरे संशोधन पर ग़ौर करें। अगर वह कुछ एमाउन्ट बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसके लिये भी तैयार हैं। इसलिये मैं उनसे पुनः निवेदन करूंगा कि वह हमारे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मुख़तसरन जो बातें उठाई गई हैं उनका जवाब देना चाहता हूं। माननीय मलखान सिंह जी ने भूमिधरी फंड का जिक्र किया और कहा कि गवर्नमेंट ने सारा जोर लगा दिया लेकिन फिर भी वह रुपया वसूल न कर सकी। मालूम होता है कि हमारे मित्र इस उसूल पर काम कर रहे हैं कि कींचड़ फेंके जाओ कुछ तो चिपक ही जायगा और नहीं तो कहीं न कहीं तो निशान लगा ही रह जायगा और बार-बार कहा जा रहा है कि हमने भूमिधरी फंड की वसूली में ऐसी जबरदस्ती की और ऐसे-ऐसे अत्याचार किये कि अगर वह उसकी पूरी कहानी सुनाते तो एक बड़ी लम्बी एट्रासिटीज की कहानी हो जाती जो गवर्नमेंट ने किसानों पर ढाई। असलियत यह है कि न तो गवर्नमेंट ने किसी के साथ कोई जबरदस्ती की और न राज्य कर्मचारियों ने ही जबरदस्ती वसूली की और न गवर्नमेंट की कभी ऐसी मन्शा थी। जितनी भी मीटिंग हुईं उनमें यही बताया गया और कहा गया कि बमुकाबले सीरदार रहने के भूमिधर बनने से क्या लाभ हैं और उनसे साफ-साफ कहा गया कि तुम्हारी मर्जी है चाहे बनो या न बनो। लेकिन तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम भूमिधर बन जाओ। उनको समझाया गया कि रुपया आप को देना है और मुआवजा सभी अन्ततोगत्वा आप की जेब से आना है और अगर जबरदस्ती वसूल करने की बात होती तो वह रुपया टैक्स के जरिये से वसूल किया जा सकता था। यह जो ६०-६५ करोड़ रुपया है यह जबरदस्ती ही वसूल होगा, लेकिन जैसा कि कहा गया कि गवर्नमेंट ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया और कुल ३३ करोड़ रुपया ही वसूल हुआ और इस ६५ करोड़ की वसूली में कोई जोर लगाना नहीं पड़ेगा। इससे जाहिर है कि वह ३३ करोड़ रुपया केवल समझाकर और व्याख्यान देकर ही वसूल किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जिन लोगों ने दसगुना नहीं दिया और भूमिधर नहीं बने, सीरदार हैं उनको मुआविजा नहीं देना पड़ रहा है? वह लगान की शक्ल में इस मुआविजे को देते रहेंगे। अगर मुआविजा जमींदारों को देना है तो कहां से आयेगा? उसके दो रास्ते थे। दोनों रास्ते हमने किसानों के सामने रख दिये। एक चौथायी की समझ में आ गया। उन्होंने ३३ करोड़ रुपया दे दिया। बाकी लोगों की समझ में नहीं आया। उन्होंने नहीं दिया। वह कि श्तबंदी के तौर पर दे रहे हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह—इसके मानी यह हैं कि वह मुआविजा नहीं देना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—देना तो कोई नहीं चाहता है। कोई टैक्स देना चाहता है?

श्री गजेन्द्र सिंह—आप राजाओं को देना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह—वह तो हम देना चाहते हैं। लेकिन वह टैक्स के रूप में तो हम नहीं दे रहे हैं। जितने भी नागरिक हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो खुशी, से मालगुजारी आबपाशी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कोर्ट फीस या रेल का किराया देना चाहते हैं? कोई नहीं देना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर उनसे पूछा जाय तो वह कहेंगे कि उल्टे हमको दो रुपया फी एकड़ दे दो। इसलिये इसका क्या सवाल है वह नहीं चाहते। आदमी बेसमझी से नहीं देता है। लेकिन समझाया जाता है तो कहने लगता है कि बात आपकी माकूल है।

दूसरी बात यह है कि चकबंदी में कठिनाइयां हैं। माननीय मलखान सिंह जी ने कहा। मुझे तस्लीम है कि कठिनाइयां हैं। किसान चकबंदी चाहता है। लेकिन साथ ही साथ उसको अपने खेतों से मोह भी है। यह खेत मेरे दादा के समय से चला आ रहा है या मेरे खेत में कुआं बना हुआ है या मेरे खेत में ज्यादा उर्वरा शक्ति है। मैं नहीं देना चाहता हूं। डाइन और माइन उसमें है। लेकिन फिर भी करना है। मैं अपने मित्र मलखान सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मान लें कि तीन रुपया फी एकड़ के हिसाब से खर्चा पड़ जाय और छः रुपये देने पड़ें और वसूल केवल एक रुपया करें जैसा कि माननीय गजेन्द्र सिंह चाहते हैं तो जो किसान पहले नहीं तैयार हो रहा था क्योंकि छः रुपये देने पड़ रह रहे थे तो

[श्री चरण सिंह]

अब चूंकि एक रुपया देना पड़ेगा इसलिये तैयार हो जायगा चकबंदी के लिये? यानी यह कि इसकी कास्ट कम कर दी जाय इसलिये किसान चकबंदी के लिये राजी हो जायंगे। कठिनाइयां हैं जिन्हें हमें हल करना है। लेकिन इससे कास्ट से क्या वास्ता इससे कोई अन्तर नहीं पड़ने वाला है। कोई किसान जिस जमीन को अच्छी समझता है चाहे वह बिसुवा भर भी हो देना पसन्द नहीं करता, इसलिये कठिनाइयों का जिक्र करना असंबद्ध बात है।

जहां तक एलेक्शन की बात का सवाल है, मैंने एलेक्शन की बात नहीं कही थी। मैंने तो सिर्फ यह कहा था और मुझे कस्बे का नाम भी हमीद खां साहब से मालूम हो गया है। शिवराजपुर कस्बा है। २५ अगस्त, १९५१ को गया था। कस्बे का नाम उन्होंने बताया। तारीख मैंने याद की। कन्नौज की सड़क पर है। स्वप्न की बात नहीं कहता हूं। इन कानों की सुनी बात कहता हूं। मुझे इटावा की भी बात मालूम है और उस गढ़ की भी बात मालूम है जहां से माननीय गजेन्द्र सिंह चुन कर आये हैं। बहुत जबर्दस्त मीटिंग वहां पर हुई थी और उसको सोशलिस्ट पार्टी ने डिस्टर्ब भी करने की कोशिश की थी। यह भी मालूम है कि किसानों ने एक नहीं सुनी, अपना बस्ता उठा कर चल दिये थे। उस वक्त मैं गजेन्द्र सिंह जी को जानता नहीं था नहीं तो पहचान कर बता देता।

हमने डिप्टी कलेक्टर के बजाय तहसीलदार को रखा है। यह भी उनके कहने पर रखा है लेकिन उसमें हमने आब्लीगेशन की बात नहीं की है।

अब रहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी जब बोलते हैं तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मेरे चेहरे के हावभाव से किसी तरह से ऐसी बात प्रगट न हो कि मैं अप्रसन्न हूं उनके भाषण से। लेकिन क्या करूं उनका ढंग ही इस प्रकार का है कि मैं कभी-कभी ऐसी गलती कर बैठता हूं जिससे ऐसा मालूम होता है कि कुछ नाराजी हो गयी।

अब उन्होंने यह कहा कि २ करोड़ जमींदारों से भी नहीं डरे। तो गोया यहां ६ करोड़ में २ करोड़ जमींदार हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--बिहार में भी हुआ है।

श्री चरण सिंह--तो बिहार और यू०पी० दोनों के जमींदार मिलाकर २ करोड़ हैं यह मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

तो दो करोड़ तो जमींदारों से नहीं डरे और आल्हा ऊदल की संतान से नहीं डरे, यानी इस रजवाड़े से नहीं डरे, तो यह तो आपको तसलीम है कि हम डरना कम जानते हैं। तो जब उनसे नहीं डरे तो लाला और सेठों से कैसे डर जाते हैं यह तो आपकी बुद्धि का सवाल है। यह डरने की बात नहीं है, कोई और बात है और उसके लिये खुद अपनी बुद्धि पर जोर दें कि बिना मुआविजा लेने की बात तो बुनियादी है। मैं, हमारी पार्टी, हमारी सारी आर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट और कांस्टीट्यूशन बिना मुआविजा जायदादें छीन लेने के खिलाफ है। लुभावना बहुत मालूम होता है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी से यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत सी बातें पहले पहल मन को भाती हैं, लेकिन विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो मन में बात उठती थी वह गलत है। मन में तो न मालूम क्या-क्या उठता है। किसी की कोठी छीन लो, किसी की बढ़िया कार पर तबियत चल जाय और न मालूम किस-किस चीज पर तबियत चल जाय, लेकिन आदमी जब ठंडा हो कर सोचने बैठता है तो मालूम होता है कि वह गलत था। तो यह बड़ा अच्छा मालूम होता है कि बिना मुआविजा छीन लो, यह उसी तरह की लुभावनी और खराब बात है।

इसके नतायज बहुत खराब निकल सकते हैं। इसीलिये हमने ईक्विटेबिल कम्पेंसेशन रखा है। हमने कहां फुल कम्पेंसेशन दिया? तो मुआविजा तो उनको देना है और मुआविजे के लिये जमींदार ही रो रहे हैं कि मुआविजा नहीं है, कहां से आये। तो फैक्टरी वालों के लिये कहां से आये मुआविजा ? खैर–बिना मुआविजा ही अगर उन को ले लिया तो यह ९ अरब रुपये की आमदनी गवर्नमेंट को बढ़ जायगी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––कमीशन बनाइये, मैं आपको बता दूंगा।

श्री चरण सिंह––हमारी तो नकल करने की आदत रही है अंग्रेजी हुकूमत के जमाने से। पतलून की मुहरी के लिये अंग्रेजों ने कहा कि तंग मुहरी की पतलून का हमारे यहां फैशन है तो यहां भी तंग मुहरी की पतलून हो गयी और जैसे वह चीज यहां रायज हुई तो मालूम हुआ कि वहां अब फिर चौड़ी मुहरी का फैशन है। मैं तो पतलून पहनता नहीं, लेकिन दूसरों से मैंने ऐसा सुना कि फिर चौड़ी मुहरी की पतलून हो गयी। तो इसी तरह से हम लोग दूसरों की नकल करते हैं। तो इकोनोमिक्स की किताबों में यह पढ़ लिया कि मिकैनाइज्ड फार्मिग बहुत अच्छा है, तो हमारे जितने पढ़े–लिखे आदमी हैं सड़क पर, रेल में, बार असोसियेशन में, उनसे बात कीजिये, वह यही कहते हैं कि इम्प्रूव्ड फार्मिग के मानी हैं मिकैनाइज्ड फार्मिग, कलेक्टिवाइज्ड फार्मिग। तो अगर फैक्टरी सब गवर्नमेंट ले ले तो पैदावार, प्रोडक्शन, बहुत बढ़ जायगा यह भी बातें आपने पढ़ लीं। लेकिन जो एक्सपीरिएंसेज हैं वह सारे विपरीत हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी––आपके एक्सपीरिएंसेज दूसरे हैं।

श्री चरण सिंह––वह तो ठीक है, जो बचपन में पढ़ लिया वही खयाल दिमाग में भर गया। मेरी समझ में नहीं आया कि फैक्टरीज को नेशनलाइज्ड कर देने से प्रोडक्शन कैसे बढ़ जायगा। मैं आप से पूछता हूं कि रूस में भी कोई मजदूर हड़ताल कर सकता है? मैं, जो आपका स्वर्ग है, उसकी बात कर रहा हूं। तो नैशनलाइज्ड फैक्टरी हो तो मजदूर गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाता है और वह हड़ताल नहीं कर पाता। लेकिन यहां तो लेबर हड़ताल करता है। वह कैपिटलिस्ट के खिलाफ करता है और गवर्नमेंट बीच में पड़कर उसके हक में फैसला कराती है। जब यहां नैशनलाइज्ड फैक्टरी होगी तो यहां भी मजदूर गवर्नमेंट सर्वेंट होगा। मैंने सन् १९२१ से, जब से अंग्रेजी का अखबार पढ़ना शुरू किया मैंने नहीं पढ़ा कि वहां फलां तारीख को फलां टेक्सटाइल के कारखाने में हड़ताल मजदूरों की हो गयी।

श्री गजेन्द्र सिंह––मजदूरी बहुत मिलती है।

श्री चरण सिंह––इतनी मिलती है कि २० मिनट अगर वह लेट आये तो उसे तीन साल की सजा मिलती है। यह मजदूरी मिलती है। तो यह नेशनलाइज्ड फैक्टरी वगैरह की बात और यह कि इससे पैदावार बढ़ेगी और एकदम से बड़ी भारी आमदनी बढ़ जायगी, ये सब बातें अब पुरानी हो गईं। इनमें अब कुछ है नहीं। ठीक है, एक्सप्लायटेशन न हो, कोआपरेटिव बेसिस पर प्रोडक्शन हो, ऐसी कोई तरकीब निकालें तो अच्छा है। एक्सप्लायटेशन जिससे बिल्कुल जाय इसके लिये कोई उपाय सोचा जाय, इस तरह की कोई आर्थिक व्यवस्था बनाई जाय तो बड़ी अच्छी बात है। इस समय मैं पूरी तफसील में जाना नहीं चाहता। लेकिन यह बिलकुल बे सिर पैर की बात कहां प्रेसीडेन्ट साहब का जिक्र कहां नेशनलाइज्ड फैक्टरी और कहां यह चकबंदी।

माननीय गजेन्द्र सिंह ने कहा कि मैंने कहां कहा कि बिना खर्चा, चरण सिंह ने कहा कि मैंने बिना खर्चे की बात कही, मैंने तो आठ आने यहां रखे हैं। गजेन्द्र सिंह जी ने नहीं कहा, नारायण दत्त जी ने कहा होगा और फिर ३ रु० अगर खर्चा पड़े और

[श्री चरण सिंह]

आठ आने आप लेने को कहें तो वह करीब-करीब बिना खर्चा ही हुआ। यह कौन सा आरगूमेंट आप दे रहे हैं? तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात तो ऐसी है कि जब लड़ाई हो जाय तो कोई अपनी हार मानता ही नहीं। यह तो दूसरे लोग तय करते हैं, दुनिया तय करती है कि किधर की युक्ति न्याय के अनुकूल है और न्याय संगत है।

रहा एलेक्शन वगैरह का सवाल गजेन्द्र सिंह जी ने भी कहा। हमने बचपन में कहानी सुनी है कि दो आदमियों में लड़ाई हुई, उसमें एक ने दूसरे को पीटा तो उसने कहा कि अब की पीटो तो बताऊं फिर उसने दो जूते रख दिये। तो कहा कि अब की पीटो तो देखूं। यह उपाध्यक्ष महोदय, बचपन की सुनी हुई कहानी याद आ गई। तो यह ऐसी कितनी बातें हो चुकीं। अभी हाल ही का एलेक्शन का तजुर्बा है फिर भी कहते हैं कि एलेक्शन हो जाय तो देख लेंगे। यह ऐसी ही बात है। हां मैं आपकी हिम्मत की तारीफ करता हूं। बस इतना ही कहकर मैं खत्म करता हूं।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दया जाय--

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि २ एकड़ से कम जोत वाले किसानों से आठ आने प्रति एकड़ तथा इससे अधिक की जोत वालों से एक रुपया प्रति एकड़ से अधिक न लिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में --१७
विपक्ष में--१३२।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३४

--(१) यदि कोई व्यक्ति धारा ३१ और ३३ के अधीन दी गई सहायक धिकारी की किसी आज्ञा से क्षुब्ध (aggrieved) हो, तो ऐसी आज्ञा ने पन्द्रह दिन के भीतर, नियत रीति से चकबंदी अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

(२) सहायक चकबंदी अधिकारी उक्त आपत्ति को अपनी रिपोर्ट के साथ चकबंदी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३५

पत्ति का स्तारण sposal of ections

३५--(१) धारा ३४ के अधीन आपत्ति तथा रिपोर्ट के प्राप्त होने पर, चकबंदी अधिकारी ऐसी स्थिति को छोड़कर जिसके विषय में धारा ३६ में कोई व्यवस्था की गई हो नियत रीति से तथा आपत्तिकर्ता को सूचना (notice) देने के बाद उक्त आपत्ति का निस्तारण करेगा।

(२) चकबंदी अधिकारी का निर्णय ऐसी दशा को छोड़कर जिसके विषय में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई व्यवस्था की गई हो, अंतिम होगा।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

खंड ३५ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायं:--

"(२) कोई भी व्यक्ति जो चकबंदी अधिकारी को उपधारा (१) के अधीन दी हुई आज्ञा से क्षुब्ध हो, ऐसी आज्ञा से ३० दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय, उस दशा को छोड़कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्य प्रकार से की गयी हो, अंतिम होगा।"

श्री चरण सिंह--मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३५ के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायं--

"(२) कोई भी व्यक्ति जो चकबंदी अधिकारी को उपधारा (१) के अधीन दी हुई आज्ञा से क्षुब्ध हो, ऐसी आज्ञा से ३० दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय उस दशा को छोड़ कर जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अन्य प्रकार से की गयी हो, अंतिम होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३६

मध्यस्थ निर्णय (arbitration) के निमित्त भेजना।

३६--(१) उस दशा में जब धारा ३४ के अधीन की गई आपत्ति में भूमि के आगम (title) का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो और ऐसे प्रश्न का निर्णय अंतिम रूप से किसी सक्षम (competent) न्यायालय द्वारा न हो चुका हो, तो चकबंदी अधिकारी उसे निस्तारण के निमित्त मध्यस्थ के पास अभिदिष्ट करेगा।

(१--क) ऐसे सभी वाद या व्यवहार (suits or proceedings) जो मूलिक न्यायालय या अपील में हों और जिनमें उस ही भूमि से सम्बद्ध आगम (title) का प्रश्न उठाया गया हो, रोक दिये जायेंगे।

(२) मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा।

श्री जयराम वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं :

खंड ३६ के उपखंड (१-क) की पंक्ति २ में शब्द "उस ही" के स्थान पर शब्द "उसी" रख दिया जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३६ के उपखंड (१-क) की पंक्ति २ में शब्द "उस ही" के स्थान पर शब्द "उसी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ३६—क

श्री भगवान सहाय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अध्याय ५ (प्रकीर्ण) में खंड ३७ के पूर्व एक नया खंड ३६—क निम्नलिखित शब्दों में जोड़ा जाय :—

"३६—क—जब कि कुछ गांव के बारे में धारा ४ का गजट हो जायगा और उन गांवों के कुछ काश्तकार आपसदारी की रजामंदी से अपनी जोत को तबादले द्वारा एकजाई कराने के लिये प्रार्थनापत्र देंगे तो उन जोतों को चकबंदी के लिये एक साथ कार्रवाई के लिये ले लिया जावेगा चाहे ऐसे किसानों की तादाद कितनी ही हो और उसका असर कितने ही गांवों की चकबंदियों पर न पड़ता हो।"

श्रीमन्, बात बिलकुल सीधी सी है और मेरा मतलब इस संशोधन को पेश करने का केवल इतना ही है कि आमतौर पर देखा जाता है कि एक गांव के काश्त करने वाले बराबर पड़ोस वाले गांव में भी काश्त करते हैं और बराबर पड़ोस के गांव वाले अपने गांव में भी काश्त करते हैं और इस गांव में भी काश्त करते हैं। जब हम गांव का फिर से लेआउट कर रहे हैं तो हमें यह जरूर रखना चाहिये कि चकबंदी करते समय ज्यादा से ज्यादा हिस्सा चकबंदी में आ जाय और इस तरह की खामियां जो कि इस विधेयक में हैं वे पूरी हो जायं। अगर एक गांव का काश्तकार अपने गांव में भी जमीन किये हुये है और पड़ोस के गांव में भी किये हुये हैं और इसी तरह से दूसरे गांव के काश्तकार ने उसके गांव में की हुई है तो यदि वे दोनों आपस में रजामंद हों तो उनकी जमीन का तबादला करा दिया जाय क्योंकि दूसरे गांव वाला भी यह महसूस करेगा कि उसके गांव में भी चकबंदी होगी। इसमें दोनों का लाभ है। अगर इस तरह की चीजें रह जायंगी तो एक ही काश्तकार के चक कितने ही गांवों में होंगे। इस तरह से एक जमीन के अन्दर ८,८ और ९,९ चक हो जायंगे। इस संशोधन से मैं यह चाहता हूं कि अगर काश्तकार अपने पड़ोसी गांववाले काश्तकार को राजी करले तो सरकार को उसे मान लेना चाहिये और उसे वे सारी प्रिविलेजेज दे दे जो इस कनसालीडेशन आफ़ होल्डिंग ऐक्ट में जमीन की चकबंदी करने में लागू होंगी। यह राहत जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में भी नहीं हैं, क्योंकि वहां पर जो एक्सचेन्ज कराने का हक़ दिया है वह बहुत ही थोड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार करके इस विधेयक का पूरा-पूरा फ़ायदा काश्तकार को होने दें।

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुये।)

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसानों के अपने खेतों के तब्दील करने की बात है वह दफा १६१ जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में मौजूद है। उसके मुताबिक किसान आपस में अपने खेतों का तबादला कर ही सकते हैं। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि कठिनाई क्या है।

श्री भगवान सहाय—कैसे तबादला, कहां कर सकते हैं?

श्री चरण सिंह—काश्तकार तबादला कर सकते हैं देहरादून से लेकर बलिया तक। पहले तो यह था कि महाल के अन्दर कर सकते थे, फिर गांव के अन्दर हुआ और जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में कहीं का भी हो गया है।

श्री भगवान सहाय—उस दफा १६१ से मेरे संशोधन का आशय पूरा नहीं होता। उसमें सीरदार और भूमिधर के बीच में तबादला पूरे तरीके से नहीं होगा। सीरदार की जमीन भूमिधर के कब्जे में भूमिधर की हैसियत से होगी और उसके टाइटिल्स और इनकम्बेंसेज तब्दील हो जावेंगे। अगर माननीय मंत्री जी मुझे समझा दें कि यह कैसे जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में है तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

श्री चरण सिंह—मैं अपने माननीय मित्र से कहूंगा कि अगर उनके पास ऐक्ट है तो उसे खोल कर बैठें क्योंकि उसमें यह है कि भूमिधर सीरदार से तब्दील कर सकता है और सीरदार भूमिधर से कर सकता है।

श्री भगवान सहाय—१/१० या कुल ?

श्री चरण सिंह—वे कुल कर सकते हैं। मान लीजिये कि किसी के पास ५०० बीघे भूमिधरी है और दूसरे के पास ४५० बीघे सीरदारी है तो वे कर सकते हैं। यह नहीं है कि जितनी होल्डिंग है उसका १० परसेंट कर सकते हैं। इधर ९० से लेकर १०० तक हो यानी दस बैरी करे तो जो जमीन मिलेगी, पहले जो राइटस हैं वही क्लैम हो जायेंगे। मेरी पहले उनसे बात हुई थी और यही मैंने अर्ज किया था।

श्री भगवान सहाय—मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

खंड ३७

मध्यस्थ निर्णय

३७—(१) यदि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन किसी विषय को निर्णय के निमित्त किसी मध्यस्थ के पास भेजने का आदेश दिया जाय तो राज्य सरकार उन दीवानी न्यायाधिकारियों (सिविल जुडीशियल आफिसर्स) या प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट कलेक्टरों में से किसी को, जिनको अपने पद का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेगी और अन्य सभी बातों में, मामले का निर्णय आर्बिट्रेशन ऐक्ट १९४० के अनुसार किया जायगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन मध्यस्थ की नियुक्ति या तो सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट मामले या किसी विशिष्ट वर्ग के मामलों के सम्बन्ध में या किसी निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंध में की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३८

साक्षियों के उपस्थित करने तथा उनके बयानों के अधिकार।

३८—(१) निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी भी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी), चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी को ऐसे सब सामर्थ्य (powers) अधिकार (rights) और विशेषाधिकार (privileges) प्राप्त होंगे, तो किसी व्यवहार (action) में निम्नलिखित मामलों के संबंध में दीवानी न्यायालय (Civil Court) को प्राप्त हैं :

(क) साक्षियों को उपस्थित कराना और उनको शपथ देकर अभिलाभ (affirmation) करा के, या अन्य प्रकार से उनके बयान लेना और विदेशस्थ साक्षियों (witnesses abroad) का बयान लेने के लिये कमीशन या निवेदन पत्र (Letter of Request) जारी करना;

(ख) किसी को कोई लेख्य (document) प्रस्तुत करने को बाध्य करना ;

(ग) अपमान (contempt) के लिये लोगों को दंड देना और किसी भी व्यवहार (action) में साक्षियों को उपस्थित और लेख्यों को प्रस्तुत कराने के लिये दीवानी न्यायालय द्वारा जारी किये जा सकने वाले किसी भी रीतिक प्रसर (formal process) के स्थान

पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ सम्मन भेजा जा सकता है और वह उक्त प्रसर के ही बराबर समझा जायगा।

(२) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में कोई बात रहते हुये भी, यदि बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) या चकबंदी अधिकारी को संतोष हो कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन तैयार किये गये किसी लेख्य (document) में कोई लेख्य या गणना संबंधी कोई ऐसी अशुद्धि या भूल (clerical or arithmetical mistake or error) है जो बिलकुल प्रत्यक्ष है तो वह या तो स्वतः या किसी स्वत्व रखने वाले व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर उस अशुद्धि को ठीक कर सकता है।

श्री जयराम वर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३८ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "लेख्य" के स्थान पर शब्द "लेख" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३८ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ में शब्द "लेख्य" के स्थान पर शब्द "लेख" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३८ के उपखंड (२) के अन्त में शब्द "सकता है" के स्थान पर शब्द "देगा" रख दिया जाय।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३८ के उपखंड (२) के अन्त में शब्द "सकता है" के स्थान पर शब्द "देगा" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३९

लेख्य इत्यादि प्रस्तुत कराने का अधिकार।

३९—(१) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों या निरोधों को बाधित न करते हुये, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी), चकबंदी अधिकारी या सहायक चकबंदी अधिकारी लिखित आज्ञा द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दे सकते हैं कि वह ऐसे लेख्य, पत्र और रजिस्टर प्रस्तुत करे या ऐसी सूचना दे जिसे वे इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का उचित प्रयोग या कर्त्तव्यों का उचित पालन करने के लिये आवश्यक समझें।

(२) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसे इस धारा के अधीन कोई लेख्य, पत्र या रजिस्टर प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने का आदेश दिया गया हो, यह समझा गया कि वह इंडियन पीनल कोड की धारा १७५ और १७६ के अर्थ में विधितः ऐसा करने को बाध्य (legally bound) है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४०

४०—किसी बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी), चकबंदी अधिकारी तथा सहायक चकबंदी अधिकारी के सामने होने वाली कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायगा कि वह इंडियन पीनल कोड की धारा १९३ और २२८ के अर्थ में और धारा १९६ के प्रयोजनों के लिये एक वैचारिक व्यवहार (judicial proceeding) है।

बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) चकबन्दी अधिकारी तथा सहायक चकबंदी अधिकारी के सामने व्यवहारों का वैचारिक व्यवहार माना जाना।

श्री श्रीचन्द—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४० की पंक्ति ४ में शब्द "वैचारिक व्यवहार" के स्थान पर शब्द "न्यायिक कार्यवाही" रख दिये जायं।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री चन्द जी को बधाई तो देना ही चाहता हूं क्योंकि उन्होंने काफ़ी लग्न के साथ हमें काफ़ी हिन्दी के शब्द सिखाने की कोशिश की लेकिन जो संशोधन उन्होंने यहां पर रखा है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं इसलिये कि महात्मा गांधी जी भी यह कहते थे कि हमारे यहां की जो भाषा होगी वह हिन्दुस्तानी होगी और ऐसी होगी जिसे जनता समझ सके। यहां पर वह "वैचारिक व्यवहार" के स्थान पर "न्यायिक कार्यवाही" चाहते हैं। वैसे तो समझ में अध्यक्ष महोदय दोनों ही नहीं आते हैं लेकिन "वैचारिक" से मैं समझता हूं कानूनी से मतलब था। तो अगर क़ानूनी रख देते तो मैं समझता हूं कि हर एक इसको अच्छी तरह से समझ सकता है। एक पहले भी श्रीमन् शब्द आया है सभन के लिये, शायद आह्वान था, बड़ा सुन्दर शब्द था लेकिन वह पेश नहीं किया गया। दिक्कत यह होती है श्रीमन्, मुझे याद आया कि अल्मोड़े में मेरे पड़ोस में एक मेरे साथी रहते थे। उनके घर में औरत बीमार हो गयी। थर्मामीटर की उनको जरूरत पड़ी। जो महाशय थे वह असल में बड़े कट्टर हिन्दी के अनुयायी थे और थर्मामीटर कहना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि तापमापक यंत्र ले आओ। वह बाजार भर में घूमता रहा लेकिन कहीं उसको तापमापक यंत्र नहीं मिला क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाया। नतीजा यह हुआ कि उस बेचारे की औरत भी मर गयी। अध्यक्ष महोदय, रेलवे में एक ट्रेनिंग हो रही है सिगनल के नाम की। बहुत दिनों से ट्रेनिंग दी जा रही है मगर अभी तक लोग उसको ठीक कह नहीं पा रहे हैं। उसका नाम रखा गया है 'आवागमन सूचक पट्टिका'।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्रीचन्द जी और माननीय जयराम वर्मा जी को बधाई तो अवश्य देना चाहता हूं लेकिन उनसे भी यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ठेठ हिन्दी के शब्द जिनको कोई किसान नहीं समझ सकता जिनके लिये यह कानून बनाया जा रहा है अगर न रखे जायं तो बहुत अच्छा हो और हम सरकार से भी यह प्रार्थना करेंगे कि ऐसे शब्दों को हटा कर ऐसे शब्द रखे जायं जिनको सारी जनता आसानी से समझ सके। इसके अलावा मैं गवर्नमेंट से यह भी कहना चाहता हूं कि इतना समय इसमें नष्ट हुआ है, अगर अब कोई कमेटी बने जिसमें कोई क़ानून बने तो उसमें माननीय श्रीचन्द जी, माननीय जयराम वर्मा जी और हमारे माननीय रतनलाल जैन जी ने भी कुछ तरक्की कर रखी है उन्हें उसमें और बढ़ा दिया जाय तो हमारा बहुत समय बच जायगा। हमसे तो कहा जाता है कि जल्दी पास कीजिये, हम बैठ बैठे परेशान हो गये, अध्यक्ष महोदय, का, को और की सुनते सुनते।

मैं उन्हें बधाई देकर देता हूं लेकिन ऐसे संशोधनों को पेश करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार से मिल लीजिये और जो ठीक शब्द हों उनको रख दीजिये और यहां सदन का समय नष्ट न कीजिये। इसलिये मैं इसका पक्का विरोध करता हूं।

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ने यही कुछ कहा है कि वह यह कि "वैचारिक व्यवहार" और "न्यायिक कार्यवाही" ये दोनों शब्द उनकी समझ में नहीं आये। मैं समझता हूं कि यदि प्रचलित भाषा में जिसका रिवाज देहात में है उनमें से ऐसे शब्द ढूंढ़े जायं तो पूर्व वाला यदि कोई शब्द रख दिया जाय तो वह बड़ा ही विचित्र शब्द होगा और हमारे प्रदेश का एक बड़ा भाग उसको नहीं समझेगा। इसी प्रकार यदि देहरा, कांगड़ा, देहरादून आदि किसी भी जिले के शब्द हम रखें तो भी आपकी समझ में नहीं आयेगा। "वैचारिक व्यवहार" इतना व्यापक (वाइड टर्म) है कि जिसके माने यह हुये कि अपने विचार के अनुसार वह कार्यवाही करेगा। परन्तु उसको स्वयं विचार करना है कि कितना उपयुक्त शब्द है। मेरे भाई ने न्याय शब्द तो कहीं न कहीं अवश्य सुना होगा। न्याय से न्यायिक शब्द बनाया गया तो इसमें कौन सी कठिनाई है जो आपकी समझ में नहीं आया। यह न्याय से संबंध रखता है। हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट और यहां पर जो सज्जन बैठे हैं वे सभी यही चाहेंगे कि न्याय हो, यदि आप न्याय नहीं चाहते हैं तो वह अन्याय होगा। अतः मैं कहने के लिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह न्यायसंगत हों और लंबे चौड़े (वर्ड्स्यापक) विचारों को रखने का प्रयत्न न करें। इसके अलावा मेरे बारे में और मेरे मित्र श्री जयराम वर्मा जी के बारे में उन्होंने जो विचार व्यक्त किये हैं हमें तो यही लगता है कि विचार विमर्श करके कोई ऐसी सेवा हम लोगों के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे।

श्री पदम सिंह—अध्यक्ष महोदय, उनका संशोधन मुझे स्वीकार है लेकिन एक शिकायत है वह यह कि माननीय उपाध्याय जी ने तो केवल यह कहा था कि वे दोनों ही शब्दों को नहीं समझते, इसलिये उसका कोई जवाब देकर उन्होंने बेकार अपनी एनर्जी वेस्ट की। जो शब्द वैसे हैं जो स्वीकार के अधिकार के हैं उनको तो मूव ही नहीं किया गया। केवल वही मूव किये गये हैं जिनसे कुछ अर्थ पर असर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४० का आठवां पंक्ति में शब्द "वैचारिक व्यवहार" के स्थान पर शब्द "न्यायिक कार्यवाही" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४१

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ का लागू किया जाना।

४१—जब तक कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्य प्रकार से स्पष्ट व्यवस्था न की गई हो, यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (अध्याय ९ तथा १०) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन सब व्यवहारों (proceedings) पर लागू होंगे जिनके अन्तर्गत अपील और आवेदन पत्र (Applications) हैं।

श्री श्रीचन्द—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि पंक्ति ४ में शब्द "व्यवहारों" के स्थान पर शब्द "कार्यवाहियों" रख दिया जाय।

श्री करन सिंह—मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४१ की पंक्ति ४ में शब्द "व्यवहारों" के स्थान पर शब्द "कार्यवाहियों" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४१ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४२

अधिकारी और प्राधिकारी।

४२—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित अधिकारी नियुक्त कर सकती है:—

(१) सहायक चकबंदी अधिकारी (Assistant Consolidation Officer)

(२) चकबंदी अधिकारी (Consolidation Officer)

(३) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) [(Settlement Officer Consolidation)]

(४) सहायक संचालक (चकबंदी) [(Assistant Director Consolidation)]; तथा

(५) चकबंदी संचालक (Director of Consolidation)।

(२) चकबंदी संचालक तथा सहायक चकबंदी संचालक ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी), चकबंदी अधिकारी तथा सहायक चकबंदी अधिकारी के कार्य को पर्यवेक्षण (supervision) और अधीक्षण (superintendence) के विषय में ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेंगे जो नियत किये जायं।

(३) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी), चकबंदी अधिकारी तथा सहायक चकबंदी अधिकारी ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बने नियमों के द्वारा या अधीन उन्हें दिये गये या उन पर लगाये गये हों।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४२—क

४२—क—(१) यदि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ के अधीन संघटित भूमि प्रबंधक समिति में ११ से अधिक सदस्य हों तो समिति नियत रीति से ऐसी योग्यतायें रखने वाले जो नियत की जायं, ऐसे ११ सदस्य चुनेगी। चुने हुये सदस्यों और उपधारा (२) के अधीन नामांकित सदस्यों से यदि कोई हों, मिलकर बनी हुई समिति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भूमि प्रबंधक समिति समझी जायगी।

(२) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) भूमि प्रबंधक समिति के लिये एक से लेकर चार तक ऐसे सदस्य नामांकित कर सकेगा जिनका बढ़ाना उसके मतानुसार उस मंडल (Circle) में चकबंदी की कार्यवाही के लिये सुविधाजनक होगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

खंड ४२—क के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"यदि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ के अधीन स्थापित भूमि प्रबंधक समिति में पांच से अधिक सदस्य हों तो समिति उनमें से पांच या उससे अधिक परन्तु ग्यारह से अधिक नहीं, जैसा कि चकबंदी संचालक नियत करे, ऐसी योग्यतायें रखने वाले जो नियत की जायं, चुनेगी। ऐसे चुने हुये सदस्यों और उपधारा (२) के अधीन नामांकित सदस्यों से, यदि कोई हों, मिलकर बनी हुई समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भूमि प्रबंधक समिति समझी जायगी।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस संशोधन का संबंध है यह बहुत सीधा सादा और साधारण का संशोधन है। यह केवल इसलिये है कि जो समिति इस कार्य के लिये बनेगी वह इतनी बड़ी न हो जाय कि उसका काम चलना मुश्किल हो जाय। इसलिये उसकी संख्या नियत कर दी गयी है कि ५ से ११ तक सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त ५ सदस्यों के और नामांकन का प्रश्न है वह दूसरी दफा में हो चुका है। कुल मिलाकर ५ और ४, ९ या जितनी भी ज्यादा तादाद होगी बढ़ाते जायेंगे। इसलिये मेरी समझ में यह संशोधन आवश्यक है ताकि ऐसी समिति बने जो इस कार्य को सुचारु रूप से चला सके।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार है। केवल दो मात्राओं की बात कहनी है। इस संशोधन में दो वाक्य हैं। तो जो दूसरा वाक्य है वह इसे शुरू होता है "ऐसे चुने हुये सदस्यों और उपधारा (२) के अधीन नामांकित सदस्यों से यदि कोई हों, मिल कर बनी हुई समिति" तो नामांकित सदस्यों के बाद "से" के स्थान पर "को" कर दिया जाय और "मिल कर" के स्थान पर "मिला कर" कर दिया जाय। इस प्रकार से हो जाने पर यह मुझे स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४२—क के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"यदि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १२१ के अधीन स्थापित भूमि प्रबंधक समिति में पांच से अधिक सदस्य हों तो समिति उनमें से पांच या उससे अधिक परन्तु ग्यारह से अधिक नहीं, जैसा कि चकबंदी संचालक नियत करे ऐसी योग्यतायें रखने वाले जो नियत की जायं, चुनेगी। ऐसे चुने हुये सदस्यों और उपधारा (२) के अधीन नामांकित सदस्यों को, यदि कोई हों, मिला कर बनी हुई समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये भूमि प्रबंधक समिति समझी जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कैलाश प्रकाश—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव पेश करता हूं—

खंड ४२—क—के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

"(२) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) भूमि प्रबंधक समिति के लिये एक से लेकर चार तक ऐसे सदस्य नामांकित कर सकेगा जिनका बढ़ाना उसके अनुसार मतानुसार उस मंडल (Circle) में चकबंदी की कार्यवाही के लिये सुविधाजनक होगा। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, इस प्रकार नामांकित व्यक्तियों के वे सब अधिकार और दायित्व होंगे जो समिति के सदस्यों के होते हों।"

मुझे आशा है कि यह संशोधन स्वीकार किया जायगा ।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४२–क के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"(२) बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) भूमि प्रबंधक समिति के लिये एक से लेकर चार तक ऐसे सदस्य नामांकित कर सकेगा जिनका बढ़ाना उसके मतानुसार उस मंडल (Circle) में चकबंदी की कार्यवाही के लिये सुविधाजनक होगा । इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, इस प्रकार नामांकित व्यक्तियों के वे सब अधिकार और दायित्व होंगे जो समिति के सदस्यों के होते हों ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४२–क इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४३

४३—राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा मिले अपने अधिकारी में से कोई भी अधिकार किसी भी अधिकारी (officer) या प्राधिकारी (authority) को सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा उक्त विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किये जाने वाले प्रतिबन्धों (conditions) और निरोधों (restrictions) के अधीन प्रयोग करने के लिये सौंप सकती है ।

प्रतिनिधान । Delegation

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४४

४४—धारा ४२ की उपधारा (१) में उल्लिखित अधिकारी या उनकी आज्ञाओं के अधीन कार्य करने वाले कोई व्यक्ति या उनमें से कोई एक इस अधिनियम के अधीन किसी कर्त्तव्य के पालन में भूमि पर प्रवेश कर सकता है उसका मापन (survey) कर सकता है । उस पर मापन के चिन्ह (marks) बना सकता है तथा उसकी सीमाओं का परिच्छेद (demarcation) कर सकता है और अन्य ऐसे सभी कार्य कर सकता है जो उस कर्त्तव्य का उचित पालन करने के लिये आवश्यक हों ।

मापन के चिन्हों को नष्ट करने, हानि पहुंचाने अथवा उन्हें हटाने के सम्बंध में दण्ड ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ४५

४५—(१) यदि कोई व्यक्ति विधिक रूप से निर्मित किसी मापन के चिन्ह को बिना विधिक अधिकार के जानबूझ कर नष्ट करे या हानि पहुंचाये या हटाये तो चकबन्दी अधिकारी उसे प्रतिकर की ऐसी धनराशि के भुगतान करने का आदेश दे सकता है, जो इस प्रकार से नष्ट किये गये, हानि पहुंचाये गये अथवा हटाये गये प्रत्येक चिन्ह के लिये पचास रुपये से अधिक न होगी और जो उस अधिकारी के मतानुसार उक्त चिन्ह को पूर्व दशा में लाने के

मापन तथा परिच्छेद के लिये भूमि पर प्रवेश करने का अधिकारियों का अधिकार

उदय को पूरा करने तथा उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने नष्ट किये जाने, हानि पहुंचाये जाने, हटाये जाने की सूचना दी हो, पारितोषिक देने के लिये आवश्यक हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन [अर्थदण्ड लगाया जाना] प्रतिकर देने के लिये दी गयी कोई आज्ञा इंडियन पीनल कोड की धारा ४३४ के अधीन अभियोजन में बाधक न होगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४६

अधिनियम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली अपीलें इत्यादि।

४६—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी की गयी किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण (review, reference or revision) के निमित्त आवेदन पत्र प्रस्तुत न किया जा सकेगा, जब तक कि इस संबंध में इस अधिनियम के के अधीन या उसके द्वारा कोई व्यवस्था न की गयी हो।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, खंड ४६ पर जरा विचार करना है। कृपा करके ५ मिनट के लिये इसे रोक दीजिये।

खण्ड ४७

अभिलेख मंगाने तथा आदेशों का पुनःरीक्षण करने का चकबंदी संचालक का अधिकार।

४७—चकबन्दी संचालक किसी मामले का अभिलेख (record) अपने यहां मंगा सकता है यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि उस अधिकारी ने मध्यस्थ के अतिरिक्त जितने उस मामले का निर्णय किया है, किसी ऐसे अधिक्षेत्र का प्रयोग किया है जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था या विधितः प्राप्त किसी अधिक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है या अधिक्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से (illegally) या वास्तविक अनियमितता पूर्ण (with substantial irregularity) आचरण किया है और ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उपयुक्त समझे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४८—५१

दीवानी न्यायालय के अधिक्षेत्र पर रोक।

४८—कोई भी व्यक्ति चकबन्दी के व्यवहारों (proceedings) से उत्पन्न होने वाले किसी विषय के संबंध में या किसी ऐसे अन्य विषय के संबंध में जिसके लिये इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई वाद या प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा सकता हो, किसी दीवानी न्यायालय में कोई वाद या अन्य व्यवहार (proceedings) प्रस्तुत नहीं करेगा।

न्याय शुल्क से मुक्ति

४९—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किन्हीं भी व्यवहारों (proceedings) में दिये गये किसी आवेदन पत्र के सम्बन्ध में कोई न्याय शुल्क (court fee) देय न होगा।

संक्रामण को निष्पन्न करने के लिये कोई करण (instrument) आवश्यक नहीं

५०—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी—

(क) जोतों की चकबन्दी की किसी योजना को कार्यान्वित करने में अंतर्ग्रस्त किसी संक्रामण (transfer) को निष्पन्न करने के निमित्त किसी लिखित करण (instrument in writing) की आवश्यकता न होगी, तथा

(ख) किसी भी करण (instrument) के लिये यदि वह निष्पादित किया जाय, निबंधन (registration) की आवश्यकता न होगी।

५१—खातेदारों के धारा २६ के अनुसार अपने नये खाते पर कब्जा पाने के बाद, राज्य सरकार यथाशीघ्र सरकारी गजट में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि चकबन्दी क्रिया उक्त गांव में समाप्त कर दी गयी है और तदुपरान्त वह गांव चकबन्दी क्रिया के अधीन न रहेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४८ से खंड ५१ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५२

५२—१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी धारा ८ या ९ के अधीन तैयार किये गये अभिलेखों में इस प्रकार लिखित कोई संयुक्त खातेदार (joint tenure holder) धारा १६ के अन्तर्गत सिद्धांतों के विवरण के प्रकाशन से १५ दिन के भीतर चकबन्दी अधिकारी को खाते के अपने अंश को पृथक प्रदिष्ट करवाने के लिये आवेदन पत्र दे सकता है; उक्त आवेदन पत्र देने पर चकबन्दी अधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त प्रार्थी को पृथक खातेदार मानेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खण्ड ५२—क

श्री केशव गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५२ के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड ५२—क जोड़ दिया जाय—

"५२—क—१९५० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में किसी बात के विपरीत होते हुये भी, ६ १।४ एकड़ से कम के चक को खातेदार को टुकड़ों में संक्रामित करने का अधिकार न होगा और ६ १/४ एकड़ या इससे ऊपर के चक इस प्रकार संक्रामण होंगे कि संक्रामित किया हुआ भाग और खातेदार के पास बचे हुये भाग में से कोई भी भाग ६ १/४ एकड़ से कम न हो—इसके विपरीत सब ही संक्रामण अवैध (void) माने जावेंगे।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मेरा संशोधन है यह चकबन्दी विधेयक की जान है। हम लोग आज चकबन्दी करने जा रहे हैं। उसमें हमें ऐसी रुकावटें भी रखनी चाहिये जिससे आइंदा चल कर बहुत जल्दी ही चकबन्दी बिगड़ न जाय और ऐसी हालत पैदा न हो जाय जैसी कि आज मौजूद है। जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम हमने सन् ५२ में बनाया, उसमें हमने भूमिधरों को अपनी भूमि ट्रान्सफर करने का अधिकार दिया है। आज हम देख रहे हैं कि बराबर भूमिधर अपनी जमीनें बेच रहे हैं और रजिस्ट्री कर रहे हैं। अगर यह हालत चकबन्दी के बाद भी जारी रही तो इस चकबन्दी से कोई फायदा काश्तकारों को नहीं पहुंचेगा। चकबन्दी से जो मुश्किलात पड़ेंगी वह सब को मालूम हैं। यह कोई ऐसी आसान चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि जमींदारी विनाश से कहीं ज्यादा कठिन यह चकबन्दी की समस्या है। अब हम इतनी

[श्री केशव गुप्त]

कठिनाइयों को उठाकर चकबन्दी करने जा रहे हैं तो यह उचित ही मालूम होता है कि कोई प्रतिबन्ध या रुकावट न रखी जाय जिससे कि वह चकबन्दी कायम रहे। ६। एकड़ का इकनामिक होल्डिंग यानी लाभ प्रद जोत माना गया है। इसलिये मैंने तो इसमें यही रखा है कि ६। एकड़ से कम जो जोत होगी तो जब कभी कोई भूमिधर या खातेदार उसको ट्रांसफर करना चाहे तो उसको वह पूरा ट्रांसफर करे, टुकड़ों में ट्रांसफर न करे। अगर ६। एकड़ से ऊपर टुकड़े बनें तो वे ६। एकड़ से कम न हों। इसलिये यह बहुत सीधा-साधा सा और सच्चा संशोधन है। यह कहा जा सकता है कि इससे ट्रान्सफर में कुछ रुकावट पड़ती है और उसके विपरीत पड़ती है। मैं इसको ऐसा नहीं समझता। इसमें ट्रांसफर की रुकावट नहीं दी गयी है क्योंकि ट्रान्सफर रखा गया है जो कि एक प्रोसिजर वे में है और इस विधान को देखते हुये वह उसी उसूल पर है जिस पर कि यह बना है। यह उचित और न्यायसंगत मालूम होता है। हालांकि ट्रान्सफर में रुकावट तो रेंट कंट्रोल ऐक्ट में भी है क्योंकि कोई शख्स उसके मुताबिक अपने मकान को किराये पर नहीं उठा सकता है, उसका डी० एस० ओ० से अलाट कराना होगा। इसी तरह की रुकावटें और कानूनों में भी हैं। इस चकबन्दी के अन्दर बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं जो कि पूरे इन्तकाल के विरुद्ध पड़ती हैं। इसलिये अगर इसके लिये यह कहा जाय कि ट्रान्सफर पर रुकावट है और संविधान के विरुद्ध पड़ता है तो यह सही नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी मेरे आशय को समझ गये होंगे और इसको स्वीकार करेंगे।

श्री बलवन्त सिंह—जहां तक श्री केशव गुप्त जी के इस संशोधन का संबंध है उसकी स्प्रिट से तो किसी को इन्कार नहीं हो सकता। किन्तु जिस स्थान पर उन्होंने इस अपने संशोधन को रखा है वह इसके लिये क़तई उपयुक्त नहीं है। यह उनका संशोधन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में आना चाहिये क्योंकि यह जो इस समय क़ानून बनाया जा रहा है यह तो जोतों की चकबन्दी करने का है। इस समय यह सवाल नहीं है कि आगे चल कर इसको कैसे क़ायम रखा जाय। सवाल इस समय यही है कि जो इस समय हमारे यहां जोत हैं, खाते हैं, उनको किसी तरह से इकट्ठा कर दिया जाय और उनको इकट्ठा कैसे रखा जाय इसका प्रबंध तो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्दर रखा हुआ है। उसके अन्दर इसके लिये भी प्रबन्ध हो रहा है कि ६। एकड़ से अधिक के खाते तक़सीम न हों, बांटे न जायं। अगर इस तरह पर इस संशोधन को रखा जायगा तो इसका नतीजा यह होगा कि जो खाते इस समय ६। एकड़ से कम हैं और वे लोग उसको अलग-अलग अपने को कराना चाहें तो वे लोग उनको अलग अलग नहीं करा सकेंगे। मान लीजिये कि मिसाल के तौर पर ६। एकड़ में या ८ एकड़ में ४ भाई हिस्सेदार हैं और इस समय उनका खाता इकट्ठा चल रहा है और वह खाता एक गिना जाता है और चारों भाइयों के उसमें नाम हैं और आमतौर पर यह देखने में आता है कि वे सब भाई जोत में अलग अलग हैं। जोत अलग अलग हैं और खाता इकट्ठा चला आ रहा है तो इसका नतीजा यह होगा कि वे लोग अपने खाते को अलग-अलग जैसा कि इस समय जोत रहे हैं उनको अलग बनाना चाहें तो वे अलग नहीं बना सकते हैं। तो फिर बजाय फायदे के यह बहुत नुक्सान हो जायगा। यह भी देखने में आता है कि छोटे खाते हमारे यहां बहुत अधिक संख्या में हैं। उनको यह कहा जाय कि वह ट्रांसफर न कर सकें तो यह भी न्यायसंगत बात न होगी। यह तो हो सकता है कि अगर कोई खाता ट्रान्सफर करे तो वह पूरे तौर से ट्रान्सफर करे और टुकड़े कर के ट्रान्सफर न करे जिससे फिर छोटी जोतें न बन जांय लेकिन वह चीज भी यहां न आनी चाहिये, यह उसके लिये उपयुक्त स्थान नहीं है। यह क़ानून तो जमीन को इकट्ठा करने का है और यह सोचना जरूरी है कि जमींदारी विनाश क़ानून के अन्दर इस बात को सोच कर रखना चाहिये, कि किसी भी तरह हमारी यह चकबन्दी फिर कभी टूट न जाय और यह जितनी भी बात केशव जी ने रखी है वह सब मैं समझता हूं कि उसी का भाग है क्योंकि अगर किसी बाप के ४ लड़के हैं और उसके पास ८ एकड़ जमीन है तो क्या तरीक़ा अख्तियार करें कि किसी के पास चारों भाइयों में से सवा ६ एकड़ से कम का खाता न हो जाय। अगर आप कानून को इतना विस्तृत नहीं बनाते जिससे सारी परिस्थिति कवर हो जाय, इस तरह से

पीस मील लेजिस्लेशन करने की परिस्थिति से आप ट्रान्सफर रोक दें और बाक़ी के लिये आप खाली रखें और उनका बटवारा हो सके, यह उचित नहीं है। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि इतनी मेहनत के बाद यह क़ानून बना और चकबन्दी हुई तो हमें ऐसा प्रबन्ध भी करना चाहिये कि जिससे यह चकबन्दी टिकाऊ रहे और वह टूटने न पाये। इन कारणों से कि एक तो यह उपयुक्त स्थान नहीं है और यह अधूरी बात है जिनका पूरा प्रबंध सोचना पड़ेगा इसलिये मैं केशव जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, जो श्री केशव गुप्त जी का आशय है उससे तो मुझे १०१ प्रतिशत हमदर्दी है। वह चाहते हैं कि जो कन्सालिडेशन आज किया जाय वह कल को डिकन्सालिडेट न होने पाये अर्थात् जो जमीन का मालिक है वह उसको टुकड़ों में तक़सीम न करे और इसलिये वह चाहते हैं कि सवा ६ एकड़ से कम के टुकड़ों में वह जमीन को ट्रान्सफर न कर सके और अगर उसके ऊपर हो तो भी वह ऐसा न कर सके। मैंने स्वयं इस मसले पर बहुत ही ज्यादा विचार किया लेकिन कोई रास्ता दिखलायी नहीं दे रहा है। अगर इस सदन के माननीय सदस्यों में से कोई मुझे इस बात का सालूशन बता सके तो मैं मशकूर होऊंगा। लेकिन जिस तरह का संशोधन गुप्त जी ने रखा है उससे तो कठिनाई और बढ़ती ही है और सालूशन नहीं होता। मान लीजिये कि किसी के पास सवा ६ एकड़ का खाता है और वह आप चाहते हैं कि सब को एक ही साथ बेचे, एक या दो एकड़ वह नहीं बेच सकता। मान लीजिये कि उसको ५ बिस्वे बेच कर कर्जा देना है या बैल खरीदने हैं या कुवां बनवाना है या किसी अधूरे काम को पूरा करना है तो आप उसको एक तरह से मजबूर करते हैं कि वह कर्जा ले और सवा ६ एकड़को सिम्पिल मार्टगेज करे। नतीजा यह होगा कि अगर उसको रुपये की जरूरत है तो वह उसमें दो चार बिस्वे को अलग नहीं कर सकता और सारी ही जोत उसको रेहन करना होगा वर्ना वह किसी भी जरूरी काम को नहीं कर सकेगा। तो इस तरह से थोड़ा क़र्ज के लिये अगर उसको सारी होल्डिंग आड़ करना पड़ेगी तो इससे तो और कठिनाई हो जायगी।

दूसरी बात यह है कि क़र्ज वगैरह या किसी दूसरी जरूरत के लिये यह तय करने की बात है, मान लीजिये उसको कुछ काम करना है और उसके पास सवा ६ एकड़ जमीन है और जिन को वह बेचता है उनके पास ५-५ एकड़ जमीन पहले से है तो इस हालत में उसे टुकड़े कर देने में क्या हर्ज है? तो एक एक एकड़ टुकड़ों में हो जाय। यह डिकंसालिडेशन नहीं होता। आप यह शर्त करना चाहते हैं कि ६ एकड़ से कम नहीं दे सकता है। लेकिन आप का मंशा यह है कि टुकड़े-टुकड़े न हो जायं। लेकिन अगर जिसके पास पहले से आठ एकड़ है, अगर उसके पास एक एकड़ देना चाहें तो फिर आप का मंशा तो पूरा हो जाता है। लेकिन आप जो बात चाहते हैं क़ानून से उस में रुकावट पड़ जाती है। इसलिये यह भी देखना होगा कि जिसको बेची जाय जमीन उनके पास कितनी जमीन है। केवल बेचने वाले पर प्रतिबन्ध लगाना नाकाफी है।

हमने यह भी विचार किया कि हम ऐसी शर्त कर दें कि प्रिएम्शन करने का अधिकार होगा कि आस पास के खातेदार जिनकी जमीन चक है, उन्हीं को बेच सकता है,। तब भी डिकंसालिडेशन नहीं होता। फिर भी कठिनाइयां आती हैं। प्रिएम्शन की व्यवस्था को जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में हमने इसीलिये रिपील कर दिया उसमें बड़ी बेईमानी होती है। जरसमन क्या है, उसके सिलसिले में बड़ा करप्शन होता है। माननीय केशव गुप्त को स्वयं तजुर्बा है कि इसमें कितनी पर्जरी होती थी। इसलिये अगर प्रिएम्शन फिर करते हैं तो वही सेल कंसीडरेशन की बाबत पर्जरी फिर जारी करते हैं। जो पहले प्रिएम्शन ला था वह तो वाइड था। अगर यह शर्त करते हैं कि सिर्फ एडज्वायनिंग चक होल्डर्स ले सकते हैं तो बहुत लिमिटेड कर देते हैं। अगर मान लें कि चार एडज्वायनिंग चक होल्डर्स हैं और चारों आदमी मिल जायं और कहें कि हम बाजार का दाम जो है वह नहीं देते हैं, और उनके अलावा वह किसी को बेच नहीं सकता है तो इस तरह से उसकी क़ीमत में बहुत बड़ा फ़र्क़ पड़ जायगा और ज्यादातर छोटे भूमिधरों को नुक़सान होगा।

[श्री चरण सिंह]

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि अगर कोई तरीक़ा निकल सकता हो तो उस के लिये उपयुक्त स्थान जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम है, न कि यह। इसमें तो हम केवल यह कर रहे हैं कि जमीन की चकबन्दी हो जाय। आगे को पार्टीशन या ट्रांसफर हो या न हो उसके लिये उपयुक्त स्थान जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम है, न कि यह।

चौथी बात यह कहना चाहता हूं कि इसकी एक ही तरकीब सूझती है, अगरचे उस रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां हैं। और उससे केवल पार्टी का मामला हल होता है ट्रांसफर का नहीं हल होता है। बाप के मरने के बाद यह लाजिमी कर दें कि पहले लड़के को ही हक़ जायगा तो शायद उससे पार्टीशन का मामला हल हो जाय। लेकिन पूर्ण हल वह भी नहीं है।

मैं उस कठिनाई को महसूस कर रहा हूं। अपनी जमीन कोई बेचना नहीं चाहता। बेचेगा तो मजबूरी से बेचेगा। लेकिन मौजूदा कानून के हिसाब से जो वह फ्रैगमेंटेशन में बेच सकता है वह भी नहीं होना चाहिये। लेकिन वह कोई रास्ता अगर बतलायें और वह रास्ता ठीक होगा और हमने आपस में डिस्कशन कर के तय किया कि ठीक है तो उस के मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री केशव गुप्त—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने मित्र श्री बलवन्त सिंह और राजस्व मंत्री जी के भाषणों को सुना। मुझे श्री बलवन्त सिंह के भाषण को सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तो जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक में होनी चाहिये थी। उस समय तो चकबन्दी का ध्यान भी नहीं था। चकबन्दी से तो भूमि-व्यवस्था कानून दो साल पहले बना। इसलिये इस प्रकार की चीज को पहले ही सोच लें कि चकबन्दी होगी और चकबन्दी की रुकावटें उस अधिनियम में रख दें यह सम्भव नहीं था। इसलिये उनका यह कहना अनुपयुक्त था। इसके अलावा आज अगर ४ भाई जोत रहे हैं तो आप ने जो कहा कि रुकावटें पड़ेंगी तो मैंने तो किसी तरह भी चकबन्दी में रुकावट नहीं डाली। ८ एकड़ अगर जमीन है तो दो दो एकड़ उनके पास पहुंच जायगी। जब चकबन्दी की सब व्यवस्था खत्म हो जायगी और चकबन्दी पर कोई रुकावट पड़ेगी तो उस वक्त जो दो एकड़ के ४ काश्तकार हों या ८ काश्तकार हों उन को उनके हिसाब के मुताबिक़ पहुंच जायगी। यह तो सब के लिये है जब चकबन्दी के बाद यह प्रतिबन्ध लगेगा। तो उनका यह कहना कि मैं चकबन्दी पर कोई प्रतिबन्ध लगा रहा हूं यह उनकी सरासर भूल है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह बात कही कि अगर हम इस प्रकार की रुकावट रखते हैं तो फिर एक काश्तकार को अपनी जरूरत के लिये बेचने में रुकावट पड़ेगी। उससे रुपये की अगर कम जरूरत है तो उसे सारी की सारी बेचनी पड़ेगी। मैं तो खुद आप से कह देना चाहता हूं कि मैं तो इस बात को मानने वाला हूं कि इंस्ट्रूमेंट आफ प्रोडक्शन जो हैं अगर वह नहीं बिकते और उन पर कोई रुकावट रहती है तो चाहे उनको कितना ही नुक़सान हो जाय, लेकिन अगर उनके पास उसके इंस्ट्रूमेंट्स आफ प्रोडक्शन रहते हैं तो वह अपने नुक़सान को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट्स आफ प्रोडक्शन उस से हट गये और थोड़ी बहुत जरूरत में उसने उन्हें बेच दिया तो वह बेकार हो जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी के पास उसके खाने कमाने का जरिया रहे, उसकी जमीन उसके पास रहे ताकि अगर उसको नुक़सान हो जाय, अगर कहत पड़ जाय और इंस्ट्रूमेंट्स आफ प्रोडक्शन उसके पास रहें तो प्रोडक्शन फिर बढ़ जायगा और अगर नहीं रहेंगे तो वह नीलाम होगी और वह बेकार हो जायगा। आज बेकारी हमारे देश में बहुत ज्यादा है इसलिये इंस्ट्रूमेंट आफ प्रोडक्शन तो सभी के पास रहना चाहिये जिससे वह खा कमा सके। और दूसरी जो बुरी आदतें हैं क़र्ज़ा लेने की, शराब पीना इनसे भी छुटकारा उसको हो जाय। यह जरूरी है वरना इन चीजों में पड़ कर वह इंस्ट्रूमेंट आफ प्रोडक्शन को बेच देगा। मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं।

तीसरी बात एक यह कही कि भाइयों को हमने एक्सचेंज का राइट दिया। यह तो मैं मानता हूं कि भूमि-व्यवस्था क़ानून में आपने दिया है कि सवा छः एकड़ के जो पार्टनर्स हैं वह आपस में नीलाम होगी, तक़सीम नहीं होगी। कोई रुकावट तो बराबर क़ायम रखनी है और अब भी क़ायम है। रहा ला आफ प्रिएम्शन, कि बहुत सी रुकावटें पड़ीं जरे समन को प्रूव करने की। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह जो जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में रखा गया है कि अगर ४ भाइयों के पास जमीन है सवा छः एकड़ तो वह नीलाम की जायगी, और जो सब से ज्यादा देगा उसको मिल जायगी तो वहां भी तो कम क़ीमत मिलेगी। और बिडर्स तो पैदा होंगे नहीं। तो क़ीमत तो वहां भी कम मिलेगी। इसलिये मुझे यह कहना है कि यह चीज तो मुझे जंची नहीं। किसी तरफ से भी हो आपको इस क़िस्म की कानूनी रुकावटें करनी चाहिये और कानूनी रुकावटें दूर करना भी हमारा काम है। जिस मैटर को आप खुद समझ रहे हैं और इससे इत्तफाक़ करते हैं कि इस कानून का होना जरूरी है, लेकिन कुछ कानूनी रुकावटें हैं, तो उन रुकावटों को दूर करना सदन का कर्त्तव्य है। और अब तो हम आजाद हो गये। अगर हमारे देश की भलाई होने में और प्रदेश की भलाई होने में कोई कानूनी रुकावटें हैं तो वह नहीं आनी चाहिये, उनको दूर करना तो हमारा कर्त्तव्य है।

इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी अगर यहां नहीं सोचते तो किसी दूसरे स्थान पर जब कभी भी उपयुक्त वह समझें वह जल्द से जल्द इस विधेयक को ले आयें जिसकी बहुत जरूरत है वरना कंसालिडेशन बेकार होगा। पहले भी तो आखिर हमने चकबन्दी के अन्दर ही खेती शुरू की थी, टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं की थी। वह तो ट्रांसफर होते होते समय के बीतने के साथ छोटे-छोटे टुकड़ों में होती गई और अब फिर आप चक बांधने जा रहे हैं तो यदि उन चकों को बांटने का अवकाश देंगे तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। वही हालत आज, है जो सवा दो वर्ष बाद पैदा हो गई है वही फिर कुछ दिनों में पैदा हो जायगी और इससे प्रदेश को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जल्द से जल्द कोई न कोई विधेयक लाकर इसका उपाय करें और अगर इसमें नहीं कर सकते हैं तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति आपसे मांगता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*खंड ५३

श्री अध्यक्ष—खंड ५३। (माननीय राजस्व मंत्री से) इसमें आप कोई संशोधन स्वीकार करना चाहते हैं? यह श्री कमला सिंह जी का जो संशोधन है इसका आप विरोध करते हैं?

श्री चरण सिंह—जी हां। मुझे विरोध है।

श्री कमला सिंह—मैं पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—पेश करने से पहले अगर माननीय राजस्व मंत्री जी अपना विरोध वापस लें तो आप पेश कर सकते हैं क्योंकि यह बाद में आयेगा। तो आप माननीय राजस्व मंत्री से कहें।

श्री कमला सिंह—माननीय माल मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इसे पेश करने की इजाजत दें ताकि इसकी इम्पार्टेंस तो उनको बता दूं। उसके बाद जैसा मुनासिब समझेंगे वैसा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—(राजस्व मंत्री से) आप अपना विरोध वापस लेते हैं?

श्री चरण सिंह—जब माननीय कमला सिंह जी ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं वापस लेता हूं।

*आगे पृष्ठ ३५४ पर छपा है।

श्री कमला सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५३ के उपखंड (१) के अन्त में निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय—

"ऐसे सभी नियम विधान सभा की सूचना और विचार के लिए उसके सामने रखे जायंगे।"

जहां तक नियम का सवाल है मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी सहमत होंगे कि यह चकबन्दी का जो ऐक्ट है और बग़ैर अधिनियम के या नियम के बनाये हुए चल नहीं सकता, इसके लिए नियम का बनाना उतना ही जरूरी है जितना जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के लिए था क्योंकि वहां भी हम लोगों ने देखा कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट जरूर बनाया गया लेकिन नियम जो बनाये गये वह अलग बनाये गये और दोनों इसी विधान सभा के अन्दर पास किये गये, उसके बाद वह लागू किये गये। इसी तरीके पर जो अधिनियम या नियम बनाये जायेंगे इस चकबन्दी के मुताल्लिक वह भी इस विधान सभा में पास किये जायंगे। अब इसके बारे में दो तीन बातें मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। पहली तो यह कि शुरू से आखिर तक अगर इस विधेयक को देखा जाय तो इस विधेयक के अन्दर दो चीजें आती हैं। यह हमारे जो काश्तकार हैं, चकबन्दी के सिलसिले में जिनके भाग्य का सम्बन्ध है, उनके भाग्य का निपटारा दो संस्थाओं पर है। पहले तो सरकारी कर्मचारी और दूसरे गांव सभा या गांव समाज जो कि ऐडवाइजरी कमेटी के तौर पर सरकारी अधिकारियों को अपनी राय देगी। साथ ही साथ यह भी चीज है कि जो आफिसर्स इसके हैं, चकबन्दी के सिलसिले में, चकबन्दी आफिसर और सहायक चकबन्दी आफिसर उनके निर्णय जो होंगे, वह अन्तिम होंगे और उसकी कहीं अपील या निगरानी न हो सकेगी। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है कि इनकी गाइडेंस के लिए कुछ नियम बना दिये जायं कि जिससे यह सही नतीजे पर पहुंच सकें और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। दूसरी चीज यह है कि जहां तक रेट्स वग़ैरह का सवाल है, उसके मुताल्लिक भी शुरू से आखिर तक अगर देखा जाय तो कहीं भी रेट नहीं है। जिससे हम यह भी नहीं कह सकते कि किस रेट से किसानों से रुपया वसूल किया जाय या कितना धन व्यय किया जाय और वह रुपया किस तरीके पर व्यय किया जाय और किस रेट पर काश्तकारों से पैसा वसूल किया जाय। यह भी एक बहुत अहम सवाल है जो कि किसानों के सामने आयेगा। इतना ही नहीं बल्कि यह भी देखा जाता है कि टाइटिल्स के जो डिस्प्यूट्स होंगे वह आर्बिट्रेशन को सौंपा गया है। यह तो एक बड़ी अच्छी चीज है आर्बिट्रेशन को सौंपने वाली लेकिन साथ ही साथ गाइडेंस के लिए कुछ ऐसी चीज होनी चाहिये जिससे आर्बिट्रेशन को सौंपने में किसी तरह की दिक्कत न हो और दूसरे आर्बिट्रेशन भी सही नतीजे पर, उन कायदों को ध्यान में रखते हुए पहुंच सकें और एक सुचारु रूप से उसका निर्णय कर सकें तथा उससे काश्तकारों की भलाई कर सकें। योग्यता का भी सवाल इस विधेयक के अन्दर उठता है क्योंकि कहीं कहीं यह है कि जो ११ सदस्य और ४ जो गवर्नमेंट के नामिनीज होंगे उनकी योग्यता का सवाल इस विधेयक के अन्दर दिया गया है। हो सकता है कि अधिकारी मनमानी योग्यता रखें। मैं समझता हूं कि जितने विधेयक अब तक बने हैं चाहे लोकल बोर्ड्स के हों चाहे किसी तरह के हों, जहां योग्यता का सवाल है यह बहुत ही जरूरी है कि इस सदन के सामने वह चीज रखी जाय ताकि यह सदन इस चीज को निश्चित कर सके कि गांव समाज के जो प्रतिनिधि होंगे उनके लिए कौन सी योग्यता रखी जाय।

१४ और १५ में सिद्धान्तों की बहुत सी बातें कही गयी हैं। इन सिद्धान्तों के सिलसिले में भी अगर इस विधेयक की इन धाराओं को पढ़ा जाय तो बहुत से ऐसे नियम या सिद्धान्त जरूरी हैं जो कि बग़ैर इस विधान सभा में रखे हुये कार्य-क्रम में परिणत नहीं किये जा सकते। इसलिये यह जरूरी है कि वहां पर इस चीज को भी रखें।

साथ ही साथ यह भी है कि हम यह अक्सर देखते हैं कि कुछ ऐसे काश्तकार होते हैं जिनके दो ऐजेसेंट विलिजेज होते हैं। उनके लिये यह बेहतरीन होता है कि

उनको एक गांव में जो चक मिले उससे सटा हुआ दूसरे गांव में उनको चक मिले। जब तक इसके लिये कोई नियम न निर्धारित किया जाय तब तक हम इसके लिये मजबूर नहीं कर सकते कि एक किसान की जो जमीन दो गांवों में है वह एक जगह दी जा सके। इसके लिये भी जरूरी है कि हम नियम बनायें। साथ ही साथ जहां तक शाब्दिक उलट फेर का सवाल है, हमारे कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जिनका नाम बराबर इस सदन में आता रहता है, उनकी भी शायद कुछ आवश्यकता पड़े। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो नियम बनाये जायं वे इस सदन के सामने पेश किये जायं ताकि इस सदन में जितने माननीय सदस्य प्रदेश के डिफरेंट पार्ट्स से आते हैं वे अपनी लोकल परिस्थितियों के आधार पर अपने विचार सदन के सामने रख सकें। इस प्रकार जो नियम बनेंगे वे बहुत ही उपयुक्त होंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को सदन के सामने रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कमला सिंह जी का कहना यह है कि यह विधेयक बड़ा महत्त्वपूर्ण है, इसलिये इसमें जो नियम बनें वे विधान सभा के सामने आने चाहिये। कौन सा ऐसा विधेयक है जो महत्त्वपूर्ण नहीं है, सभी विधेयक महत्त्वपूर्ण हैं और रूल्स सब में बनते हैं, लेकिन सब अधिनियमों के लिये यह लाजिमी नहीं है कि जो उसके मातहत नियम बनें वे लेजिस्लेचर के सामने जरूर रखे जायं, कुछ में यह कर लिया जाता है कि रखे जायं और कुछ में यह रहता है कि न रखे जायं। जैसा अधिनियम यह बनाया गया है इसमें तजुर्बे से रोजाना नियम बनाने पड़ेंगे और पुराने बने हुये नियमों में कदम ब कदम संशोधन करने पड़ेंगे। अगर माननीय कमला सिंह जी यह चाहते हैं कि वे सारे नियम जिनमें दिन ब दिन संशोधन होते जायं वे अगर हाउस न बैठा हुआ हो, तो उस वक्त तक अमल में न लाये जायं जब तक कि चार महीने बाद हाउस न बैठे और उसके सामने जो और काम हो उसको निपटाने के बाद उन नियमों पर विचार करके अपनी स्वीकृति न दे दें। इस तरह उस वक्त तक चकबन्दी का काम रुक जायगा। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में यह था कि जो नियम होंगे वे पब्लिश होंगे, उन पर एतराज के लिये समय दिया जायगा और उस समय के बीच में अगर कोई एतराज न आये तो वे फाइनल हो जायंगे और उन पर अमल हो सकेगा। विधान मंडल के सामने रखे जायंगे। विधान मंडल उसके बाद कोई संशोधन करना चाहे वह दूसरी बात है लेकिन संशोधन उसके विचार से पहले ही फाइनल हो जायंगे लेकिन जैसा माननीय कमला सिंह जी ने रखा ऐसा कुछ नहीं है। मैं जमींदारी एबालिशन एण्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट की धारा ३४४, वह अंग्रेजी में है, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ कर सुना दूं।

"All rules made under this Act shall be published in the Official Gazette, and shall, unless some later date is appointed, come into force on the date of such publication."

[इस अधिनियम के अधीन बने सब नियम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायंगे और यदि कोई आगे का दिनांक निर्दिष्ट न किया जाय तो वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायं।]

वहां फिर यह है :

"All rules made under this Act shall be laid for not less than fourteen days before the State Legislature as soon as they are made, and shall be subject to such modifications as the Legislature may make during the session in which they are so laid."

[इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के सामने कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों

[श्री चरण सिंह]

के अधीन रहेंगे, जो विधान मण्डल अपने उस अधिवेशन में करे जिनमें वह इस प्रकार रक्खे जायं।]

तो इसमें यह है कि डेट आफ पब्लिकेशन से ही फोर्स में आ जायगा लेकिन आप इस संशोधन में कुछ नहीं कहते हैं। आप केवल यह कहते हैं कि लेजिस्लेचर के सामने रखा जायगा। इसका मतलब यह है कि लेजिस्लेचर जब संशोधन कर देगा उसके बाद ही यह अन्तिम होगा तो इस तरह से चकबन्दी का काम चल ही नहीं सकेगा, काम प्रोग्रेस नहीं करेगा और बड़ी रुकावट हो जायगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रूल्स लेजिस्लेचर के सामने जरूर आवें और जब तक स्वीकार न हो जायं तब तक उन पर अमल न हो जब कि लोगों के सामने मन में थोड़ा ससपिशन हो, वह तो जब गवर्नमेंट अपनी न हो, जब गवर्नमेंट के पास आप आ न सकते हों तब तो यह है कि हम एक एक चीज पर, एक एक आर्डर पर और एक एक जी० ओ० पर जो कि यहां से बाहर जाता है, उस पर हमारी मोहर होनी चाहिये। लेकिन रेस्पांसिबिल गवर्नमेंट है, सब अपने आदमी हैं, अफसरों से आप मिल सकते हैं, गवर्नमेंट के मेम्बरों से मिलने में कोई रुकावट है ही नहीं, किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो वह हमारी नोटिस में लाये या रेवेन्यू सेक्रेटरी की नोटिस में लाये तो वह दुरुस्त हो जायगी। लेकिन आप तो एक तरह का प्रेसीडेंट कायम करना चाहते हैं कि जब यहां से सेंक्शन हो जाय तब उसके ऊपर अमल हो तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करूंगा कि इससे बहुत रुकावट हो जायगी और कोई फायदा नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि हमारा ५ सौ मील लम्बा सूबा है, बहुत बड़ा सूबा है, वेरीयस कन्डीशन्स बहुत ज्यादा हैं, स्वायल की और स्वायल के टेक्सचर की फिरटिलिटी की, इरीगेशन की और न मालूम कितनी, मतलब यह है कि पूरा मुल्क का मुल्क है, उसके लिये मुझे जरा दोहराना पड़ रहा है। तो न मालूम कितने हम नियम बनाएंगे, जितनी हमारी और हमारे अफसरों की बुद्धि है, उन पर अमल शुरू करेंगे और फिर हम को कदम ब कदम संशोधन करने पड़ेंगे तो इसलिये उसमें रुकावट पड़ेगी अगर आप का संशोधन मान लिया जाता है। इसलिये मैं मजबूर हूं और मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कमला सिंह जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, जहां तक माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि हर नियम जो बने इस अधिनियम के अधीन तो वह सदन में रखा जाय तब प्रचलित किया जाय, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को दिक्कत हो सकती है, इसमें मैं सहमत हूं। लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है कि एक अधिनियम बने तो उसके अधीन जो नियम भविष्य में बनाये जायं वे सदन जब मिले तो उसके सामने पेश किये जायं, दफा ३४४ जमींदारी एबालिश ऐण्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट के अधीन यह था कि जब नियम उसके अधीन बनाये जायं तो वे सदन के समक्ष रखे जायं जब कि वह बैठे और १४ दिन से अधिक न हो। इस तरीके से मैं मानता हूं कि माननीय कमला सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसको इस रूप में यदि माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें तो इसमें उनको क्या आपत्ति है? सरकार की तरफ से एक नहीं बराबर संशोधन आ रहे हैं। आप इतना तो मान लीजिये कि इस अधिनियम के अधीन जो नियम बनेंगे वे इस सदन के समक्ष आयेंगे जब भी सदन बैठा हो और उसके लिये आप १४ दिन या २१ दिन जो भी समय चाहें, नियत कर लें ताकि हम लोगों को एक मौका तो मिले और हम उनको देख सकें। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि पहले जो सरकार रहा करती थी वह विदेशी थी, इसलिये यह आवश्यक हुआ करता था कि ऐसा किया जाय। यह सरकार अपने को वेलफेयर स्टेट कहती है और जो अपने को इस देश का कहती है।

श्री चरण सिंह—कहती नहीं है बल्कि है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—जी हां, इसमें भी मुझे आपत्ति नहीं हो सकती है कि माननीय मंत्रीजी इसी देश के हैं और अच्छी तरह से हैं लेकिन श्रीमन्, वास्तविकता तो यह है कि इस सरकार से लोगों को अधिक परेशानी है बमुकाबले उस सरकार के। हो सकता है कि वह थे। कहे कि उन दिनों ताल्लुकेदारों और राजाओं महाराजाओं को उनसे सन्तुष्टता थी। लेकिन यह बात भी थी कि वह लोग भी उनसे अधिक सन्तुष्ट थे बमुकाबले इस सरकार के। यह दूसरी बात है कि वे स्वाधीनता के लिये लड़ रहे थे। जहां तक उनका यह दावा है कि हम उन पर विश्वास करें तो उसे तो वे खो ही चुके हैं। इसलिये उनका बार बार विश्वास दिलाना निरर्थक है।

श्री चरण सिंह—मुझे इसकी कोई हठ नहीं है कि जो कुछ मैंने कहा उसके मुताबिक अगर कोई संशोधन आवे तो मैं उसका विरोध करूं, लेकिन जैसे यह संशोधन आया है उसका मुझे विरोध है। अगर माननीय कमला सिंह जी चाहते हैं कि उसके बिनहें काम नहीं चल सकता तो जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की दफा ३४४ के जो अलफाज उनकी लाइन पर संशोधन आ जावे तो मैं तैयार हूं।

श्री कमला सिंह—मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं राजी हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री चरण सिंह से) तो आप ले आइये। (श्री कमला सिंह से) आप अपना संशोधन वापस ले लीजिये। वह पेश कर देंगे।

श्री कमला सिंह—मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५३ के उपखंड (२) भाग (१८-क) के बाद निम्नलिखित भाग (१८-ख) जोड़ दिया जाय—

"(१८-ख) धारा ४२-क के अन्तर्गत भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों का चुनाव,"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५३ के उपखंड (२) के भाग (१८-क) के बाद निम्नलिखित भाग (१८-ख) जोड़ दिया जाय—

"(१८-ख) धारा ४२-क के अन्तर्गत भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों का चुनाव।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—(श्री चरण सिंह से) मैं यह जानना चाहूंगा कि वह संशोधन आप ५३ में ही दे रहे हैं।

श्री चरण सिंह—जी हां, वह ५३ में ही आवेगा।

श्री अध्यक्ष—और ४६ में क्या है?

* खण्ड ४६

श्री चरण सिंह—४६ में यह है कि यह कर दिया जाय कि दूसरी लाइन में ये शब्द निकाल दिये जावें—

"(प्रत्यालोचन अभिदेश था)"

और उसके आगे दूसरी लाइन का अंतिम शब्द "रिव्यू", और तीसरी लाइन के शब्द "रेफरेंस आर" निकाल दिये जायं।

---

* पीछे पृष्ठ ३४२ पर छपा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४६ की पंक्ति २ में कोष्ठक और शब्द "प्रत्यालोचन, अभिदेश या" निकाल दिये जायं और पंक्ति २ तथा ३ में अंग्रेजी के शब्द "(Review, Reference)" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—आपके दो तीन संशोधन हैं जो आम संशोधन हैं उनको लिये लेता हूं तब तक आप ५३ वाले संशोधन को बना लें।

(कुछ ठहर कर)

जब तक आप उसको बनायें तब तक मैं खंड १ लिये लेता हूं।

खण्ड १

(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३"

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा तुरन्त प्रवर्तित होगी और इस अधिनियम का अवशिष्ट भाग उस दिनांक से प्रवर्तित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में इस हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

* सामान्य संशोधन

श्री अध्यक्ष—अब इस अधिनियम में दो तीन आम संशोधन हैं। मैं उनको लेता हूं।

प्रश्न यह है कि जहां जहां शब्द "गुट" या "गुटों" आये हैं वहां वहां पर शब्द "हार" या "हारों" जैसा उपयुक्त हो रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जहां जहां शब्द "बाद" आया है वहां वहां शब्द "पश्चात्" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जहां जहां शब्द "सक्षम" आया है वहां वहां शब्द "समर्थ" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब आप ५३ के लिये जल्दी कृपा करें।

---

* ये संशोधन सदन के निर्णय (पृष्ठ ३५५) के अनुसार श्री श्रीचन्द के द्वारा प्रस्तावित समझे जायंगे।

श्री चरण सिंह—उसमें तो ५ मिनट लग जायंगे। जब तक और काम ले लिया जाय।

श्री उम्मेद सिंह की देहली में गिरफ्तारी के सम्बध में सूचना

श्री अध्यक्ष—इस बीच में मैं एक सूचना देना चाहता हूं जो जिला मैजिस्ट्रेट देहली ने भेजी है। वह इस प्रकार है—

"I have to inform you that I have found it my duty to arrest Thakur Umed Singh of Balrampur, district Gonda, M. L. A. of Uttar Pradesh under section 188, I. P. C. for deliberate difiance of my order banning meetings and processions passed under section 6 of the Punjab Security of State Act, 1951, as extended to Delhi State. Thakur Umed Singh was taken into custody on the evening of 31st. March, 1952 and was lodged in the District Jail, Delhi."

[मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि मैंने यह अपना कर्तव्य समझा कि मैं ठाकुर उम्मेद सिंह को, जो कि बलरामपुर, जिला गोंडा के रहने वाले और उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य हैं, आई० पी० सी० के सेक्शन १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार करूं, क्योंकि उन्होंने जानबूझ कर मेरे उस आदेश को भंग किया जिसके अनुसार सभाएं करना और जुलूस निकालना निषिद्ध था और जो पंजाब सिक्यूरिटी आफ स्टेट ऐक्ट, १९५१ के सेक्शन ६ के अन्तर्गत पास किया गया था और जिसके अधिकार क्षेत्र में देहली राज्य भी था। ठा० उम्मेदसिंह ३१ मार्च, १९५३ की शाम को गिरफ्तार किये गये और देहली की जिला जेल में रखे गये।]

हमारे सदन के सदस्य श्री ठाकुर उम्मेद सिंह जी को जिला मैजिस्ट्रेट, देहली की आज्ञा भंग करने में दफा १८८ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली की जेल में उन्हें रक्खा है। यह सूचना वहां के जिला मैजिस्ट्रेट ने मेरे पास भेजी है जो मैं सदन को दे रहा हूं।

श्री ओंकार सिंह (जिला बदायूं)— क्या माननीय उम्मेद सिंह जी जनसंघ के सत्याग्रह में गिरफ्तार हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने तो पूरा पत्र आपको पढ़ कर सुना दिया। दफा १८८ में मीटिंग्स और जुलूस वगैरह के लिये बन्दी थी वहां। उस कानून को उन्होंने भंग किया। इसका मतलब आप चाहे सत्याग्रह समझ लें।

श्री होतीलाल दास को न्यायालय द्वारा दण्ड दिये जाने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरी सूचना जुडिशल आफिसर, अलीगंज ने दी है। वह इस प्रकार है—

"I have to inform you that Sri Hoti Lal Das of Etah, a member of the Legislative Assembly, Uttar Pradesh, was tried in the court of Judicial Officer, Aliganj at Etah before me on an indictment charging him and others with offences under sections 188 and 426 I. P. C., for making disobedience to an order duly promulgated by a public servant, the Sub-Divisional Magistrate, Etah, by entering upon the land duly attached by the said Magistrate under section 145 Cr. P.C., and for committing mischief by causing wrongful damage to the aforesaid land.

Yesterday afternoon after a trial lasting about six months, I found him and some of the others guilty and I sentenced him to a fine of Rs. 100 and imprisonment till the rising of the court under section 188 I. P. C. and a fine of Rs. 100 under section 426 I. P. C. He was released on interim bail immediately."

[श्री [illegible]]

[मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि एटा के निवासी श्री होतीलाल जो कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य हैं एटा में अलीगंज के जुडीशल अफसर के कोर्ट में मेरे सामने एक आरोप पर उनका और कुछ और लोगों का मुकदमा हुआ, उनके ऊपर आई० पी० सी० के सेक्शन १८८ और ४२६ के अन्तर्गत अपराधों का आरोप था क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदेश की, उस भूमि में प्रवेश करके, अवहेलना की थी जो एक जन-सेवक, सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट, एटा ने भारतीय दण्ड विधान के सेक्शन १४५ के अन्तर्गत नियमानुसार कूर्क की थी और उन्होंने उक्त भूमि को नुकसान पहुंचाकर झगड़ा किया था।

लगभग ६ मास तक इस मुकदमे के चलने के बाद कल मैंने उन्हें और कुछ और लोगों को अपराधी पाया और उन्हें आई० पी० सी० के सेक्शन ४२६ के अन्तर्गत १०० रुपये का दण्ड और आई० पी० सी० के सेक्शन १८८ के अन्तर्गत न्यायालय के उठने तक का कारावास का दण्ड दिया। वह तुरन्त अन्तःकालीन जमानत पर छोड़ दिये गये हैं।]

दूसरी सूचना श्री होतीलाल दास के सम्बन्ध में है। उनको दफा १८८ और ४२६ के अन्तर्गत सजा हुई 'टिल दि राइजिंग आफ़ दि कोर्ट' की और १०० रुपये जुर्माने की। उसके बाद 'इंटेरिम बेल' के ऊपर उसी वक्त उनको छोड़ दिया गया।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी विधेयक, १९५३

*खंड ५३ (क्रमागत)

मालमंत्री श्री चरणसिंह---अध्यक्ष महोदय, जिस जगह पर श्री कमला सिंह जी अपना संशोधन चाहते थे वहां के लिये मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं---

(३) इस अधिनियम द्वारा दिया गया नियम बनाने का अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन (previous publication) के बाद ही बनाये जायं।

(४) इस अधिनियम के अधीन बने सब नियम सरकारी गजट (official Gazette) में प्रकाशित किये जायंगे और यदि कोई आगे का दिनांक (later date) निर्दिष्ट न किया जाय तो, वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायंगे (come into force)।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जो विधान मंडल करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५३ में निम्नलिखित उपखंड ३, ४ और ५ बढ़ा दिये जायं---

"(३) इस अधिनियम द्वारा दिया गया नियम बनाने का अधिकार इस प्रतिबन्ध के अधीन रहेगा कि नियम पूर्व प्रकाशन (previous publication) के बाद ही बनाये जायं।

(४) इस अधिनियम के अधीन बने सब नियम सरकारी गजट (official Gazette) में प्रकाशित किये जायंगे और यदि कोई आगे का दिनांक (later date) निर्दिष्ट न किया जाय तो, वे ऐसे प्रकाशन के दिनांक ही पर प्रचलित हो जायंगे (come into force)।

(५) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सब नियम बनाये जाने पर यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के सामने कम से कम चौदह दिन तक रक्खे जायंगे और वे ऐसे परिष्कारों के अधीन रहेंगे, जो विधान मंडल करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*पीछे पृष्ठ ३४७ पर छपा है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय १५ मिनट बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना और देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे संशोधन जो श्री श्रीचन्द जी के थे वे मैंने स्वयं पेश कर दिये तो प्रश्न यह है कि उनके लिये यह समझा जायगा कि वे श्री श्रीचन्द जी ने ही पेश किये।

प्रस्तावना और शीर्षक

कृषि के विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था करने के लिए,

विधेयक

यह आवश्यक है कि कृषि के विकास के निमित्त उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी जोतों की चकबन्दी की व्यवस्था की जाय;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग बन जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १९५३, जैसा कि वह विधान सभा से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोतों की चकबन्दी विधेयक, १९५३, जैसा कि वह विधान सभा से संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—आपकी इजाजत से, अध्यक्ष महोदय, मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर सदन राजी हो जाय तो लगे हाथों नागर क्षेत्र जमींदारी विधेयक को भी पास कर दिया जाय?

श्री उम्मेद सिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)— माननीय अध्यक्ष, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य की गिरफ्तारी के बाद २४ घंटे में सूचना स्पीकर महोदय के पास आ जानी चाहिये, तो क्या उम्मेदसिंह जी की गिरफ्तारी की इत्तिला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, दिल्ली ने २४ घंटे में दे दी थी?

श्री अध्यक्ष—मुझे २४ घंटे का तो ख्याल नहीं है लेकिन शीघ्रातिशीघ्र का ख्याल है। माननीय मुख्य मंत्री शायद इस पर कुछ प्रकाश डालें ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—गिरफ्तारी की सूचना न ही मिले तो अच्छा है। एम० एल० एच० गिरफ्तार ही क्यों हों ? अगर कोई कानून के खिलाफ काम करता है तो जितनी देर तक इस किस्म की इत्तिला न मिले उतना ही अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—मुझे जो सूचना है वह यह है कि देर नहीं होनी चाहिये और जितनी देर इसमें लगी है मैं समझता हूं इतनी देर लगना स्वाभाविक ही था।

आगामी कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अब सदन के आगे के कार्यक्रम के बारे में उनका क्या इरादा है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्दवल्लभ पन्त)—अब सेशन की कार्यवाही आज तक की तो खतम होती है मगर सेशन तो अभी जारी रहेगा। इस बीच में बहुत दिनों से काम करते करते सदस्य सब थक गये हैं और उनका मैं आभारी हूं कि उन्होंने इतना समय अपना दिया। अब उम्मीद है कि कम से कम जून के महीने तक सेशन नहीं होगा जुलाई में ज्यादा मुमकिन है कि हो। अभी उसकी भी निश्चित बात नहीं कही जा सकती। कोई इस बीच में सेलेक्ट कमेटी हो, या स्टैंडिंग कमेटी हो, इस तरह की चीज तो होगी मगर सारे सदन की बैठक, जून तक तो उम्मीद है कि नहीं होगी। अगर कोई ऐसी ही बात आ गयी असाधारण सी, जिनके लिये कि सदन बुलाना पड़े तब तो दूसरी बात है। वैसे तो जो इस वक्त बिल या विधेयक या अधिनियम हमारे पास हैं उनके लिये तो जून तथा गर्मी में सदस्यों को यहां खींचने और कष्ट देने का इरादा नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)— नैनीताल में बुलाइये।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त— नैनीताल में तो नहीं हो सकता है क्योंकि अब सदन बहुत बड़ा हो गया है, उसके लिये वहां जगह नहीं है। और गर्मी में भी यहां काम करते ही हैं मगर अब यह इरादा है कि शायद जून के बाद सेशन होगा। उसकी इत्तला बाजाब्ता की जायगी। कुछ बिल ऐसे हैं जो सेलेक्ट कमेटीज में हैं, कुछ कारपोरेशन के बारे में हैं, कुछ एजुकेशन के सिलसिले में हैं, इस तरह से काम तो बहुत से इस वक्त हैं मगर हमारा समय इतना कम रहता है कि काम के लिहाज से सब पूरा कर नहीं पाते। अब आशा है कि अगले सत्र में हम और ज्यादा काम कर सकेंगे। दो तीन महीने के आराम के बाद सब लोग ताजा होकर आवेंगे तो जल्दी से जल्दी काम पूरा करने की रुचि रहेगी। फिर मैं सदन के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और अभी जो इतना अवकाश उनको मिलेगा उसके लिये मुझे आशा है कि उनके द्वारा और भी जनहित के कार्य होते ही रहेंगे, चाहे यहां न हो, वह बाहर होगा।

श्री अध्यक्ष—अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ७ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२ अप्रैल, १९५३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८९ पर)

कुशीनगर में विकास योजना केन्द्र में जो काम आरम्भ हुए हैं उनका विवरण

(१) कृषि—सुधरे हुए बीज, खाद, औजारों आदि के व्यवहार के प्रदर्शन।

(२) सिंचाई—नलकूप, कुएं, बंधी, तालाब आदि बनवाना, पम्पिंग सेट लगवाना तथा तालाब गहरे करना।

(३) पशु-पालन—महामारी के रूप में फैलने वाली बीमारियों के टीके लगाना, जानवरों की चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलना, अच्छी नस्ल के सांड़ व भेड़ें खरीदना।

(४) जन-स्वास्थ्य—चेचक के टीके लगाना, डी०डी० टी० का छिड़काना तथा पेल्यूड्रीन का उपयोग, शुद्ध जल की व्यवस्था तथा सफाई रखना।

(५) शिक्षा—लड़के व लड़कियों के लिए प्राइमरी तथा जूनियर मिडिल स्कूल खोलना, प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, चलते फिरते पुस्तकालय खोलना तथा सामाजिक शिक्षा के सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करना।

(६) सामूहिक-कार्य तथा जन-शक्ति का संगठन—सड़क, स्कूल, बंधी, सिंचाई की नाली, तालाबों आदि के निर्माण के कार्यक्रम।

१—तर कुहवा
२—हिशुनपुर दलपत
३—सिसी पट्टी हुसैन
४—लक्ष्मीपुर उर्फ अलख छपरा
५—दलपुर श्रीनगर
६—बेरथानी
७—सोहौला, रामनगर
८—जकुनी
९—पेरसौनी
१०—जलुवा
११—महुवारी
१२—पथकौली
१३—मथौरटट्टी
१४—रामपुर गढ़
१५—सुबंश छपरा
१६—सिसी खुही
१७—बेलवा पलकधारी सिंह
१८—बटसारा
१९—मुंदेरा
२०—बंसफरिया
२१—महुवा
२२—बसंतपुर
२३—महुवा
२४—मारकंडे
२५—महुवा पट्टन
२६—पहारपुर
२७—बेरोवा
२८—पिपराही
२९—महुआ बाजार तार
३०—कौन्हवाली भार थरक
३१—कोहवालिया बाबू
३२—भिस्वा
३३—सेमेर अली झुलगवा
३४—पिपर झम
३५—माधौपुर
३६—मंगलपुर
३७—खेदनी
३८—चक देहया
३९—गोपालगढ़
४०—महुवा
४१—तेतरिया
४२—अमानिकपुर
४३—बेरवा
४४—धुरिया
४५—अनरूधवा
४६—सिसवा
४७—डुमरी
४८—ढोकराहा
४९—मुडेरा रतनपट्टी
५०—सिकरिया उर्फ रामनगर

५१—सोन बरसा
५२—कसिया
५३—बिशुनपुर बिनवलिया
५४—सबया
५५—झंगुआ
५६—विशम्भरपुर
५७—मैनपुर मैदान
५८—मैनपुर जंगल
५९—मदनपुर
६०—भरवाली
६१—पकरी
६२—अरज बालक पट्टी
६३—पिपरा
६४—नरक तिया
६५—सपहा
६६—कोल्हुआ
६७—खरदर
६८—पोखर भिंडा
६९—नान्द गांव
७०—मठिया माधौपुर
७१—डुमरी
७२—परसौनी खुर्द
७३—सियरहा
७४—बालक पट्टी
७५—एकदेरवा अव्वल
७६—सुख पुरवा
७७—चक्कर पट्टी
७८—एक देरवा दोयम
७९—सेसारी गिदाहा
८०—बेरवा
८१—कंसोरिया
८२—सेमरी
८३—खरतारी
८४—सेमरा धूसी
८५—दिघवा बुजुरुग
८६—मजुही मदार पट्टी
८७—मकौली
८८—मकुन्दा परसौनी
८९—बैरिया
९०—बेलवा रामजस
९१—आराजी परसौनी
९२—बेलवा दुर्गा राय
९३—मिसरौली
९४—नरकठिया
९५—दिधवा खुर्द
९६—बिशुनपुर
९७—कुरनौता
९८—शाहपुर
९९—नीबी
१००—खोराबर
१०१—नरायनपुर
१०२—पारखंड
१०३—पिपरी
१०४—नायक छपरा
१०५—अमरपुर
१०६—गुरवनियन
१०७—पेर सहवा
१०८—परसौनी
१०९—मदरा सिर
११०—मैसहा
१११—डुमरी
११२—शामपुर
११३—सिरसिया
११४—महुआडीह लवंगरपुर
११५—परसौना बिर्चपुर
११६—डुमरी स्वामी पट्टी
११७—लालीपुर
११८—ख्वाजा
११९—सिंहना
१२०—चितवनी
१२१—बतरौली
१२२—सिरसिया
१२३—लछिमीपुर
१२४—पकरी
१२५—पिपरही भरकुंडा
१२६—मुझना हेतिम
१२७—डुमरी अखलस
१२८—भोजवलिया
१२९—हेतिमपुर
१३०—कोटवा
१३१—रामपुर जगदीश
१३२—सहोदर पट्टी
१३३—जिगनी मुसाहेब
१३४—भटनी बदान
१३५—चकिया
१३६—रामपुर श्रीपाल
१३७—फुलेहरा
१३८—मुंडेरा
१३९—मटनी बुजुरुग
१४०—अकठिया

१४१—महुई
१४२—बालकुआ
१४३—जैसवाली
१४४—समोगर
१४५—हरैया
१४६—पिपरहिया
१४७—अवरही
१४८—नौतन हाथी गढ़
१४९—इमलिया उर्फ भगवानपुर
१५०—गोपालपुर
१५१—मुंडेरा
१५२—देवरिया पिपरा
१५३—दौला कदम
१५४—सोनबरसा
१५५—मरप्पा
१५६—मठ भगवान
१५७—पकरी बीरभद्र
१५८—पियरूवा
१५९—सोनिया
१६०—देखरी देवरिया
१६१—ओझउली
१६२—पुरैनी
१६३—बेरवा मीर छप्पर
१६४—बसन्तपुर
१६५—नीबी बेरवा
१६६—डुबौली
१६७—मौकम छपरा
१६८—बरठ पट्टी
१६९—धमउर
१७०—सहवा
१७१—महवा
१७२—महवा बखा मानसिंह
१७३—पदिया पर
१७४—पपउर
१७५—रामपुर दुलह
१७६—गोठा रसूलपुर
१७७—धनौती राजडीह
१७८—गौनरिया
१७९—जिगनी
१८०—जंगल बेलवा
१८१—शामपुर
१८२—अमरी झंगा
१८३—सोनारी
१८४—हरिया बसंतपुर
१८५—शाहजहांपुर
१८६—पोरहरी छपरा
१८७—मुंडेरा उर्फ बलुही
१८८—सोमरा
१८९—मुंडेरा उर्फ दिउरवा
१९०—जिगनी राजा
१९१—शामपुर
१९२—कौला छपरा
१९३—मुशहरी
१९४—मठिया
१९५—हरियापुर
१९६—मदिरापाली भरतराव
१९७—दिघवा पटवा
१९८—बैजनाथपुर
१९९—बिद्रावन उर्फ रामपुर जगदीशपुर
२००—चौबौली
२०१—बेरवा सेमरा
२०२—खाजी टोला
२०३—द्वारिका
२०४—तबलकपुर
२०५—अस्सीटोला उर्फ मैनपुर
२०६—पारस खंड
२०७—भोगलपुर

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

क्रम-संख्या	तहसील का नाम	अफसर का नाम	कितने समय तक कार्य किया
१	बांसी	१—श्री बी० के० मिश्रा, आई० ए० एस०	१-१-५२ से २०-२-५२ तक
		२—श्री राम लगन सिंह	२१-२-५२ से २४-३-५२ तक
		३—श्री गनेश शंकर चौधरी	२५-३-५२ से १-१-५३ तक
२	हर्रैया	१—श्री नन्द जी राम	१-१-५२ से २०-२-५२ तक
		२—श्री गोपाल कृष्ण टंडन	२१-२-५२ से ११-६-५२ तक
		३—श्री अख्तर आलम	१२-६-५२ से ३१-१०-५२ तक
		४—श्री विश्वम्भर नारायण खन्ना	१-११-५२ से १-१-५३ तक
३	खलीलाबाद	१—श्री ज्वाला सिंह	१-१-५२ से ११-६-५२ तक
		२—श्री सैयद अहमद स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर	१२-६-५२ से २२-९-५२ तक ३-१०-५२ से ३१-१०-५२ तक
		३—श्री श्याम बिहारी लाल	२३-९-५२ से २-१०-५२ तक
		४—श्री अख्तर आलम	१-११-५२ से १-१-५३ तक
४	डुमरिया गंज	१—श्री विश्वम्भर नारायण खन्ना	१-१-५२ से २१-७-५२ तक
		२—श्री नन्द जी राम	२२-७-५२ से १-१-५३ तक
५	बस्ती (परगना बस्ती ईस्ट)	१—श्री गोपाल कृष्ण टंडन	१-१-५२ से २०-२-५२ तक
		२—श्री बी० के मिश्रा, आई० ए० एस०	२१-२-५२ से २१-७-५२ तक
६	बस्ती (परगना बस्ती वेस्ट)	१—श्री रामलगन सिंह	१-१-५२ से २०-२-५२ तक
		२—श्री नन्दराम जी	२१-२-५२ से २१-७-५२ तक

१—श्री बी० के० मिश्रा, आई० ए० एस०, २२-७-५२ से ८-९-५२ तक

२—श्री सैयद अहमद स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर, ९-९-५२ से २-१०-५२ तक।

३—श्री श्यामबिहारी लाल ३-१०-५२ से १-१-५३ तक।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९२ पर)

District Mainpuri

Revenue year 1951-52

Crop	Average yeild in mds. per acre.
Bajra	10.61
Maize	9.38
Wheat	11.05
Barley	7.97
Gram	6.94

List of villages of Mainpuri Tehsil included in the Community Project Scheme.

1. Mainpuri
2. Ahdyiyan
3. Ramaihar
4. Tabepur
5. Khatikpur
6. Uddaitpur
7. Shivsingpur
8. Bahadurpur
9. Sikandarpur
10. Jagruppur
11. Sensarpur
12. Hasanpur
13. Lodhipur
14. Pripur
15. Virayampur soiya
16. Adupur
17. Anani
18. Kajrimgunj
19. Narainpur
20. Nanamau
21. Mahdeva Jagatpur
22. Laxmipur
23. Rasemar
24. Nagla Sadhu
25. Arazi Lines Municipal Board
26. Devpura.

संसद भवन पुस्तकालय

List of villages of Tehsil Bhongaon included in the Community Project Scheme.

1. Tisauli
2. Jaili Jirauli
3. Kinhawar
4. Bichhwan
5. Bharatpur
6. Khatana
7. Dharmau
8. Brinpur
9. Rudainia
10. Aurondh
11. Burra Chak Sahara
12. Kataka
13. Balarpur
14. Dudhona
15. Jagatpur
16. Surjanpur
17. Bilon
18. Farpur
19. Namthari
20. Malpur
21. Binamau
22. Sultangunj
23. Ahorwa
24. Pal
25. Dayalpur
26. Puscna
27. Mohanpur
28. Mindoli
29. Naka
30. Chhachha
31. Siwai Bhadaura
32. Usmanpur
33. Lalupura
34. Biyonti Khurd
35. Diwanpur Chodhri
36. Uddampur Naroni
37. Morapur Sujapur
38. Rui Senora
39. Lalpur Morapur
40. Govindopur
41. Harchandpur Merapur
42. Shahjadpur
43. Tarapur Chak
44. Maholi Khera
45. Jaitulpur
46. Ahmadpur
47. Saidpur
48. Narsingpur
49. Mahabatpur
50. Nissaura
51. Jalalpur
52. Barasurajpur
53. Sulkhanpur
54. Jasrathpur
55. Birsingpur
56. Bhhattaribari
57. Hamirpur
58. Harganpur
59. Darka
60. Garhia Govindepur
61. Husainpur
62. Asafpur
63. Rajwana
64. Devipur
65. Jashanpur
66. Alipura Patti
67. Manikpur
68. Kamalpur
69. Kamalpur
70. Bhongaon
71. Mayachandpur
72. Tolakpur
73. Surajpur Bark hera.
74. Ali Khora.

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १५ एल० ए०—१९५३—८५०